खण्ड-250, अंक-4
गुरूवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1886
(30 जुलाई, 1964 ई0)

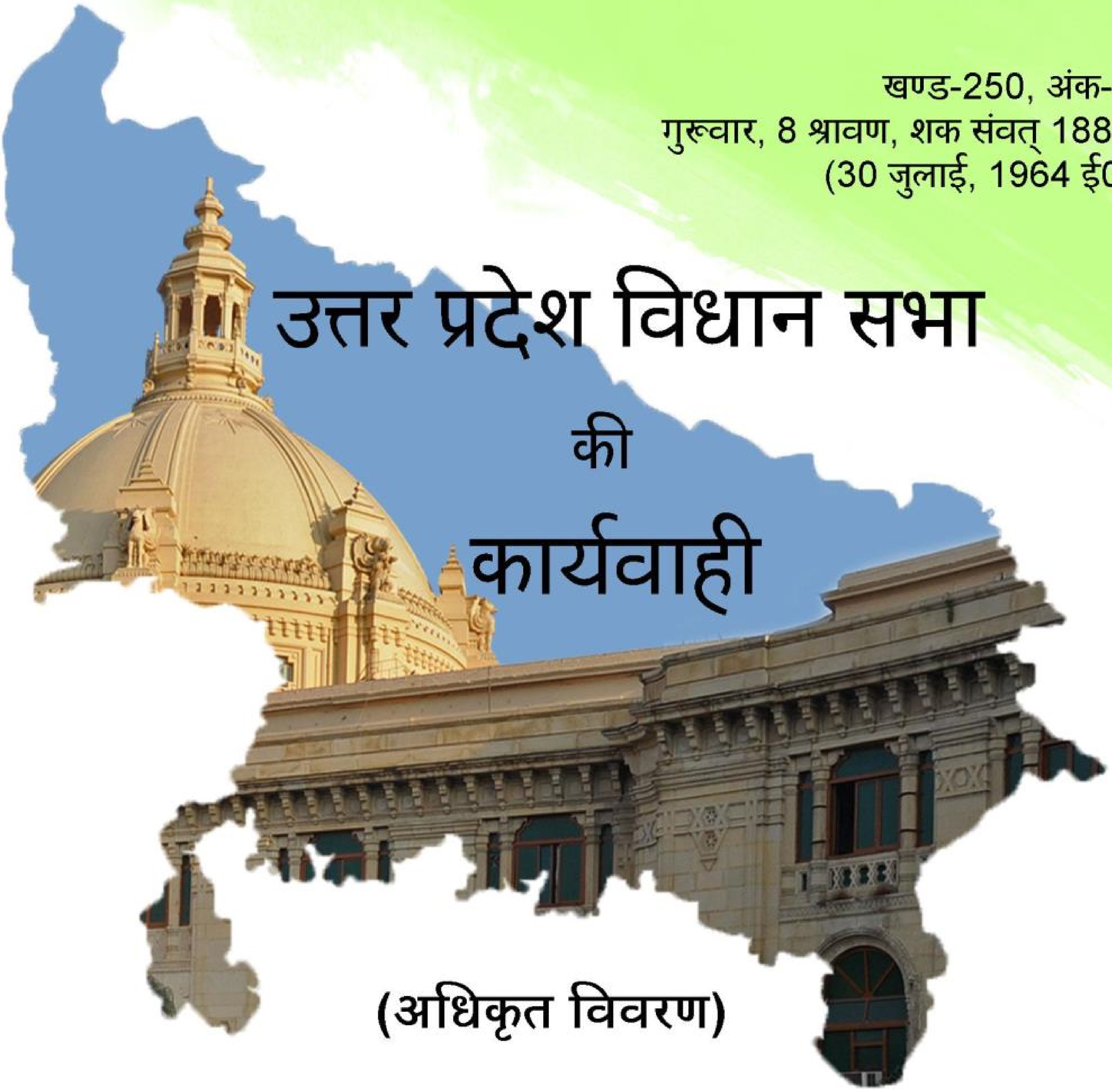

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११९–२०३
प्रश्नोत्तर (जारी)	२०३–२०४
१९ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ९–१० के उत्तर का शोधन ..	२०५–२०६
प्रश्नोत्तर	२०७–२४१
विधान सभी की दीर्घाओं के प्रवेश-पत्र प्राप्त व्यक्तियों को काउंसिल हाउस गार्ड्स द्वारा रोके जाने तथा श्री अध्यक्ष के आदेश को मानने से इन्कार करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट	२४१–२४३
कुसुम्मी बाजार, गोरखपुर के ग्राम सभापति द्वारा एक किसान को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२४४
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	२४४
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	२४५
मन्त्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (जारी)..	२४५–२९१
श्री मोहनलाल वर्मा की जमानत पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	२९१–२९२
नत्थियां	२९३–३११

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३० जुलाई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छंगुर, श्री
छेदालाल, चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
बिजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३० जुलाई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में बसावन की कथित भुखमरी से मृत्यु

**१--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत थाना कोतवाली में रुस्तमपुर गांव के अन्दर बसावन बढ़ई नामक व्यक्ति की मृत्यु भुखमरी से हुई? यदि हां, तो सरकार बलिया जिले में फैलती हुई भुखमरी और अकाल को रोकने के लिये कौन सा कदम उठा रही है?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

जी नहीं, श्री बसावन की मृत्यु भुखमरी से नहीं हुई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई और यह भी कहा है कि प्रश्न का दूसरा हिस्सा नहीं उठता। मैं इसके सबूत में कहना चाहता हूं कि जिस गांव का यह प्रश्न है उसी के पास के गांव का मुझे तार मिला है। जिसमें लिखा है कि--

District Magistrate Delaying Arranging Ration shop Dumria village People starving Immediate

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने जांच कराई कि श्री बसावन की मृत्यु भुखमरी से नहीं हुई? क्या उसके घर में कोई बालिग आदमी है या उसके पास कोई जमीन है?

श्री अध्यक्ष--

यह बहस का मौका नहीं है, सवाल कीजिये।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

श्रीमन्, रिपोर्ट से मालूम हुआ कि यह बसावन कारपेंटर रुस्तमपुर गांव का टी० बी० का मरीज था और ६ मई, ६४ को उसकी मृत्यु हुई। यह उसकी बेवा और गांव के प्रधान ने बयान दिये हैं और उसकी बीमारी में लगभग ५०० रु० खर्च किया था। इससे स्पष्ट होता है कि मई में जब फसल आई थी और २०-२२ रुपये मन गेहूं था तो उस समय भूख से किसी के मरने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह गलत है क्योंकि उसका लड़का टी० बी० का मरीज है। वह बुड्ढा था और मेहनत मजदूरी करता था। मैं यह जानता हूं कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं था और न आज है और न उसके घर में कोई मजदूरी करने लायक है और उसका लड़का टी० बी० का मरीज है।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस गांव में राशन देने के लिये कौन-सा इन्तजाम सरकार की तरफ से किया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मई के महीने में हम देहाती क्षेत्र वालों को २० रुपये का अनाज देते थे। १६ रुपये का गेहूं या आटा और ४ रुपये का चावल।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो आखिरी भाग है उसमें है कि अकाल को रोकने के लिये सरकार कौन-सा कदम उठा रही है। जवाब दिया गया है कि "प्रश्न नहीं उठता"। खाद्य मंत्री कह चुके हैं कि प्रदेश की हालत खराब है और भुखमरी की हालत है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सिक चाइल्ड है। तो अब सरकार कैसे कह रही है कि अकाल को रोकने का प्रश्न नहीं उठता?

श्री अध्यक्ष--

भीखालाल जी, आप तो कानून जानते हैं। पहले प्रश्न से संबंधित कहा है कि वह शख्स भुखमरी से मरा तो फिर बलिया में क्या इंतजाम किया जा रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि वह शख्स भुखमरी से मरा ही नहीं। तो फिर दूसरे भाग का उत्तर ठीक ही दिया गया है।

१९ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ९–१० के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक १९ मार्च, १९६४ को श्री हरीशकुमार गंगवार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ९ व १० का संशोधित उत्तर निम्न प्रकार है—

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
श्री हरीशकुमार गंगवार—	
*९—क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना मुता, जिला बरेली का रजिस्टर नं० ८ और उसका भाग १ जो अत्यन्त महत्वपूर्ण रिकार्ड है, खो गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?	९—जी नहीं ।
*१०—क्या यह सही है कि उपरोक्त रजिस्टर अन्तिम बार चकबन्दी अधिकारी, द्वितीय, फरीदपुर, बरेली की अदालत में ग्राम रिछा के "गेंदन सिंह बनाम वीरावती" नामक मुकदमें में पेश हुआ था जिसमें इस रजिस्टर का पन्ना बदल कर पेश करने की शिकायत की गई थी और तभी से यह रजिस्टर खोया हुआ बताया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी आवश्यक जांच करके अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेगी ?	१०—यह सत्य है कि उपरोक्त रजिस्टर चकबन्दी अधिकारी, द्वितीय फरीदपुर, बरेली की अदालत में गेंदन सिंह बनाम वीरावती के मुकदमें के संबंध में पेश हुआ था परन्तु पुलिस रिकार्ड के अनुसार इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिल पाया है कि जिस समय यह रजिस्टर चकबन्दी अधिकारी के समक्ष पेश हुआ तो यह आरोप लगाया गया हो कि रजिस्टर नं० ८ का तथा उसके भाग १ का पन्ना बदल कर पेश किया गया है । अतः अदालत की फाइल के मुआइने के बाद ही इस बात का ठीक से पता चल सकता है । इस सिलसिले में आवश्यक आदेश पुलिस महानिरीक्षक को दे दिये गये हैं ।

संशोधित उत्तर

९—रजिस्टर नं० ८, ग्राम रिछा, थाना भूता मौजूद है। जहां तक रजिस्टर के प्रथम भाग के खो जाने का प्रश्न है, प्रथम भाग का असली पन्ना मौजूद नहीं है और प्राप्त सूचना के अनुसार उसकी जगह एक और पन्ना लगाया गया है । इस संबंध में अभी जांच जारी है और पूरी होने पर दोषी कर्मचारियों और व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

१०—रजिस्टर नं० ८ ग्राम रिछा, चकबन्दी अधिकारी, द्वितीय, फरीदपुर के न्यायालय में मुकदमा गेंदन सिंह बनाम वीरावती में माह फरवरी, सन् १९६३ में पेश हुआ था । प्राप्त सूचना के अनुसार जब यह रजिस्टर अदालत में पेश किया गया तो गेंदन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर चकबन्दी अधिकारी ने पुराना प्रथम भाग पुलिस से तलब किया, परन्तु भूतपूर्व सर्किल आफिसर

[श्री बंशीधर पांडेय]

ने उनको जवाब दिया कि पुराने पन्ने का पता नहीं चल रहा है । इस संबंध में भी सूचना मिली है कि तफतीश की जा रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार अब इस बात की जांच करा कर कि पन्ना बदला हुआ पाया गया तो जो जिम्मेदार अधिकारी है खोने के लिये, क्योंकि जब शिकायत की गयी थी तब उसे खो दिया गया था, उसको कोई उचित दन्ड दिया जायगा ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां । सब संबंधित प्रश्नों की जांच हो रही है और जांच के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जायगी ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, क्या आप जिस अधिकारी ने सरकार द्वारा इस सदन में इस प्रकार का बेबुनियाद उत्तर दिलवाया है उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय, इसकी व्यवस्था करावेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दे दिया है कि जितने संबंधित प्रश्न हैं सब की जांच हो रही है, उसके उपरान्त ही उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा सवाल यह नहीं है कि कागज गायब करने वाले पर कार्यवाही होगी या नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी ने सरकार से यह गलत उत्तर यहां दिलवाया, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गलत उत्तर तो तब कहा जायगा जब उस अधिकारी ने जानबूझ कर कहा हो कि पन्ना गायब है, लेकिन यदि पन्ना गायब है यह उसको उत्तर देने के बाद मालूम हुआ हो, तो यह तो जांच के बाद ही निश्चय किया जा सकता है कि वह दोषी है या नहीं ।

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं । शायद सुप्रीम कोर्ट की बहस में हैं कि स्पीकर जो है वह बोलता ही नहीं, उसको आपने पढ़ लिया है। आप भी तो बोलें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए । मेरा जो मत है वह मैं व्यक्त कर दूं और सरकार से भी मैं निवेदन कर दूं कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के गलत सूचना देने पर मंत्री कोई गलत जवाब दे जायं, तो हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि सदन क्या करे । विशेषाधिकार का प्रश्न उस अधिकारी के विरुद्ध नहीं उठता क्योंकि उसका संबंध इस सदन से प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि मंत्री जी के द्वारा है । ऐसी स्थिति में मंत्रियों का और सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अगर गलत जवाब अधिकरी की गलती की वजह से सदन के सामने दिया गया, हो तो उसके संबंध में एक गंभीर ऐटीट्यूड होना चाहिये गवर्नमेन्ट का, और गवर्नमेन्ट को उस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

मैसन लेदर वर्किंग स्कूल, रुदौली

*१—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

६ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित श्री मुकुटबिहारी लाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न-संख्या ४०-४१ के उत्तर से संबंधित क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसन लेदर वर्किंग स्कूल, रुदौली, जिला बाराबंकी में वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में प्रत्येक कक्षानुसार कौन-कौन छात्र शिक्षा प्राप्त करते रहे तथा उनके पूर्ण पते भी बताने की कृपा करें और उनमें से वर्ष अनुसार कौन-कौन से छात्र उत्तीर्ण हुए ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र †'अ' में प्रस्तुत है। खेद है कि अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर में १९६१–६२ व १९६२–६३ में प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः २ व ६ दी गयी थी जो सही नहीं थी। यह गलत सूचना उक्त विद्यालय से जो गैर सरकारी है, प्राप्त हुई थी और वहां के क्लर्क की गलती से हो गयी थी।

*२—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त वर्षों में उपरोक्त विद्यालय में कौन–कौन अध्यापक थे तथा उनको प्रतिवर्ष कितना-कितना वेतन दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९५९–६० से अब तक केवल एक अध्यापक श्री असगर अली उक्त विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और उन्हें १२० रु० प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस प्रकार उन्हें १९५९–६० से १९६२–६३ तक प्रतिवर्ष १,४४० रु० मिला। १९६३–६४ (फरवरी, १९६४ तक) वर्ष में उन्हें १,२२० रु० मिला है।

*३—श्री मुकुटबिहारीलाल—

उपरोक्त वर्ष में उक्त विद्यालय द्वारा और कितना–कितना रुपया किस–किस मद में व्यय किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र 'अ' † में प्रस्तुत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

मान्यवर, ६ फरवरी, ६४ को यह उत्तर दिया गया कि १९६२–६३ में ६ लड़के उत्तीर्ण हुए, प्रथम वर्ष म और उत्तर दिया जाता है कि ४ ही हुए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी ह कि इसमें कोई लड़का पढता ही नहीं और केवल सरकार से पैसा हासिल करने के लिये यह गलत सूचना दी जाती है ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा यह एक गैर सरकारी संस्था है। प्रश्न का उत्तर डिटेल में उन्होंने यहां दिया है लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि वहां कोई गलती है और वहां कोई पढ़ता ही नहीं और आप चाहेंगे, तो उसकी फिर जांच करा लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विद्यालय को सरकार की ओर से कितनी धनराशि प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दी जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

२,४१९ रुपया ग्रान्ट दिया गया था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह सूचना है कि १९५८-५९ से लेकर आज तक कभी भी इस विद्यालय में ७ से ज्यादा लड़के नहीं थे और इस वर्ष ६ लड़के थे जिसमें से ४ ही पास हुये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने तो पूरी सूचना दे दी। नाम भी दे दिए, पते भी दे दिये। इसके बाद भी आपको कोई सूचना है .....

श्री उग्रसेन —

कुल कितने लड़के पढ़ते थे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा है कि मुकुटबिहारी लाल जी डिटेल देंगे तो उसकी वह फिर से जांच करा लेंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था के शिक्षण और प्रबन्ध का निरीक्षण किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा १९५९-६४ के बीच नहीं हुआ है जब कि आप इसको अनुदान भी देते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इनका इम्तहान डाइरेक्टर आफ टैक्नीकल एजुकेशन लिया करते हैं और इस वक्त उनके ही अन्डर में यह संस्था है। उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट कौन-कौन वह काम करती है कितने लड़के पढ़ते हैं उनके पते यहां हमारे पास भेजे हैं। आपने यह कहा कि ऐसा नहीं है तो मैंने कहा कि आप दोबारा कहेंगे तो पता लगा लेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उसमें केवल ४, ६ विद्यार्थी पढ़ते हैं और ५ हजार से ऊपर खर्चा हो रहा है। उसमें एक क्लर्क है और एक मास्टर है, तो क्या सरकार उसका अनुदान बन्द करने पर विचार करेगी क्योंकि यह सब सूचना फर्जी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह जो संस्था है लेबर का काम करती है। उसके लिये सरकार अनुदान देती है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी अनुदान देता है। उनके वह संस्था नजदीक है तो वह जरूर देखते होंगे

मुझे ऐसी अब तक कोई सूचना नहीं है कि यह सब सूचना फर्जी है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो दोबारा जांच करा लेंगे।

इलाहाबाद जिले के नवाबगंज थाने में बलवा

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद), श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील सोरावं थाना नवाबगंज के अन्तर्गत ५ आदमियों को दिनांक १८ फरवरी, १९६४ को गोली से मारा गया? यदि हां, तो यह घटना क्या थी तथा इसमें कितने आदमी अब तक पकड़े गये?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

दिनांक १८-२-६४ को नहीं बल्कि १७-२-६४ को ग्राम हथगहां थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद के निकट दो दलों के बीच एक बलवा हुआ जिसमें एक व्यक्ति गोली से और ३ व्यक्ति अन्य शस्त्रों से मारे गए। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९३ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गोली पिस्तौल की थी या बन्दूक की थी और वह बन्दूक या पिस्तौल बरामद हुई या नहीं?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसमें एक पिस्तौल बरामद हुई है यह रिपोर्ट है। जो पिस्तौल बरामद हुई है वह एक मुस्तफा नाम के हैं उनकी मालूम होती है, उनको छोड़ा नहीं गया है। पोस्ट मार्टम की यह रिपोर्ट है कि गोली लगी। अब यह पता नहीं है कि वह गोली पिस्तौल की थी या बन्दूक की।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

अभी एक आदमी के लिये कहा गया कि गोली से मरा है, तो दूसरे आदमी के सम्बन्ध में इन्जरी किस किस्म की है यह क्या मंत्री जी बतलायेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह जो तीन आदमी मरे हैं उनके सिर पर ज्यादा प्रहार थे। इनके सिर पर अधिक चोट आयी थी इनके कारण ही ये लोग मरे हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनकी पिस्तौल से ये मरे हैं वह लाइसेन्सी थे या उनका पिस्तौल फ्री मार्का था?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह देशी पिस्तौल था जो उनके पास से बरामद हुआ है।

श्री उग्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इन दोनों दलों में झगड़े का क्या कारण था? उसका संक्षिप्त विवरण देने की मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह मामला चूंकि अदालत के सामने है इसलिये अभी उसका डिटेल देना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जो मोटी बातें हैं वह बतला दें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह मामला ऐसा है कि ग्राम शिलावरपुर के नन्हे की शादी श्रीमती मेढ़ा, निवासी टेकड़ी से हुई थी और वह चाहती थी कि अपनी जमीन का पट्टा अलग कर के, लोगों का ऐसा कहना है कि, अपने दामाद को देने को तैयार थीं। पट्टेदारी का मामला था और इसलिये उन लोगों ने उज्रदारी कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिये। तो दोनों दल कचहरी गये हुये थे और उनमें लौटते समय आपस में झगड़ा हो गया जिसमें एक तरफ के तीन आदमी और एक तरफ का एक आदमी मर गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि जिन ५२ आदमियों का चालान किया गया उनमें से केवल एक पार्टीवालों की जमानत हुई और दूसरी पार्टीवालों की जमानत नहीं हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जमानत अलग अलग कोर्ट्स से दोनों पार्टियों की हुई ।

[३० जुलाई, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को शिकायती-पत्र

*१—श्री बंशीलाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कप्तान, आजमगढ़ के पास ग्राम मीरपुर एवं करौन्दी नारायनपुर, थाना मधुवन के निवासियों ने क्रमशः ४ मार्च, १९६३ तथा ८ मार्च, १९६३ को शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें निरपराध चालान करने, छीने हुये सामानों तथा रुपया को न देने, अकारण दो दिनों तक थाने की हवालात में बन्द रखने आदि की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा प्रार्थियों से भी बयान, साक्ष्य आदि लिये गये हैं ? यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इन प्रार्थना-पत्रों का पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया। अन्य भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक सचिव, श्री अब्दुल सत्तार द्वारा हाउस बिल्डिंग एडवान्स लेने में अनियमितता

*२—श्री रघुवीरसहाय कंथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग के सुपरिंटेंडेंट, श्री अब्दुल सत्तार खां, जोकि इस समय नेशनल कैडेड कोर में एकाउण्ट अफसर के पद पर कार्य कर रहे हैं, ने अपने निजी मकानों की खरीदारी के लिये शासन से कितनी बार और कितना कितना रुपया कर्ज (हाउसिंग पचज एडवान्स) लिया और इस प्रकार खरीदे हुये मकानों को कब कब कितने-कितने रुपये में बेचा तथा इस समय वे कितने मकानों में रह रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्री अब्दुल सत्तार खां, जो अब कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास सचिव की शाखा में सहयक सचिव हैं, को दो बार मकान बनाने के लिए एडवांस स्वीकृत किया गया। १२,३६० रु० का पहला एडवांस उन्हें अगस्त, १९५६ में और १८,२४० रु० का दूसरा एडवांस उन्हें मार्च, १९६३ में स्वीकृत किया गया। पहले एडवांस से खरीदे गये मकान को उन्होंने लगभग तीन वर्ष बाद वित्त विभाग के सहायक, श्री दानिश अली खां को बेच दिया। श्री दानिश अली खां ने उन्हें ४,५२६ रु० नकद दिए तथा एडवांस की मूल राशि में से बचे ८,२३२ रुपयों को तथा मकान को बेचने के समय तक एडवांस पर अर्जित १,२६४ रु० के ब्याज को अदा करने का भार अपने ऊपर लिया। दूसरे एडवांस से खरीदे गये मकान में वे अब भी रहते हैं। श्री खां ने अभी हाल में सूचित किया है कि किराये के उस मकान को जिसमें वे दूसरा मकान खरीदने से पूर्व रहते थे, अब खाली कर दिया है।

*३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि श्री अब्दुल सत्तार खां ने अभी हाल ही में सरकारी कर्जे (हाउस बिल्डिंग एडवान्स) से जो मकान खरीदा है उस को क्या वे ऊंचे किराये पर उठाये हुये हैं और वे स्वय जिस मकान में पहले से सस्ते किराये पर रहते थे उसको उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्री खां उस मकान में रह रहे हैं, जिसे उन्होंने हाल में खरीदा है। उन्होंने केवल संलग्न मोटर गैरिज तथा कुछ बाहरी कमरों को ६७ रु० प्रति मास के किराये पर उठाया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि श्री खां ने सूचित किया है कि किराये के मकान को उन्होंने अब खाली कर दिया है।

*४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार अपने उस परिपत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कर्जे से खरीदे अपने निजी मकानों में ही रहने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा कोई परिपत्र सरकार ने जारी नहीं किया है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि श्री अब्दुल सत्तार खां ने १९५६ में १२,३६० रुपया कर्ज मकान के लिये लिया और उससे जिस मकान को खरीदा उसे ३ वर्ष बाद १४ हजार रुपये का बेच दिया और तीन वर्ष तक उससे २०० रुपये माहवार का किराये का लाभ उठाया। इस प्रकार ७,००० रुपये का लाभ उठाया। तो फिर उसको दुबारा १८,३४० रुपया कर्ज क्यों दिया गया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्री खां को पहले एक मकान लेने के लिये रुपया कर्ज दिया गया था। उन्होंने एक मकान खरीदा जो बहुत अच्छा नहीं था और पुराना था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस मकान को एक दूसरे अफसर को बेच दिया जिसने गवर्नमेन्ट का रुपया अपने जिम्मे कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा मकान लेने के लिये रुपया मांगा। दूसरा मकान उन्होंने पुराना फिर लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बड़ी भारी फेमिली है ९–१० आदमियों की और नये मकान में रह नहीं सकता तो उन्होंने कहा कि किराये का

मकान भी रखूं और नये मकान में थोड़ा सा सुधार करूं। लेकिन उनसे कहा गया कि यह ठीक नहीं है। तो वह जो नया मकान उन्होंने किराये का खरीदा था उसमें चले गये और हमको लिखा है कि पुराना जो किराये का था वह खाली कर दिया।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब्दुल सत्तार जो सुपरिंटेंडेंट हैं वित्त विभाग के, उन्होंने मकान का कब्जा रेंट कंट्रोल अधिकारी को दिया या मकान मालिक को दिया? मेरी सूचना यह है कि उनका आदमी अभी तक मकान में रह रहा है और लखनऊ में यह चीज हो रही है, मैं चलने को तैयार हूं और दिखाने को तैयार हूं कि वह खाली नहीं किया गया है और मेरी बात सही है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं यह नहीं कहता कि आपकी सूचना गलत होगी। लेकिन हमने जिला मैजिस्ट्रेट को यह लिखा है—उनके कहने के बाद भी कि मैंने मकान खाली कर दिया है—कि हमको बतायें कि वह मकान खाली हो गया है या नहीं। जिला मैजिस्ट्रेट की सूचना नहीं आयी है। हमने एक रिमाइन्डर और भेजा है कि वह बतायें कि खाली हो गया है या नहीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार इस तरह का नियम बनाने पर विचार करेगी कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को रुपया देकर मकान खरीदवाया जाय ताकि वह मनमाने भाव पर जिसे चाहें बेचें?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस तरह जो रुपया दिया जाता है उसके कुछ नियम हैं, वह यह हैं कि वह उसमें रह सकता है और उसके बच्चे भी रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि उत्तर में कहा गया इसमें कहीं नहीं है कि जो मकान कोई अफसर बनाये, उसे किराये पर दे।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक एक आदमी को दो दो ऐडवांस मकान बनाने के लिए दिये जा सकते हैं, क्या ऐसे नियम हैं या पालिसी है?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि रुपया तो वापस कर दिया।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पहला लोन उन्होंने ९ हजार का लिया और मकान बेच दिया? दूसरा लोन उन्होंने मशकगंज में मकान बनाने के लिए लिया, लेकिन बनाने के बजाय खरीदा और वह १०,००० का था। ८,२४० रुपया अभी तक सरकार को वापस नहीं किया गया और फिर उन्हें ऐडवांस दिया गया। जिस पर भी वह दूसरे के मकान में खुद रह रहे हैं, इसके बारे में सरकार ने जांच करके क्या कर्यवाही की?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि पहले जो रुपया दिया गया था वह मकान बनाने के लिये या खरीदने के लिए होता है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य और माननीय जसरामसिंह कुछ बातें कर रहे हैं, क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि मंत्री जी उनसे मिल कर जांच पूरी करा लें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन जो इनफारमेशन मेरे पास इस समय है वह मैं देने के लिए तैयार हूं। यह बात सही है कि पहले जो रुपया दिया गया था उससे जो मकान खरीदा वह मकान दूसरे को सरकार की इजाजत से दे दिया गया और वह रुपया सरकार को वापस मिल गया। मकान एक आफिसर का दूसरे ने ले लिया, हमारे रुपये का भुगतान हो गया। जब दोबारा रुपया दिया गया तो १८ हजार दिया गया। यह सही है कि उसमें से दूसरा मकान १० हजार का खरीदा गया और यह कहा गया कि मकान पुराना है और जहां हम चाहते हैं वहां मकान मिलता नहीं है।

यह ८ हजार रुपया उसके इम्प्रूवमेंट में लगा है और उसका भी हिसाब उन्हें देना है। थोड़ी अनियमितता तो हुई ही है।

श्री ऊदल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि एक बार यदि किसी अधिकारी को रुपया दिया जाय और वह मकान खरीद ले, तो यह न उसको बेच सकता है और न किराये पर उठा सकता है और उसको दोबारा रुपया भी नहीं दिया जा सकता। तो नियमों को तोड़ कर दोबारा उसको क्यों रुपया दिया गया, इस प्रश्न पर क्या सरकार ने कभी विचार किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले रुपया लेकर जो उसने मकान खरीदा उसको बेचने के लिये सरकार ने इजाजत दी तभी उसने बेचा। उसके दो वर्ष के बाद दूसरा रुपया दिया गया। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

जो रिआयत बड़े बड़े अधिकारियों को इस प्रकार की दी जा रही है क्या वह रिआयत छोटे-छोटे कर्मचारियों को, मेहतरों आदि को भी, सरकार देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कर्जा देने के नियम बने हुये हैं उसी के अनुसार सब को कर्जा दिया जाता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, जिस मकान में वह रह रहे थे वह यहां सचिवालय के एक कर्मचारी का मकान है। उन्होंने मकान को खाली करके अब अपने कुछ रिश्तेदारों को उसमें घुसेड़ दिया है जो ट्रेसपासर की तरह से उसमें रह रहे हैं। तो क्या सरकार उस मकान को खाली कराकर जिसके नाम से वह मकान एलाट है, उसको कब्जा दिलायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसके लिये हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है और हम उसको खाली करा भी देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

पहला कर्जा देने और दूसरा कर्जा देने के बीच में किसी अधिकारी द्वारा कोई जांच करायी गयी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जांच का इसमें कोई सवाल नहीं है, जो पहला कर्जा था जब वह वसूल हो गया तो दूसरा दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

२०० रुपया माहवार ३ वर्ष तक किराया उसका वसूल हुआ जब कि वह मकान उनके रहने काबिल नहीं था। तो फिर वही मकान दूसरे के रहने के काबिल कैसे हो गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अब एक साहब को वह पसन्द नहीं था, दूसरे को वह पसन्द था, उसने खरीद लिया। हमारा तो इतना कन्सर्न रहता है कि रुपया वसूल हो जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

क्या यह कानून लागू है या नहीं कि सरकारी अफसर जहां तैनात हैं वहां जायदाद नहीं ले सकते, क्योंकि वे अनड्यू इनफ्लुएंस एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जायदाद लेने में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह नियम है कि तनख्वाह के हिसाब से एडवांस लेकर मकान ले सकते हैं। १२,००० का तो लखनऊ में कोई बड़ा मकान भी नहीं है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे इसमें जो कुछ अनियमितता उन्होंने की है उसके लिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर कोई अनियमितता होगी तो की जायगी।

पीलीभीत गन्ना समिति पर बकाया

*५--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा अपने सदस्यों को पुराना गन्ना मूल्य, सहाव-बढ़ोत्तरी की कटौती, डिवीडेंड आदि का कितना रुपया देना बाकी है और यह बकाया कितने पुराने सालों का है तथा क्यों है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

पीलीभीत गन्ना समिति द्वारा अपने सदस्यों को पुराने गन्ने के मूल्य, अतिरिक्त सट्टे पर की गई कटौती की रकम तथा डिवीडेन्ड का जितना रुपया वितरण करना अवशेष है उसका वर्षवार विवरण संलग्न है। कुछ सदस्यों द्वारा अपना शेष धन वापस न लेना ही अब तक बकाया साफ न होने का कारण है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९४ पर)

*६--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सत्य है कि पीलीभीत केन यूनियन में मझोला क्षेत्र में दो सीनियर केन डेवलपमेंट इंसपेक्टर नियुक्त हैं जब कि प्रान्त के अन्य जिलों में एक भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं, केवल एक ही सीनियर केन डेवलपमेंट इन्सपेक्टर मझोला क्षेत्र के लिये नियुक्त है।

*७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत गन्ना विकास परिषद द्वारा ग्राम मेथी सादुल्लागंज में एक पुलिया बनाई गई जिसके फटने व मिट्टी न पड़ने से यातायात के लिये अब तक न खोली गई ? क्या ठेकेदार के फाइनल बिल का पेमेंट कर दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ? पुलिया की लागत क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, ठेकेदार के फाइनल बिल का अभी भुगतान नहीं किया गया है । पुलिया की अनुमानित लागत ६,८२३ रुपया है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि संबंधित व्यक्तियों को अपनी धनराशि जल्दी मिल जाय ?

डाक्टर सीताराम—

केन कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिये हैं कि केन यूनियन्स शीघ्रातिशीघ्र रुपया अदा कर दें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या इस पुलिया बनाने वाले ठेकेदार से जमानत का कुछ रुपया जमा कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे जब्त करने की सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जमानत का रुपया जमा कराया गया । कुछ काम बाकी है । इसीलिये वह शर्त अभी काम में नहीं लाई गई है ।

फायर ब्रिगेड सर्विस में हरिजन

*८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड विभाग कहां-कहां हैं तथा उनमें नियुक्त कर्मचारियों जैसे आफिसर, सेकेन्ड आफिसर, फायर ब्रिगेड आदि की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा उसमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उत्तर प्रदेश में राज्य फायर ब्रिगेड केवल कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ में हैं। उसमें नियुक्त कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या तथा उसमें हरिजनों की संख्या संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९५ पर)

*९—श्री हरिगैनराम—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भर्ती कब हुई और क्या इस भर्ती की सूचना प्रसारित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों, और कहां, तो कब ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सन् १९४४ में जब पंच महानगरों की फायर सर्विस का कार्यभार म्युनिसिपल बोर्डों से उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभाला तो म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड के उपयुक्त कर्मचारी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस विभाग में नियुक्त कर लिये गये। तदोपरान्त जब कभी स्थान रिक्त हुए, उनकी पूर्ति की गयी। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में सीधी भर्ती (Direct Recruitment) का नियम केवल चीफ फायर आफिसर, फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर तथा फायरमैन के पदों के लिए ही लागू हैं। इन पदों पर जब कभी सीधी भर्ती (Direct Recruitment) की गयी उसकी सूचना विस्तृत रूप से प्रसारित की गयी और रोजगार दफ्तरों से भी उम्मीदवार मांगे गये। फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद के लिए भर्ती की सूचना १९६१ तथा १९६३ में कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गयी थी।

श्री हरिगैनराम---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पदों के लिए क्या योग्यतायें हैं?

श्री बंशीधर पांडेय---

सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिगेनराम---

हरिजनों का कोटा पूरा न होने का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय---

या तो वे आवेदन करते ही नहीं या अनफिट हो जाते हैं।

गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग से हटाये गये कर्मचारी

*१०---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री मुकुटबिहारी लाल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ से १९५७ से ३१ जनवरी, १९६४ ई० तक कितने स्थायी या अस्थायी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं से पृथक किया गया और जो व्यक्ति निकाले गये वे किन किन पदों पर थे व उन पर क्या क्या आरोप थे? क्या ये आरोप उनकी एक माह की दी गयी नोटिस में या कभी उनको चार्ज शीट दी गयी थी?

श्रीमती सुचेता कृपलानी---

१९५७ से ३० जनवरी, १९६४ तक निकाले गये स्थायी तथा अस्थायी व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ६ और ९० है। मांगी गयी अन्य सम्बन्धित सूचना† सदन की मेज पर रख दी गयी है।

गंगाजी पर लहराघाट की धर्मशालायें

*११---श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाट लहरा, गंगा जी, जिला एटा में १९६२ में जो बाढ़ आयी थी, उसमें धर्मशालायें व्यक्तियों को ठहरने को बता दी गयी थीं? यदि हां, तो यह धर्मशालायें अब तक खाली करा लीं? यदि नहीं, तो क्यों और कितनी धर्मशालाओं पर लोग नाजायज कब्जा किये हुए हैं?

---

†छापी नहीं गयी।

डाक्टर सीताराम--

जी हा। केवल एक धर्मशाला बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को ठहरने के लिए बता दी गयी थी। अब सभी व्यक्ति धर्मशाला को खाली कर गये हैं।

*१२--श्री बेदराम (अनुपस्थित)--

यह देखते हुए कि धर्मशालाओं में तीर्थयात्री ठहरा करते थे और अब नाजायज कब्जा होने के कारण तीर्थयात्रियों को अब अत्यन्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार इन धर्मशालाओं को खाली कराने की व्यवस्था करेगी?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में कागज का कारखाना खोलने का सुझाव

*१३--श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बांदा में बांस की उपज अधिक है और इस जिले की तहसील बांदा व नरैनी तथा बबेरू में धान की उपज भी अधिक है जिसकी पयाल से लुगदी बना कर मोटा कागज (दफ्ती) बनाने का कारखाना खुल सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में उक्त कारखाना वहां खोलने का विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिला बांदा में बांस की उपज नहीं है। बांस की उपज केवल करवी मानिकपुर के पठार प्रदेश में होती है और वह अति विरल है। कागज का बड़ा कारखाना अगर स्थापित किया जाय तो बांस आवश्यक मात्रा में बराबर मिलने की सम्भावना कम है। बांस से हाथ कागज बनाने की सम्भावना भी कम प्रतीत होती है, क्योंकि बाजार में उसकी बिक्री मिल कागज की अपेक्षा नहीं हो पायेगी।

बांदा, नरैनी व बबेरू तहसीलों में धान की उपज अधिक है और उसके पुआल से दफ्ती बनाने की छोटी इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। सरकार की नीति यह नहीं है कि लघु उद्योग स्वयं स्थापित करे। परन्तु अगर कोई संस्था या व्यक्ति दफ्ती उद्योग स्थापित करना चाहे तो शासन द्वारा आवश्यक सहायता दी जा सकती है।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार को पता है कि कोलुहा जंगल में काफी बांस हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरी सूचना यह है कि बांदा जिले में कम बांस है। बांदा में श्री मूलचन्द जैन ने स्ट्रा-बोर्ड का कारखाना लगाया। अभी तक वहां बिजली की कमी थी और कारखाने सफल नहीं हुये। अब बिजली पहुंच जायगी। अगर लगे हुए कारखाने सफल हुए, तो और भी लग जावेंगे।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार बांदा में उद्योग-धंधे खोलने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सरकार की पालिसी है कि जहां कम उद्योग धन्धे हैं वहां बढ़ाये जावें। रा-मैटीरियल होने पर बड़े कारखाने खोले जाते हैं, छोटे कारखाने प्राइवेट लोग खोलते हैं। ग्राम उद्योग

की तरफ से भी कुछ उद्योग खोले जाते हैं। बांदा में उद्योग कम हैं। मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से कहूंगी कि इस सम्बन्ध में कोई उपाय करे।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि कुलुआ का जंगल मीलों लम्बा जंगल है और वहां पर कागज के कारखाने चलाये जा सकते हैं ? बिजली भी वहां पहुंच गयी है इसलिए क्या माननीय मन्त्री जी कारखाने के बारे में जांच करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

फारेस्ट विभाग से इसकी सर्वे करा देंगे कि वहां कितना बांस उपलब्ध हो सकता है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---

क्या माननीय मन्त्रीजी को ज्ञात है कि वहां पर एक दफ्ती का कारखाना खोलने के लिए किसी ने दरख्वास्त दी है ? उसको उसके लिए क्या मदद दी गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

पंचकोशी मार्ग, वाराणसी स्थित सार्वजनिक सम्पत्तियां

*१४--श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख १३ फरवरी, १९६३ को पूछे गये प्रश्न संख्या १७--१९ के सन्दर्भ में समाज-कल्याण विभाग द्वारा आश्वासन समिति के समक्ष दिये गये उत्तर में सार्वजनिक सम्पत्तियों की जिस सूची के तैयार हो जाने की बात कही गयी है, क्या उसे वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

पंचकोशी मार्ग, वाराणसी, स्थित सार्वजनिक सम्पत्तियों की सूची† संलग्न है।

*१५---श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

क्या सरकार इन सम्पत्तियों के रखरखाव में भारत सरकार से भी सहायता लेने का विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या सरकार बतायेगी कि जो सूची इस समय पेश की गयी है वह मुकम्मिल है या उसमें कुछ और जोड़ना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिलाधीश से जांच करायी गयी है। उन्होंने जो सूची भेजी है, उसी को यहां संलग्न किया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

मेरा खयाल है कि बनारस जिले में जो पंचकोशी सड़क है, उसके चारों तरफ कई सौ धर्मशालायें हैं, कितने ही मन्दिर और तालाब हैं जिनकी इसमें कोई चर्चा नहीं है। इन सब का मौलिक अन्तरिम जिला परिषद को बनाया गया है, वह किस तरह से। जब कि विभिन्न राजा महाराजाओं ने उनको बनाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जहां तक माननीय सदस्य ने अन्य स्थानों की बात कही, यदि वे उसके बारे में लिख कर दे दें। तो उन की भी जांच करा ली जायगी। जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है और उसके बारे में जो उत्तर दिया गया है वह पंचकोशी की जो परिक्रमा है, उससे सम्बन्धित है। उसके रख-रखाव के लिए एक समिति बनायी गयी है। इसके अलावा जो सड़क के पास की सम्पत्ति है, उसका रख-रखाव जिला परिषद् करता है।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि यह सार्वजनिक सम्पत्ति जो जिला परिषद् के सुपुर्द की गयी है वह किस कानून के मातहत की गयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

वह जिला परिषद् के सुपुर्द नहीं की गयी है बल्कि मैंने यह कहा कि जो पंचकोशी की परिक्रमा की तरफ की सम्पत्ति है उसकी देखभाल और रक्षा पंचकोशी समिति करती है, दूसरे जो सड़क की साइड की सम्पत्ति है, जिला परिषद् उनका रख-रखाव करता है। सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कोई विचार नहीं हुआ है, कि इस प्रकार की सम्पत्ति का कौन रख-रखाव करे।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्राणी जी हमारा सुझाव मानेंगी कि ये सम्पत्ति जो पुरानी हैं, यह सार्वजनिक सम्पत्ति बहुत दिनों से वैसे ही पड़ी हुई हैं, और उसका सर्वनाश हो रहा है और सरकार ने उसके बारे में तय नहीं किया है कि उसका रख-रखाव कैसे हो। क्या सरकार उत्तर प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा ट्रस्ट बना देगी जिसकी देख रेख में उन सब का प्रबन्ध चलाया जाय और सरकार उस ट्रस्ट को कुछ आर्थिक सहायता दे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सन् १९६२ में भारत सरकार ने इस प्रकार का विचार किया और वह एक विधेयक भी लायी, किन्तु वह अभी पारित नहीं हुआ है। भारत सरकार इस सम्बन्ध म विचार कर रही है और राज्य सरकार ने उनमें पूछताछ की है कि वे किस प्रकार से इसका संचालन करेंगे ?

मदनपुर का कथित औद्योगिक केन्द्र

*१६--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, देवरिया के मातहत विकास क्षेत्र रुद्रपुर में मदनपुर नामी स्थान पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४, में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक प्रशिक्षण हुआ, कौन-कौन से छात्र प्रशिक्षित हुये और उस प्रशिक्षण में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

*१८-१९—श्री रतीपाल—

[हटा दिये गये।]

ख्वाजापुर ग्राम में कत्ल

*२०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोई शख्स ग्राम ख्वाजापुर, पी० एस० झनझाना, जिला मुजफ्फरनगर, में दिनांक ४ अगस्त, १९६३ को थानेदार को गोली से मारा गया था? यदि हां, तो कैसे?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिनांक ४ अगस्त, १९६३ को ग्राम ख्वाजापुर में हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रश्न में निर्दिष्ट आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चूंकि घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा चालान किया गया मामला और अभियुक्त द्वारा पुलिस के विरुद्ध दायर किया गया इस्तगासा दोनों, न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को यह मालूम है कि उस सिलसिले में मुजफ्फरनगर के कुछ जिम्मेदार लोग कलेक्टर साहब से मिले थे? यदि हां, तो कौन-कौन से लोग थे और उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बंशीधर पांडेय—

तत्कालीन जिलाधीश का स्थानान्तरण नैनीताल को हो गया है। इस बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है।

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि पुलिस ने अपने को बचाने के लिए कोई वाकया इस कत्ल के बारे में बनाया? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, और उसकी जांच किसने की?

श्री बंशीधर पांडेय—

घटना का विषय न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस बारे में कोई उत्तर सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

उस शख्स के मारे जाने के वाक्यात के बारे में जिस तरीके का विवरण पुलिस ने दिया है, उस विवरण को माननीय मन्त्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि वह थानेदार श्री निवास त्यागी थे, जो देहात से घूम कर झनझाना थाने को लौट रहे थे। जब वे वहां की टाउन एरिया के चेयरमैन के ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो उनसे टाउन एरिया के अध्यक्ष ने कहा कि हमें कुछ सन्देह हो रहा है कि एक आदमी झोला लिये हुए ईख के खेत में घुस गया है तथा मुझे मालूम होता है कि उस में कुछ और बदमाश लोग भी बैठे हुए हैं इस पर थानेदार ने अपने साथ के कांस्टेबिल्स, हेड कांस्टेबिल व चेयरमैन के कुछ आदमियों को साथ लेकर ईख के खेत को घेर लेने के लिए कहा। इसके

लिए उन्होंने तीन पार्टी बनायीं और अपने कांस्टेबिल से कहा कि तुम इधर से ललकारो। उस के ललकारने पर एक बदमाश उस खेत से निकल कर किनारे से भागते हुए डांड के पास आया। इस पर थानेदार ने पास की एक नाली में अपनी पोजीशन ली कि अगर हमारे ऊपर कोई वार हुआ तो उसका जवाब देंगे। जब थानेदार ने उसे ललकारा तो उस बदमाश ने अपनी पिस्तौल निकाल कर उस थानेदार को मार दी जिससे उनके पैर में जाकर चोट लगी। इस पर थानेदार ने भी अपने बचाव में गोली चलायी जो उस बदमाश के लगी। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम अली मुहम्मद था जो नम्बरी हिस्टरीशीटर था। उसका भाई अली-शेर भी नम्बरी डकैत था और उसको भी पकड़ कर बन्द कर दिया गया। बाद में उसने पुलिस के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है और इस तरह से दोनों मामले न्यायालय के सामने हैं। जब तक न्यायालय से कुछ फैसला न हो जाय, तब तक इस सम्बन्ध में और कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को साफ करेंगे कि क्या उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट उस थानेदार के पास था या सिर्फ टाउन एरिया के चेयरमैन के कहने से ही उन्होंने उसको चेंज करने या गिरफ्तार करने की कोशिश की?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने निवेदन किया कि जब थानेदार वापस लौट रहे थे, तो टाउन एरिया के चेयरमैन ने कहा कि मुझे सन्देह है कि कुछ लोग ईख के खेत में छिपे हुए हैं। थानेदार का तो फर्ज है कि वह अपने क्षेत्र के हिस्टरीशीटर आदि की बगैर वारेन्ट के भी जांच करे और लोगों से उसके बारे में पूछतांछ करे।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब टाउन एरिया के चेयरमैन को सन्देह हुआ तो वहां पर और लोग जो जुट गये या जमा हो गये, इसकी क्या वजह थी?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने आपसे निवेदन किया कि टाउन एरिया के चेयरमैन को सन्देह हुआ तो साधारण सी बात है कि ऐसे मौके पर टाउन एरिया के या गांव के भी कुछ लोग चले ही आते हैं और इसी तरह से वे लोग वहां इकट्ठा हो गये। फिर ईख में घुसने की बात थी और कुछ बदमाशों को पकड़ना था, इसलिए थानेदार ने और लोगों को भी टोली बना कर ललकारने के लिए कहा और आगे अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। उस टोली के ललकारने पर जब वह बदमाश निकला तो उसने थानेदार पर गोली चलायी, फिर थानेदार ने भी अपने बचाव के लिए उस पर गोली चला दी। यही बात थी।

कालिन्जर के रंगिया चमारों से बेगार लेना

*२३---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला बांदा के ग्राम कालिंजर में चमड़े की रंगाई व जूता बनाने का कार्य रंगिया चमारों द्वारा होता है जिन का एक मोहल्ला अलग है और जिन्हें वहां की स्थानीय पुलिस पकड़ कर और उनका काम बन्द करा के उनसे बेगार में काम लेती है और उनका काम बन्द करा देती है?

श्री बंशीधर पांडेय---

ग्राम कालिंजर में रंगियों का एक मुहल्ला है जिस में ये लोग चमड़े की रंगाई व जूता बनाने का काय करते हैं; परन्तु यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा इन्हें पकड़कर बगार लिया जाता है।

*२४—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार इस प्रणाली को बन्द कराने की कृपा करेगी और इस की अविलम्ब जांच कराके उन गरीब व्यवसाइयों को राहत देगी? यदि हां, तो कब; यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मतोलासिंह—

क्या मेरी सूचना पर सरकार जांच करायेगी कि रंगियों का मुहल्ला थाने से बिलकुल मिला हुआ है और वह उन्हें पकड़ कर बेगार कराते हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं।

श्री मतोलासिंह—

क्या मेरी सूचना को सही मानकर सरकार आश्वासन देगी कि आगे रंगिये बेगार में उनके द्वारा न पकड़े जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

जब वह कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं, तो आश्वासन वह क्या दें?

श्री अम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर कि वह अब भी बेगार में पकड़े जाते हैं, फिर से इस की जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उत्तर हो गया।

सचिवालय में अधीक्षकों का चुनाव

*२५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ में उत्तर प्रदेश के सिविल सेक्रेटेरियट के सुपरिन्टेंडेंट्स का जो चुनाव हुआ वह किस आधार पर किया गया और वह नियमानुसार क्यों नहीं हुआ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९६३ में उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधीक्षकों का चुनाव सम्यक चयन के आधार पर (by strict selection on merit) लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया और यह नियमानुसार हुआ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नियमों में जब यह है कि उनका इन्टरव्यू होना जरूरी है तो वह क्यों नहीं किया गया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह नियमों में भी जरूरी नहीं है, इसी लिए नहीं हुआ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जो त्रुटि हुई है क्या यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने मुख्य मन्त्री को उसके सम्बन्ध में कोई रिप्रेजेन्टेशन किया था और उसमें क्या आपत्तियां की थीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं है, एक साधारण-सी बात है कि सुपरिंटेंडेंट का जो सेलेक्शन हो वह मेरिट के हिसाब से हो या सीनियारिटी प्लस बिना किसी खराबी वाला रोल हो। सन् ४२ से पहले यह नियम था और उन की खास पोस्ट्स हैं जिन में ऐसे आदमी देखरेख के बाद रखे जायं। नियम था कि सेलेक्शन मेरिट से हो। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस को दोहराया और यह सेलेक्शन भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ, इसमें कोई अनियमितता की बात नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं, रिप्रजेन्टेशन जो किया गया था उसके सम्बन्ध में फिर जानना चाहता हूं कि वह उन को मिला या नहीं और यदि मिला तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मन्त्री जी ने यू० पी० सेक्रेटेरियट के सुपरिंटेंडेंट्स के रूल्स पढ़े हैं ? क्या वह रूल ७ देखने की कृपा करेंगे जिसमें साफ लिखा है कि इन्टरव्यू होना चाहिए और वह नहीं हुआ ? तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि इन्टरव्यू उसमें नहीं है।

बाजपुर चीनी मिल में नियुक्तियां तथा ठेके

*२६--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल), के प्रबंधक ने माह अगस्त सन् १९६३ से अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को सीजनल या परमानेंट सेवाओं में नियुक्त किया है जो पहले कभी उपरोक्त फैक्टरी की सेवा में नहीं रहे हैं और उनके नामों की सूची क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

निर्दिष्ट फैक्टरी के प्रबंधक ने माह जुलाई सन् ६३ से अब तक ऐसे व्यक्तियों को जो पहले कभी उक्त फैक्टरी में नहीं रहे, सीजनल या परमानेन्ट सेवाओं में नियुक्त किया और उनके नामों की सूची संलग्न तालिका "क" में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९६-२९७ पर)

*२७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शुगर फैक्टरी के कितने कर्मचारी अगस्त सन् १९६३ से फरवरी, १९६४ तक नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके नामों की सूची क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्नशर्मा--

उक्त फैक्टरी के १२ कर्मचारी निर्दिष्ट अवधि में नौकरी से त्याग-पत्र दे चुके हैं और उनके नामों की सूची संलग्न तालिका "ख" में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९८ पर)

*२८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शुगर फैक्टरी के जनरल मैनेजर द्वारा जुलाई, सन् १९६३ से फरवरी, सन् १९६४ तक चूना भट्ठी, शुगर बैगिंग इत्यादि के ठेके बिना टेण्डर मांगे दिए जाने का क्या कारण है?

श्री शान्तिप्रपन्नशर्मा--

महंगाई और मजदूरी में वृद्धि के कारण टेंडर मांगने पर रेट अधिकतर पिछली दरों से अधिक दिए गए। अतएव ऐसे समस्त ठेके पिछले रेट पर या उससे भी कम रेट पर पारस्परिक बातचीत द्वारा तय किए गए, जिससे फैक्टरी को लगभग १०,००० रुपए की बचत हुई।

*२९-३१--श्री मतोला सिंह--

[२८ जुलाई, १९६४ को प्रश्न ८१-८३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सतर्कता आयोग

*३२--श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक प्रदेशीय निगरानी आयोग के सम्मुख कौन-कौन मामले पेश किए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सतर्कता आयोग की स्थापना सम्बन्धी आदेश ८ जुलाई को जारी हुए अतः आयोग का कार्य अभी पूरी तरह आरम्भ नहीं हुआ।

सूचना विभाग की डायरियां

*३३--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६४ के लिए सूचना विभाग ने कितनी डायरियां तैयार कीं तथा इनमें से कितनी खुले बाजार में बेचने के लिए जिलों को भेजी गयीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

२८,००० डायरियां तैयार की गयीं और निःशुल्क वितरण के अतिरिक्त सब डायरियां खुले बाजार में बेची गयीं।

*३४--श्री बसन्तसिंह--

क्या यह सच है कि जिलों में डायरियां पहुंचाने के लिए गजटेड अधिकारी भेजे गए जब कि ये डायरियां रेल द्वारा भेजी जा सकती थीं? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

नोटः--तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चीनी उत्पादन

*३५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चीनी का उत्पादन लक्ष्य से कितना कम है और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय सरकार ने १९६३–६४ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन्स नियत किया था और प्रदेश में चीनी का उत्पादन लगभग ११ लाख टन्स हुआ है, क्योंकि पेराई के लिए गन्ने की उपलब्धि को देखते हुए यह लक्ष्य बहुत अधिक था।

सचिवालय में अधीक्षकों का चयन

*३६—श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

क्या यह सच है कि शासन के आदेश संख्या ३९६२/२-बी०—६४–५५, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५९ द्वारा यह निर्णय किया गया था कि राजकीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए योग्यता का सिद्धांत माना जायगा जब कि अधीनस्थ सेवाओं में पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता का आधार उन व्यक्तियों को छोड़कर जो अयोग्य पाए जायं, माना जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उल्लिखित आदेश कथित पत्र में नहीं वरन् परिपत्र संख्या ३९६२/२–बी–५०–१९५५ दिनांक २७ दिसम्बर, १९५६ में जारी किए गए थे।

*३७—श्री तमेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सचिवालय के अधीक्षकों के पद अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत रखे गए हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर पदोन्नति के लिए अयोग्य पाए गए व्यक्तियों को छोड़कर योग्यता के सिद्धांत को क्यों नहीं अपनाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, सचिवालय के अधीक्षक के पद अधीनस्थ सेवाओं के अतर्गत हैं, परन्तु उनके महत्व को देखते हुए सरकार ने उनमें पदोन्नति के लिए योग्यता के आधार पर सम्यक चयन (strict selection on merit) का सिद्धांत अपनाया है।

चीनी मिलों पर बकाया

*३८—श्री कमलासिंह यादव, श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में हर शुगर फैक्टरी पर किसानों का कितना-कितना रुपया बकाया है ? उसको दिलाने के लिए सरकार क्या यत्न कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१ जुलाई, १९६४ को प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की जो रकम बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। गन्ना आयुक्त ने अधिकांश देनदार चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिया है।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ २९९–३०० पर)

अन्ध विद्यालय

*३९--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने अन्धे बच्चों के स्कूल्स हैं और उनमें कितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--

इस समय उत्तर प्रदेश में ११ गैर-सरकारी तथा २ सरकारी अन्ध विद्यालय चल रहे हैं। जून, १९६४ को समाप्त होने वाले शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या ३६२ थी।

*४०--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह अन्धे बच्चों का एक स्कूल जिला बुलन्दशहर में स्थापित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं।

चालू तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई नया अन्ध विद्यालय स्थापित करने का प्राविधान नहीं है।

सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी

*४१--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं ? उन्हें कब तक स्थायी किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के केवल निम्नलिखित पद ऐसे हैं जो दस साल के उपरान्त अस्थायी चल रहे हैं :--

दफ्तरी	२
जमादार	१
चपरासी	२

ये पद उन विभागों से सम्बन्धित हैं जो या तो अब भी अस्थायी हैं या हाल तक अस्थायी रहे हैं। इन पदों को स्थायी करने का फिलहाल विचार नहीं है।

*४२-४४-श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण--

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

उद्योग-ऋण वितरण सम्बन्धी सुझाव

*४५--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या मुख्य मन्त्री तुरन्त ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उद्योग समितियों तथा डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के द्वारा दिया गया कर्जा बी० डी० ओज० के द्वारा कहां तक और कितनों में दिया जाय जबकि कर्जा लेने वाला उद्योग को शुरू कर दे तथा उद्योग उन्हीं की देख-रेख में रहे ताकि कर्जे का सदुपयोग हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सदस्य महोदय का सुझाव विचाराधीन है।

राज्य चिन्ह का इतिहास

*४६---श्री कमलासिंह यादव, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह (crest) क्या-क्या संकेत करता है और इसका इतिहास क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सुनहरी लहरदार रेखायें राज्य की पवित्र नदियों---गंगा तथा जमुना--के संगम की प्रतीक हैं। राम का धनुष वेदों में दिए हुए भारत के प्राचीन इतिहास तथा साहित्य को व्यक्त करता है। मछलियां अवध के मुसलमान शासकों के चिन्ह से ली गई हैं। राज्य चिन्ह (crest) के इतिहास के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३०१ पर)

बन्दूक का लाइसेंस

*४७---श्री बसन्तसिंह---

क्या सरकार ग्रामों में बढ़ती हुई डकैतियों की रोक-थाम के लिए ग्रामवासियों को बन्दूक के लाइसेन्स देने के नियमों व प्रक्रिया के बारे में ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी जिससे प्रत्येक सच्चरित्र व्यक्ति सरलता से बन्दूक का लाइसेन्स प्राप्त कर सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जहां तक बन्दूक के लाइसेन्स देने के नियमों का सम्बन्ध है, नियम बहुत उदार है। प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें बन्दूक को सुरक्षित रखने की क्षमता, योग्यता हो, जिसका चरित्र अच्छा हो और यदि लाइसेन्स अधिकारी यह न समझता हो कि उन्हें लाइसेन्स देना सार्वजनिक शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा के हित में न होगा, तो लाइसेन्स दिया जा सकता है। जहां तक डकैतियों के रोक-थाम के लिए, ग्रामवासियों को बन्दूक के लाइसेन्स देने का सम्बन्ध है, समस्त जिलाधीशों को ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं कि प्रत्येक ग्राम के कुछ योग्य और विश्वसनीय व्यक्तियों को लाइसेन्स दिए जायं और उन्हें लाइसेन्स देने में शीघ्रता बर्ती जाये।

देवरिया जिले में सीमेंट की बोरियों में कमी

*४८--श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में चुर्क सीमेंट फैक्टरी से आने वाले सीमेंट के बोरों में १० से १२ किलो तक सीमेंट कम प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या दूसरे जिलों से भी ऐसी शिकायतें सरकार को मिली हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

देवरिया जिले में चुर्क सीमेंट फैक्टरी से जाने वाले सीमेंट के बोरों में १० से १२ किलो तक सीमेंट की कमी की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि इस फैक्टरी में सीमेंट के बोरे सही मात्रा में स्वयंचालित तौल द्वारा भरे जाते हैं जिनमें १ किलो तक कम या अधिक, जो कि मान्यता प्राप्त है, हो सकता है। इन मशीनों की समय-समय पर जांच तथा मरम्मत होती रहती है तथा अधिकारियों द्वारा सही तौल का निरीक्षण हर एक पालियों में होता रहता है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि ये सीमेंट के बोरे देवरिया पहुंचने के पहले कई स्थानों पर उतारे चढ़ाए जाते हैं, जिनमें से बड़ी लाइन के डिब्बों से छोटी लाइन के डिब्बों में पलटाई के समय की असावधानी से कुछ मात्रा में बोरों से सीमेंट निकल जाने की सम्भावना हो सकती है।

बलिया और बहराइच जिलों से भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। किन्तु १० से १२ किलो तक सीमेंट की कमी की कोई सम्भावना नहीं है।

हरिजन छात्रावास

*४९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किन-किन जिलों की किन-किन शिक्षा संस्थाओं में हरिजन छात्रावास बनाने के लिए धन दिए जाने की योजना है?

डाक्टर सीताराम—

किसी संस्था में नहीं है।

एस० पी० झांसी को थाना बड़ा गांव के विरुद्ध शिकायतें, एस० पी० जालौन को गुलाम हुसैन ड्राइवर की शिकायत तथा झांसी—कानपुर ट्रेन में लूट की घटना

*५०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि थाना बड़ा गांव, जिला झांसी, में दिनांक १ जनवरी, १९६३ से दिनांक १५ अप्रैल, १९६४ तक कितनी चोरियां हुई व कितने अभियुक्तों के चालान हुए व क्या यह भी सत्य है कि एस० पी०, झांसी को बड़ागांव की जनता द्वारा इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि एस० ओ०, बड़ा गांव, चोरियों की रिपोर्ट नहीं लिखने देते और अभियुक्तों को छोड़ देते हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना बड़ागांव, जिला झांसी में, १—१—६३ से १५—४—६४ तक चोरी की ३२ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। १८ घटनाओं की जांच की गई और एक घटना के सम्बन्ध में एक अभियुक्त का चालान किया गया।

यह सही है कि एस० पी०, झांसी को बड़ागांव के कुछ निवासियों से प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की जांच कराई गई। किन्तु एस० ओ० के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः इस सम्बन्ध में एस० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*५१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी बुन्देलखण्ड मोटर कर्मचारी यूनियन, ने जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिलाधीश झांसी को माह अप्रैल, १९६४ में इस आशय की लिखित शिकायत की है कि बस ड्राइवर गुलाम हुसैन को उरई के सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस द्वारा बस उनके आदेश पर न रोकने के कारण २ घंटे उरई कोतवाली में अपने हुक्म से बन्द रखा व बाद को फर्जी मुकदमा बनाकर उसका चालान, जांच से बचने के लिए किया गया? यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की थीं व जांच अधिकारी द्वारा क्या किया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिलाधीश, झांसी को अप्रैल, १९६४ में इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं प्राप्त हुई। जुलाई, १९६४ में एस० पी०, जालौन को डाक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था जिसमें यह अंकित किया गया था कि बुन्देलखण्ड मोटर कर्मचारी संघ के कार्यालय में ड्राइवर गुलाम हुसैन का इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था कि सी० आई० ने उनसे टाइम समाप्त होने पर बस स्टैन्ड पर बस रोकने को कहा और उनके बस न रोकने पर उरई थाने में

थानेदार को आदेश देकर इन्हें बन्द करा दिया तथा २ घंटे बन्द रखा। ड्राइवर के विरुद्ध मोटर व्हेकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायत की जांच नहीं की गई है।

*५२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी-कानपुर ट्रेन में, जो झांसी से करीब ४-३० बजे शाम को चलती है दिनांक २९ अप्रैल, १९६४ की रात को भीमसेन स्टेशन के समीप उसके एक डिब्बे में छुरा दिखाकर यात्रियों को लूट लिया गया ? लूटने वालों में क्या एक पुलिस का थानेदार भी था ? लूटने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितना नुकसान हुआ और उक्त घटना को देखते हुये आगे सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २९-४-६४ को रेलवे स्टेशन बिनौर और भीमसेन के बीच ४ अज्ञात व्यक्तियों ने झांसी-कानपुर ट्रेन में एक यात्री को छुरा दिखाकर उसका सामान लूट लिया लूटने वालों में पुलिस का कोई थानेदार था, ऐसी कोई शिकायत नहीं की गयी ।

इस घटना के संबंध में अभी कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है । इस घटना में ३५९ रु० की कीमत का सामान तथा १५० नगद लूटा गया ।

सुरक्षा के लिये सादे कपड़ों में पुलिस के कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

गोरखपुर जिले में खाद के कारखाने की स्थापना

*५३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जो खाद का कारखाना खुल रहा है उसमें प्रान्तीय सरकार अपने बजट से कुल कितना रुपया अप्रैल सन् १९६४ तक उपरोक्त कारखाने के निर्माण हेतु दे चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उल्लिखित करखाने की स्थापना भारत सरकार फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा करा रही है । अतः प्रदेशीय सरकार द्वारा उसके निर्माण कार्य हेतु अपने आयव्ययक से कोई व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता । हां, भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने अप्रैल सन् १९६४ तक लगभग २३ लाख रुपये व्यय किये हैं ।

*५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई समझौता इस बात का किया है कि उपरोक्त कारखाने को पिछड़े क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। अतः नौकरियों में प्राथमिकता वहां के लोगों को दी जाय ? यदि हां, तो उसकी अब तक क्या प्रगति है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था । फिर भी प्रदेशीय सरकार इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रही है कि उक्त कारखाने में इस प्रदेश के और स्थानीय लोगों को अधिकाधिक नौकरियां मिलें और इसके फलस्वरूप उक्त कारखाने में अब तक जो २९४ व्यक्ति रखे गये हैं उनमें १९२ इसी प्रदेश के हैं जिनमें से १४० गोरखपुर अथवा उसके पास-पड़ोस के हैं ।

चमोली जिले में पुलों की स्वीकृति

*५५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चमोली जिले में पट्टी खनसर के अन्तर्गत मेहल चौरी व बछुवाबाण के बीच रामगंगा में तथा छोटे-बड़े नालों में पुलों का अभाव है ? यदि हां, तो कहां-कहां पुलों के निर्माण करवाने का निश्चय किया है ? क्या इस क्षेत्र में स्यूणीगाड़ व खनसरगाड़ नाम के नालों में भी सरकार पुलों के निर्माण करवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, उक्त क्षेत्र में पुलों के अभाव को दृष्टि में रखते हुये शासन ने निम्नलिखित पुलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है —

(१) सोनीगाड पर,

(२) टोटाटीगाड पर,

(३) खनसरगधेरा पर, तथा

(४) रायकोट में रामगंगा पर ।

*५६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी—

क्या सरकार ने मेहलचौरी से बछुवाबाण तक सड़क निर्माण करवाने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं ? और क्या इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का एलाटमेंट हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, सड़क का एलाटमेंट भी तय हो गया है ।

खीरी जिले में श्री इमदाद हुसैन जाफरी की गिरफ्तारी

*५७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला लखीमपुर खीरी में १२ मई, १९६४ के आसपास कोई इम्दाद हुसैन जाफरी नामक व्यक्ति सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो इन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । जिला खीरी में दिनांक ११ मई, १९६४ को सैयद इम्दाद हुसैन जाफरी को डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स १९६२ के नियम ४५(४) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । श्री जाफरी के कब्जे से "मुसलमानों दिल्ली चलो" नामक आपत्तिजनक उर्दू पर्चे की दो प्रतियां बरामद हुई । इस पर्चे को उ० प्र० सरकार द्वारा २४ जुलाई, १९६३ को जब्त घोषित कर दिया गया है । तथा उसके वितरण पर निषेध लगा दिया गया है और साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि जिसके पास उक्त पर्चे हों वे उसे पुलिस के पास जमा कर दें । श्री जाफरी की गिरफ्तारी उपरोक्त सरकारी आदेश के उल्लंघन के कारण की गई है । इस समय यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

*५८—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या उक्त व्यक्ति इसके पूर्व भी एक बार डी० आई० आर० में पकड़ा गया था तथा फिर छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों छोड़ दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । श्री जाफरी इसके पूर्व दिनांक ९ जुलाई, १९६३ को डी० आई० आर० के नियम ४१(ए) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे। चूंकि मामला इस योग्य नहीं पाया गया कि न्यायालय भेजा जा सके, इसलिये मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और श्री जाफरी २६ जनवरी, १९६४ को छोड़ दिये गये थे ।

*५९--श्री मन्नालाल--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब कि श्री जाफरी दुबारा पकड़े गये हैं तो जिन्होंने इन्हें पहले छुड़ाया था उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या करने का विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्री जाफरी पहले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं छुड़ाये गये थे । वरन केस में फाइनल रिपोर्ट लगने के कारण छूट गये थे । अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में अधीक्षकों का चयन

*६०--श्री प्रेमसिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सिविल सेक्रेटरियेट सुपरिन्टेन्डेंट का जो सेलेक्शन १९६३ में हुआ था उसके लिये इन्टरव्यू लिया गया था, यदि लिया गया तो कौन-सी तिथि को लिया गया ? यदि नहीं लिया गया, तो क्यों नहीं लिया गया और किस आधार पर नियुक्तियां की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। इन्टरव्यू आवश्यक नहीं था । नियुक्तियां लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की गई ।

*६१--श्री कल्पनाथसिंह--

[२९ जुलाई, १९६४ को प्रश्न १३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*६२--श्री चन्द्रबली सिंह--

[१३ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ने का भाव

*६३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री गेंदासिंह तथा श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने १९६४-६५ के पेराई के सीजन के हेतु गन्ने का भाव २ रुपया प्रति मन करने का सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजा था वह सुझाव स्वीकृत हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, किन्तु केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

*६४--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

[प्रश्नकर्त्ता के विधान परिषद् का सदस्य होने के कारण हटा दिया गया ।]

शक्कर की एक्स मिल कीमत

*६५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ने की कीमत न बढ़ने पर भी शकर की एक्स मिल कीमत में वृद्धि क्यों कर दी गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान सीजन १९६३–६४ के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य रिकवरी के आधार पर १.७५ रु० प्रति मन निर्धारित किया गया था किन्तु सीजन के दौरान में उन्होंने चीनी मिलों को १–११–६३ से गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रतिमन की दर से देने के लिये अधिकृत कर दिया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मिलों द्वारा गन्ने का मूल्य २ रुपये चार आने से २ रुपये ६ आने की दर से दिलाने के लिये गन्ना क्रय कर में २१–२–६४ से रियायतें दीं। गन्ने की कीमतों के बढ़ने तथा वास्तविक चीनी के परते (रिकवरी) पेराई समय का काल, यातायात संबंधी छुट, आदि तत्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा २२ मई, १९६४ से चीनी की अधिकतम एक्स फैक्टरी कीमत इस प्रकार नियत की गई :

	वर्तमान मूल्य (प्रति क्वींटल)	पिछला मूल्य (प्रति क्वींटल)
	रु०	रु०
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये	१२०.२५	११६.००
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये—		
(क) मेरठ, मुजफ्फरनगर, व बुलन्दशहर जिलों के लिये	१३१.००	११६.५०
(ख) सहारनपुर व देहरादून जिलों के लिये ..	१२३.००	११६.५०
(ग) रुहेलखंड व आगरा डिवीजन के लिये ..	१२०.५०	११५.२५
(घ) लखनऊ डिवीजन के लिये ..	११३.२५	११५.२५

*६६—श्री प्रेमसिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[हटा दिया गया।]

*६७—श्री कमलासिंह यादव, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

[हटा दिया गया।]

होम गार्ड बस्ती में गबन

*६८—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सकार का ध्यान दिनांक १८ जनवरी, १९६४ "दैनिक भारत" में प्रकाशित बस्ती जिले में रक्षक दल के गबन सम्बन्धी समाचार पर गया है ? उपरोक्त समाचार में तथ्य क्या है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । दिनांक ३-१-१९६४ को श्री जयदेव, क्वार्टर मास्टर, प्रथम बटालियन, होम गार्ड, बस्ती, ट्रेनिंग कैम्प में व्यय से सम्बन्धित कुल ४,६१७ रुपये ५१ पैसे लेकर भाग गये। इसकी सूचना मिलते ही मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई । श्री जयदेव के विरुद्ध, जो कि फरार है, भारतीय दंड संहिता की धारा ४०९ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तराखंड में सब-रजिस्ट्रार व कृषि अधिकारी न होना

*६९--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जिले चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में सह-निबन्धक (असिस्टेंट रजिस्ट्रार) सहकारिता व कृषि अधिकारी के स्वीकृत पद नहीं है और आज-कल दूसरे जिलों के इन विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा कार्य लिया जाता है ? ऐसा क्यों और किस कारणों से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । ऐसा अनुभव किया गया कि इन नव-निर्मित छोटे-छोटे जिलों के लिये उक्त पदों को अलग से सृजन करने की आवश्यकता नहीं थी ।

*७०--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार सहकारिता व कृषि के महत्व तथा उपयोगिता को देखते हुये चमोली व उत्तराखण्ड के अन्य दो जिलों में शीघ्र ही उपर्युक्त दो अधिकारियों की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस प्रश्न पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है ।

अतांराकित प्रश्न

आब्जर्वेशन होम, वाराणसी पर व्यय

१--श्री हरिगैनराम--

क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के आब्जर्वेशन होम (पर्यवेक्षण-गृह) से जो तीन लड़के हिरासत से अधीक्षक की मौजूदगी में गायब हो गये उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--

इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी थी । बाद में एक लड़का पकड़ा गया तथा उसको न्यायालय की आज्ञा से आब्जर्वेशन होम में पुनः रखा गया । इस घटना के समय सहायक अधीक्षक सदन (आब्जर्वेशन होम) में उपस्थित नहीं थे । सहायक अधीक्षक को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गयी है ।

२--श्री हरिगैनराम--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में इस योजना पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है और वह किस कार्य में खर्च होता है ?

डाक्टर सीताराम--

पर्यवेक्षण गृह वाराणसी पर सन् १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में क्रमशः ८,३१० रु० ५५ न० पैसे तथा १२,६०५ रु० ५९ न० पै० व्यय किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

व्यय की मदें	वित्तीय वर्ष १९६२-६३	वित्तीय वर्ष १९६३-६४
	रु० नये पै०	रु० नये पै०
१--कर्मचारियों का वेतन	२,२००.४७	३,६०१.०७
२--महंगाई भत्ता तथा मानदेय.. ..	९३४.६८	१,६५७.७६
३--यात्रा भत्ता	६९.०८	७८.६१
४--बच्चों का भरण पोषण	३,६५५.५६	५,१९९.६८
५--मकान का किराया	१,१८०.६५	१,६६४.५२
६--यातायात व्यय	११३.८०	५२.२१
७--बिजली और पानी	६०.३०	१८१.३६
८--अन्य विविध व्यय	९६.०१	१७०.३८
योग ..	८,३१०.५५	१२,६०५.५९

हरदोई जिले में उद्योग-ऋण

३--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई जिले में १९५८ से १९६३ तक स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री में ५,००० रुपये से अधिक कर्जा किन-किन व्यक्तियों को और किस किस कार्य के लिये किस-किस सन् में दिया गया तथा उन लोगों ने उस रुपये से कौन-कौन इंडस्ट्री का कार्य शुरू किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना संलग्न सूची में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०२-३०३ पर)

नजीबाबाद थाने में भैंसें बध करने की जांच

४--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिला के मागूवाला गांव, थाना नजीबाबाद में श्री प्रताप सिंह ने दिसम्बर, १९६३ में मन्ना कसाई, गांव मागूवाला, जिला बिजनौर के खिलाफ कोई रिपोर्ट ३ भैंसे कत्ल करने के संबंध में की थी और भैंसों के सर और खाल सब-इंस्पेक्टर थाना नजीबाबाद ले गये थे ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविंदसिंह--

श्री प्रताप सिंह द्वारा इस आशय की कोई रिपोर्ट थाना नजीबाबाद में न तो दर्ज कराई गयी थी और न सब-इंस्पेक्टर नजीबाबाद भैंसों के सर व खाल ही ले गए थे ।

दिनांक ११ दिसम्बर, १९६३ को ग्राम जयदेवपुर कुम्भी खाल सिगडेडी थाना कोटद्वारा, जिला गढ़वाल, निवासी श्री कृष्णानन्द ब्राह्मण की चोरी गई ९ रास भैंसों के बारे में श्री तारादत्त ने दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ को थाना नजीबाबाद में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह भैंसों की खोज में ग्राम मागूवाला पहुंचे तो वहां मन्ना कसाई के पुत्रों द्वारा अपने ही मकान में काटी गई ३ भैंसों के सर व खाल देखे वह पहचाने। श्री कृष्णानन्द ने भी उसी दिन इस चोरी की बाबत थाना कोटद्वारा में रिपोर्ट कर दी थी। इस पर थानेदार कोटद्वारा नजीबाबाद के एक सब-इंसपेक्टर व श्री कृष्णानन्द व तारादत्त के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्तों के घर से तीन भैंसों के सर व खाल बरामद कर डाक्टरी परीक्षा के लिए भेज दिया। सभी अभियुक्त फरार था; अतः उनके विरुद्ध दंड विधि संहिता P.C. की धारा ८७-८८ की कार्यवाही की गई जिससे १ अदालत में हाजिर हो गया, ५ पकड़े गए तथा शेष १ फरार हैं। जांच जारी है।

लखनऊ में दफा १४४

५—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ शहर में सन् १९६२ तथा सन् १९६३ में किस किस अर्से में दफा १४४ लगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

६-७—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये।]

सचिवालय में सहायक अधीक्षक

८—श्री तमेश्वरप्रसाद—

क्या यह सच है कि अभी हाल ही में सचिवालय में सहायक अधीक्षकों के एक नये पद का निर्माण किया गया है तथा १०० व्यक्तियों को उन पदों पर स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो इन स्थायी सहायक अधीक्षकों में से कितने ऐसे हैं जो सचिवालय में अधीक्षक के पद पर नहीं चुने गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। स्थायी सहायक अधीक्षकों में से केवल ७ व्यक्ति ऐसे हैं जो सचिवालय के अधीक्षक के पद के लिए नहीं चुने गये।

९—श्री तमेश्वरप्रसाद—

क्या यह सच है कि सरकार ने २५ सहायक अधीक्षकों के पदों को अधीक्षकों के पद में परिवर्तित किया है, किंतु इन नये नियुक्त किये अधीक्षकों के कर्त्तव्य आदि वही हैं जो पुराने सहायक अधीक्षक के थे ? यदि हां, तो इस सहायक अधीक्षक के पदों को अधीक्षक के पदों में परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

मुहम्मदाबाद थाने में श्री भाभीराम यादव की रिपोर्ट

१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़, के विकास खण्ड के प्रमुख श्री भाभीराम यादव को मोहम्मदाबाद गोहना से घर जाते हुए कुछ व्यक्तियों ने ९ जनवरी, १९६४ को बन्दूक तथा अन्य अस्त्रों से हमला कर के जबरदस्त घायल कर दिया ? यदि हां, तो सम्बन्धित मुकदमा अदालत में कब गया और यदि नहीं गया है, तो अब तक न जाने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना मोहम्मदाबाद में इस आशय की सूचना श्री भाभीराम यादव ने दिनांक ९ जनवरी, १९६४ को अंकित करायी कि जब वह उस तरीख को करहा बाजार से अपने गांव लौट रहे थे तो ७ बजे शाम रास्ते में उनके ऊपर बन्दूक से फायर किया गया, जिससे उनके शरीर पर छर्रों की चोटें आयीं। इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा अनुसन्धान जारी है।

११–१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह—

[३ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या ५३–५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

१३–१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह—

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

१५—१७—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

[हटा दिये गये।]

१८–१९—श्री रियासत हुसैन—

[पुनर्विचार के उपरान्त अस्वीकार किये गये।]

पूर्वी जिलों के लिये उद्योग

२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया जिले में अलग-अलग कौन-कौन उद्योग खोले जा रहे हैं और कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३०५–३०६ पर।)

२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० सं० No. V-214/M—XVIII—424 (G)-57, दिनांक २३ अप्रैल, १९५८ के अनुसार कितनी जगहें लेदर ट्रेनिंग स्कीम (उद्योग विभाग) में स्थायी की गयीं और उन में कितनी जगहों पर स्थायी लोग नियुक्त हो चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लेदर ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत ५८ पदों को १ अप्रैल, १९५८ से स्थायी किया गया और उन में से दो पदों पर स्थायी नियुक्ति हो चुकी हैं।

ललितपुर सब-डिवीजन में अपराध

२२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर सब-डिवीजन में दिनांक १ जनवरी, १९६४ से १५ अप्रैल, १९६४ तक कितनी कत्ल व डकैती, राहजनी व अपहरण की घटनायें डाकुओं द्वारा की गयीं व कितने अपराधी पकड़े जा सके और कितने मुकदमे न्यायालय में कामयाब हुये, कितने मामलों के चालान पुलिस द्वारा किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३०७ पर।)

झांसी जिले में चोरियां तथा समथर के दरोगा के खिलाफ शिकायतें

२३—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एक जनवरी, सन् १९६३ से १५ अप्रैल, १९६४ तक झांसी में थाना नवाबाद व थाना सदर बाजार व शहर के अन्तर्गत कितनी चोरियां हुयीं व उनमें कितने मुकदमे अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चले और कितने अपराधी दण्डित कराये जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

६११ चोरियों के मुकदमे अंकित किये गये जिनमें से ८९ मुकदमे न्यायालय में चले और ५६ अपराधी ५० मुकदमों में दण्डित हुये।

२४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक २ मार्च, १९६४ व ३ मार्च, १९६४ में श्री मुकुन्दी ग्राम कड़ूरा, थाना सिमथर, जिला झांसी, द्वारा जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान झांसी को इस आशय की लिखित शिकायत की गयी कि एस० ओ० समथर द्वारा उसको नाजायज तरीके पर १४ दिन थाने में रोके रखा व उस पर व उस की पत्नी पर दबाव डाला कि उसकी पत्नी एस०ओ० की एक पत्नी के रूप में उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त एस० ओ० के विरुद्ध इसी प्रकार की अन्य शिकायतें जब कि वह थाना बबीना में थे पुलिस कप्तान झांसी से की जा चुकी हैं ? यदि यह सत्य है, तो जांच अधिकारी कौन थे व क्या कार्यवाही की गयी ? क्या आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उक्त एस० ओ० के विरुद्ध सरकार सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २ मार्च, १९६४ को श्री मुकुन्दी निवासी ग्राम कड़ूरा थाना समथर, जिला झांसी, ने स्टेशन आफिसर समथर के विरुद्ध प्रश्न में अंकित आशय की लिखित शिकायतें जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान झांसी को भेजी थीं। यह सही नहीं है कि उक्त एस० ओ० के विरुद्ध इसी प्रकार की अन्य शिकायतें, जब वे थाना बबीना में थे, तब पुलिस अधीक्षक, झांसी से की जा चुकी हैं।

जांच के फलस्वरूप २ मार्च, १९६४ के शिकायती-पत्रों में अंकित आरोप सिद्ध नहीं हुए। अतः थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सी० आई० डी० द्वारा जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

चमोली में पेय-जल का अभाव

२५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि चमोली जिले के हेड क्वार्टर चमोली की जनता में से कुछ लोग एक लम्बे अर्से से पीने के पानी की मांग करते चले आ रहे हैं? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र वहां पीने के पानी के सम्बन्ध में पेश हुये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चमोली नगर की जनता के लिए मुख्य अभियन्ता, स्वायत प्रशासन अभियन्त्रण विभाग, द्वारा पीने के पानी की एक योजना बनायी गयी और पूरी हो गयी। इसके अन्तर्गत पीने का पानी स्टैण्ड पोस्ट द्वारा देना भी शुरू कर दिया गया है। पीने के पानी के सम्बन्ध में वहां १० प्रार्थना-पत्र पेश हुये हैं।

२६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली की जनता के उन लोगों की मांग पूर्ण क्यों नहीं की जा रही है कि जो निजी मकानों पर पीने के पानी के कनेक्शन चाहते हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

निजी मकानों पर पीने के पानी के कनेक्शन इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि वाटर सप्लाई की योजना बन तो गयी है परन्तु उसकी देखरेख के सम्बन्ध में कतिपय प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं।

चमोली जिले का औद्योगीकरण

२७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

चमोली सीमान्त जिले के औद्योगीकरण के लिए सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं और किन-किन लघु कुटीर मध्य श्रेणी के व बड़े उद्योगों की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चमोली जिले के औद्योगीकरण के लिए जो उद्योग-धन्धे चालू किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। भविष्य में संचालित किये जाने वाले सम्भावित उद्योग-धन्धों की भी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३०८ पर)

२८-२९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

ग्रेट ओरियन्टल सर्कस

३०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओरियण्टल सर्कस ने जौनपुर जिले में किन-किन स्थानों पर और कितने दिनों तक खेल दिखलाया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्रेड ओरियण्टल सर्कस ने जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में २६ अप्रैल से ५ मई, १९६४, तथा जौनपुर शहर में ८ मई से २६ मई, १९६४ तक खेल दिखलाया।

३१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त सर्कस से मनोरंजन कर के रूप में कितना धन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

रु० १०,९२१.०५ पैसा।

३२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त सर्कस अब कहां चल रहा है और उसे प्रदेश में कितने दिनों तक खेल करने की आज्ञा प्राप्त है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार उक्त सर्कस २३ जुलाई, १९६४ से एक माह के लिए जिलाधीश, बांदा से बांदा शहर में खेल दिखलाने के लिए आज्ञा प्राप्त की है।

प्रदेश में कितने दिन यह खेल दिखावेंगे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियमानुसार जिले में खेल दिखलाने की इजाजत जिलाधीश देते हैं। प्रदेश भर के लिए कोई Blanket Sanction नहीं दी जाती है।

जौनपुर जिले में अपराध स्थिति तथा नये थाने

३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के विभिन्न स्थानों के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६४ से ३१ मई, १९६४ तक कहां-कहां डाका, आतिशजनी, चोरी, कत्ल तथा तेजाब डालने की घटनायें हुयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३०९–३११ पर।)

३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त अपराधों की रोक-थाम के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन अपराधों की रोक-थाम के लिए धारा १०७/११७, व १०९/११० जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की गयी।

३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में कुछ नये थानों के स्थापित करने की योजना उनके विचाराधीन है यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत जिले में कहां-कहां नये थाने बनेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। परन्तु अभी यह बतलाना सम्भव नहीं है कि जौनपुर जिले में नये पुलिस थाने कहां स्थापित किये जायेंगे।

दरहटा ग्राम का 'योगराज इंडिया', नामक साधू

३६—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के दरहटा नामक ग्राम में, जो थाना महाराजगंज के अन्दर पड़ता है, कोई साधू, जो अपने को सुभाषचन्द्र बोस कहता है तथा उसके बहुत से साथी इकट्ठा हुआ करते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है तथा सरकार ने उस सम्बन्ध में अभी तक कौन-कौन से कदम जांच करने हेतु उठाये और उनका क्या नतीजा हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जांच करने पर पता चला कि ग्राम दरहटा, थाना महाराजगंज, जिला गोरखपुर, में एक साधू दिसम्बर, १९६२ से रह रहा है। यह अपना नाम योगराज इंडिया बताता है। पूर्व में यह सोनारी जंगल थाना महाराजगंज, जिला गोरखपुर की एक कुटी में ५–६ वर्ष तक रहा है। साधू हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष उपदेश करता है और अपने को सुभाषचन्द्र बोस नहीं कहता है। इस साधू के विरुद्ध कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

३७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[३ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

[६ अगस्त, १९६४ के लिए तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३९–४०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

कर्णप्रयाग में स्कूलों की इमारतें

४१—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में स्थित हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन के प्लान एस्टिमेट में पहिले जो तीन कमरे कम कर दिये गये थे, उनका सरकार कब तक निर्माण करवाने की कृपा करेगी, क्या सरकार ने इनके निर्माण करवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने अप्रैल, मास, १९६४ में १,३२,००० रु० की लागत का एक दुमंजिला भवन हायर सेकेन्डरी स्कूल, कर्णप्रयाग के लिए बनवाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अन्तर्गत ६ कक्ष, १ हाल, १ स्टोर और एक बरामदा बनेगा, उसमें वे ३ कमरे भी सम्मिलित हैं जो पहिले छोड़ दिये गये थे।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

४२—क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय हायर समर स्मारक इण्टरमीडियेट कालेज, कर्णप्रयाग, जिला चमोली, के भवनों का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राजकीय समर स्मारक इन्टर कालेज, कर्णप्रयाग, जिला चमोली, के नये भवनों के निर्माण के लिए ३१ जुलाई, १९६४ तक टेन्डर मांगे गये हैं और तत्पश्चात् काम शुरू हो जायेगा। आशा है कि यह कार्य १९६५–६६ तक पूरा हो जायेगा।

चमोली जिले में सड़कों का निर्माण

४३—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिले चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुल कितने डिवीजन हैं और चमोली जिले में कुल कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कुल कितने सहायक इंजीनियर और कुल कितनी संख्या में ओवरसीवर हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सीमान्त जिला चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुल चार डिवीजन हैं। इन में ४ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, २१ सहायक इन्जीनियर एवं ७२ ओवरसीयर हैं।

४४—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली के पृथक सीमान्त जिला बनने के बाद चमोली जिले में कुल कितनी मील लम्बी पक्की व कच्ची सड़कों का निर्माण आज तक हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चमोली के पृथक सीमान्त जिला बनाने के बाद इस जिले में अब तक १७७ मील ६ फर्लांग लम्बी कच्ची और १०८ मील १ फर्लांग लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है।

विधान सभा की दीर्घाओं के प्रवेश-पत्र प्राप्त व्यक्तियों को काउंसिल हाउस गार्ड्स द्वारा रोके जाने तथा श्री अध्यक्ष के आदेश को मानने से इनकार करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद की आयी है। वह इस प्रकार से है:—

"आज १० बजे जब मैं सदन के उस मुख्य प्रवेश द्वार से जो दक्षिण की ओर है आ रहा था सदन के गार्डों ने मेरे साथ आये लोगों को जिन के पास दीर्घाओं के पास थे उन्हें रोक दिया तथा जिनके पास रायल होटल से बने पास मिले थे आने दिया। मैं तत्काल अपने साथियों को गेट पर ही छोड़ कर आप के पास आया। आप से ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। मैं श्री उमाशंकर जी को लेकर द्वार पर गया, उन्होंने गार्डों को आप की आज्ञा से अवगत कराया कि प्रवेश न रोका जाय। गार्डों ने कहा कि अध्यक्ष की आज्ञा उनके लिए मान्य नहीं है। वह केवल केयर टेकर की ही आज्ञा मानेंगे। उन्होंने फिर भी मेरे साथियों को रोका। जो रायल होटल से ही पास बनवा कर आये थे प्रवेश कर सके। आपका अध्यक्ष की हैसियत से अपमान तथा दर्शक दीर्घाओं का प्रवेश सदन के नियमों से सम्बन्धित है। मैं उन दोनों गार्डों तथा केयर टेकर काउन्सिल हाउस के विरुद्ध सदन के संचालन में आपकी आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा देकर प्रवेश रोकने को पूरे सदन का अपमान मानता हूं। कृपया आप इस प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही करें। मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

इसके ऊपर श्री उमाशंकर, जिनका उल्लेख माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद ने किया है उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा--

"माननीय अध्यक्ष की उपर्युक्त आज्ञा। माननीय अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना करने वाले (१) श्री रणधीर सिंह, हेड गार्ड, (२) गार्ड रामप्रसाद नम्बर १ तथा (३) रामसुन्दर थे। रामप्रसाद नम्बर १ तथा रामसुन्दर को जब माननीय अध्यक्ष का आदेश बताया गया तो उन्होंने उसे मानने से इन्कार करते हुए कहा कि आप रणधीर सिंह, हेड गार्ड से बात कर लें। रणधीर सिंह, हेड गार्ड से बात की गयी, और उन्हें भी माननीय अध्यक्ष के आदेश से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि "आप जानते ही हैं कि स्पीकर का आर्डर हमें मान्य नहीं है। हम देवीशंकर, केयर टेकर के हुक्म से रोक रहे हैं।"

मैंने इस पर आदेश दिया है कि नियम ८२ में विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है। प्रागदर्शन में मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अधिवेशन के काल में, सदन तथा सदन के परिसर, अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी चाहे वह किसी विभाग का क्यों न हो, अध्यक्ष के प्रत्यक्ष या सीधे नियंत्रण में होता है और उनके आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य है।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, आज भी एक बात निवेदन कर दूं। आज जब मैं आ रहा था काउन्सिल हाउस के मुख्य द्वार पर जो कांस्टेबिल ड्यूटी पर खड़ा था, मैंने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिये कहा तो उसने कहा कि वह उसको हटा देगा। मैंने कहा कि किसकी ऐसी आज्ञा है? तो उसने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की आज्ञा है। मैंने कहा कि सदन के गेट पर चीफ सेक्रेटरी को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना है कि सदन के द्वार पर जो भी ड्यूटी पर हो वह आपकी आज्ञा मानेगा...

श्री अध्यक्ष--

यह चीज आप लिख कर दे दीजिए।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष, इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, अभी मैं अपने कार्यालय से लिफ्ट पर आ रहा था तो उपाध्यक्ष जी और एक साहब और लिफ्ट में थे तो चपरासी ने वह लिफ्ट नहीं रोका और मैं खड़ा रह गया। फिर दूसरी बार कोई मिनिस्टर साहब आये। फिर भी चपरासी ने लिफ्ट नहीं रोका और मैं फिर खड़ा रह गया। तो मैंने चपरासी से कहा कि आप यह बतायें कि इस बार भी उसने लिफ्ट क्यों नहीं रोका और हमको क्यों नहीं बैठाया। इस पर उसने उत्तर दिया कि हमको सख्त आर्डर है कि जब कोई मंत्री या उपाध्यक्ष लिफ्ट में होंगे तो किसी भी सदस्य को नहीं बैठने दिया जायगा। क्या ऐसा कोई कानून है? आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष --

इस सम्बन्ध में मैं और आप बैठ कर. . .

श्री लखीसिंह--

उपाध्यक्ष जी को पूछ लीजिए। हमारा अपमान हुआ है जो इस प्रकार चपरासी ने कहा है। क्या इस प्रकार का कोई कानून बना दिया है कि हम लोगों को किसी मिनिस्टर या उपाध्यक्ष के साथ लिफ्ट पर नहीं बैठने दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

इस बारे में अच्छा यही होगा कि हम और आप बैठ कर बात कर लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

गार्डों का इसमें क्या दोष है ? पहले आप केयर टेकर और मिनिस्टर का जवाब मांगिए।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो लिख कर दिया है उसे आप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने के बजाय यहीं हाउस में विचार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें परोक्ष घटना हुई है। अगर यहां पर ही विचार हो जाय तो २ मिनट में बात हो जायगी और सब सदस्यों को भी मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करके ही निर्णय दिया है। जो बातें आपने कही हैं उन सब बातों को भी ध्यान में रख कर ही आदेश दिया है।

श्री लखीसिंह--

मान्यवर, ऐसा ही कीजिए। सब सदस्यों को भी मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

लखीसिंह जी, आप कृपया बैठ जाइये। उसके सम्बन्ध में मैंने विचार करके ही आदेश दे दिए हैं।

श्री उग्रसेन--

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रियों के लिए जो घंटी लगी थी वह हटा ली गयी थी, परन्तु फर एक विशेष घंटी मंत्रियों के लिए लगा दी गयी है।

कुसुम्भी बाजार, गोरखपुर के ग्राम सभापति द्वारा एक किसान को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आई है। यह सूचना माननीय उग्रसेन जी की है। केवल वक्तव्य के लिए इस सूचना को मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है :--

"कुसुम्भी बाजार, जिला गोरखपुर में ग्राम सभापति, कुसुम्भी ने कुछ आदमियों की मदद से दोपहर के बाद एक किसान को गिरफ्तार कर लिया। किसान एक खाद्यान्न व्यापारी से पूछ रहा था कि उसने अनाज भाव से कम क्यों दिया। किसान के बन्द करने से बाजार में आए हुए समस्त किसानों में रोष छा गया और पूरी बाजार में भगदड़ पड़ गई तथा बाजार की लूट-पाट हो गयी। इससे वहां की जनता में महान् क्षोभ एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।" इसको बयान के लिए माननीय मंत्री जी के पास भेजा जाता है।

श्री उग्रसेन--

ये बयान कब देंगे ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

यदि आप की आज्ञा हो तो जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसे दे दूं।

श्री अध्यक्ष--

यदि कुछ और सवाल पूछ लिए तो दिक्कत हो जायगी। इसलिए आप अपना बयान २-३ दिन में दे दीजिएगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक नियम ५२ का माननीय काशीनाथ जी का है, उसे मैंने स्वीकार नहीं किया मगर मंत्री जी के पास भेज दिया है। इसी प्रकार से सर्वश्री लखपतराम शर्मा, ब्रह्मदत्त भायर, रघुवीर सहाय, रामकिशोर और नाथूराम शिक्षक के हैं, उनको भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

किस विषय में है यह तो बतला दीजिये ?

श्री अध्यक्ष--

जो नियम है वही बरता जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

सरकारी कर्मचारियों ने पे कमेटी के सम्बन्ध में जो प्रदर्शन किया है उसे भी भेज दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष--

विचार करूंगा।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

इस विधान सभा के पंडितों की मंडली को लेकर आप दिल्ली गये थे, वह कब लौटेगी ? हमको उनके भाषणों से वंचित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप अखबार पढ़ते होंगे। आपकी तरफ से अभी बहस हो रही है।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

कल मैंने देखा कि प्रायः माननीय सदस्यों ने १२ से लेकर १८ मिनट का समय लिया। इस विषय पर बोलने वाले सदस्य बहुत अधिक हैं और विभिन्न दलों के नेताओं ने मुझसे यह कहा है कि इतना समय देने से बहुत से माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह जायंगे। इसलिये आज से ७ मिनट और ज्यादा से ज्यादा १० मिनट का समय बोलने वालों को मिलेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

कांग्रेस वाले कम बोलें तो विरोधी दल वालों को ज्यादा समय मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

आप हैं १५० और वह हैं ३००।

श्री उग्रसेन---

जब आप नहीं रहते हैं और उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता बैठते हैं तो नियम का पालन नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि आप तीन दिन बराबर यहां रहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

जो १० मिनट का समय आपने निर्धारित किया है वह शिरोधार्य है, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर है कि कुछ थोड़ा सा समय बातों की महत्ता को देखते हुए अवश्य देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

श्री कृष्णानन्द राय अपना भाषण जारी रखेंगे।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि हमारे सदन के विरोधी दल के आदरणीय नेतागण ने खाद्य समस्या और हमारे प्रदेश में जो खाद्यान्न का प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसके प्रति इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करके बहुत ही बड़ा अन्याय किया है और एक शब्द में कहूं तो विश्वासघात किया है। जब कि हम लोग क्षेत्रों में खाद्यान्नों के मूल्य तथा खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे और सभी के मस्तिष्क में यही एक बात खटक रही थी तो जनता के अन्दर एक यही भावना हम देख रहे थे और जनता अनुभव भी कर रही थी कि २७ तारीख से जब इस विधान सभा की बैठक होगी और सभी प्रतिनिधिगण राजधानी में पहुंचेंगे तो इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार होगा और नीति निर्धारित होगी। आज के समय की यह मांग थी कि विरोधी दल के नेतागण खाद्य के ऊपर विवाद की मांग किये होते और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२९ जुलाई, १९६४ की कार्यवाही से ॥।

[श्री कृष्णानन्द राय]

इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो कर कोई नीति निर्धारित की जाती और एक राजनीतिक प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित न किया जाता हम लोगों ने समाचारपत्रों में यह भी पढ़ा कि एक संयुक्त समिति का निर्माण हो जिसमें माननीय मुख्य मंत्राणी ने विरोधी दलों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया। इस पर भी यह आशा बनी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, सभी दल मिलजुल कर एक बौद्धिक स्तर पर इस प्रश्न का समाधान करेंगे। लेकिन श्रीमन्, मुझे यह जान कर अत्यन्त दुख हुआ कि माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने यह कहा कि यह प्रश्न इतना सड़ा हुआ और पेचीदा था कि विरोधी दलों ने उचित नहीं समझा कि वे अपनी सम्मति दें। श्रीमन्, यह प्रश्न पेचीदा था तभी तो सभी दलों को आमंत्रित किया गया था। उनका इस प्रकार से भाग जाना उत्तरदायित्वपूर्ण प्रवृत्ति से भाग जाना था और यह सिद्ध करना था कि वह अपना सहयोग का हाथ सरकार को नहीं बंटाना चाहते हैं। वे इसलिये नहीं भाग गये कि प्रश्न पेचीदा था और सरकार की नीति मर चुकी थी और इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। बल्कि वे लोग इसलिये भाग गये कि विरोधी दलों के नेताओं के पास कोई संयुक्त नीति नहीं थी। वे यह जानते थे कि यदि वे मुख्य व्यापार की नीति को चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध माननीय डाक्टर जेड ए० अहमद साहब और उग्रसेन जी डट कर करेंगे। इसलिये उन्होंने सोचा कि इस समिति में बैठ कर वे अपनी नीति नहीं दे सकते तो जो विरोधी दलों की एकता है, वह नष्ट होगी। इसलिये उनको एक ही सूत्रपात मिला कि सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि सरकार के प्रति हमारा अविश्वास है।

श्रीमन्, लोकतांत्रिक परम्परा में विरोधी दलों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह कोई वैकल्पिक नीति दें जब कि संकट काल उपस्थित हुआ है। अगर उनकी बात स्वीकार भी कर लें तो क्या वे खाद्य में जनसंघ की मुक्त व्यापार की नीति को अपनायेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की नीति को अपनायेंगे या सब लोग झगड़ा करेंगे और खाद्य समस्या को और भी खराब कर देंगे। श्रीमन्, जब कोई उनकी संयुक्त नीति नहीं है तो कैसे आशा की जा सकती है कि जिम्मेदार सरकार इस्तीफा दे दे तो यह समस्या का हल निकाल देंगे। वे अव्यवस्था और कर देंगे। श्रीमन्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रति उन्होंने कोई केस तैयार नहीं किया है। हां, खाद्यान्न की विषम स्थिति जरूर है और इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। लेकिन इस प्रस्ताव को पेश करके इस प्रश्न को गौण कर दिया गया है और राजनीतिक प्रश्न को प्रमुखता दी गई है। इसीलिये मैं कहता हूं कि इन्होंने विश्वासघात किया है।

श्रीमन्, एक चीज और देखिये कि जो विरोधी दल थे उनके नेताओं को लोकतांत्रिक परम्परा में बुलाया गया और खाद्य मंत्री जी ने ईमानदारी के साथ साथ इनको एक नोट दे दिया जिसमें इस विशेष परिस्थिति का जिक्र किया गया था। उस नोट में से विरोधी दल के माननीय नेता ने दो लाइनें पढ़ दीं और बाकी को छोड़ दिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टारवेशन की स्थिति थी और १४ लाख टन गेहूं कम पैदा हुआ, मई जून का कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया आदि बातें छोड़ दीं और केवल दो लाइन पढ़ दीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह लोकतांत्रिक परम्परा के विरुद्ध विश्वासघात नहीं है?

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह अविश्वास के प्रस्ताव की बात दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है और इसने खाद्य समस्या की गम्भीरता को नष्ट किया है। लेकिन ये लोग चाहे जैसा गैर जिम्मेदारी का काम करें, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस दल की जिम्मेदारी छूट नहीं जाती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस समस्या को हल करे। खाद्यान्न की समस्या विषम है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, इसलिये इसका समाधान खोजना चाहिये। यदि संयुक्त समिति में समाधान नहीं मिलता है तो केबिनेट की मीटिंग करके इस प्रश्न का समाधान किया जाय और मुझे विश्वास है कि खाद्य समस्या जैसी भी हो, लेकिन ऐसी नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता है। विरोधी दल के लोग भले ही भाग जाय, लेकिन मैं समझता

हूं कि माननीय नेगी जी, मुख्य मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड मिनिस्टर यदि बैठ जायं तो एक घंटे में प्रदेश की खाद्य समस्या को सुलझा सकते हैं। आप तो जिम्मेदारी से भाग गये, लेकिन मैं विधान सभा और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सुझाव देना चाहता हूं कि यह परिस्थिति इतनी विषम है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का समाधान किया जा सकता है। मैं थ्योरेटिकल थेसिस में इस समय नहीं फंसना चाहता, लेकिन यह सही बात है और सोशलिस्ट पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी की भी नीति है कि राजकीय व्यापार किया जाय उसके लिये केन्द्रीय खाद्य मंत्री सुब्रह्मण्यम् साहब ने घोषणा कर दी है कि आगामी जनवरी से चावल और रबी क्राप्स से गेहूं में स्टेट ट्रेडिंग आरम्भ की जायगी और उसके लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन कायम होगा, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में जब कोई फसल तैयार नहीं है, जब कोई बफर स्टाक सरकार के पास नहीं है तब स्टेट ट्रेडिंग की जाय यह बात समझ में नहीं आती।

दूसरी बात यह है कि जब इस समय स्टेट ट्रेडिंग करने की परिस्थिति नहीं है तब माननीय नेगी साहब, हमारे खाद्य मंत्री यह कह कर कि मई, जून और जुलाई महीने का कोटा केन्द्र ने नहीं दिया है, छुट्टी नहीं पा सकते। कोई न कोई प्रबन्ध करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो कोटा केन्द्र से पाते हैं वह तो केवल कबाल टाउन्स के लिये है जिनकी आबादी ५०, ६० लाख है या अरबन टाउन्स ४०-४५ लाख आबादी रखते हैं, उनके लिये है यानी कुल ९०, ९५ लाख की पापुलेशन के लिये है। और क्या इन्हीं के लिये यह सारी आपकी पुलिस, फौज और सारी फाइलें और सारी वर्किंग क्या इन्हीं के किये हैं? लेकिन ५ करोड़ व्यक्ति जो देहातों में हमारे प्रदेश के रहते हैं उनके लिये आप क्या सोचते हैं जब कि ओपेन मार्केट समाप्त सा हो चुका है? श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पाते हैं, जिसके लिये आपमें झगड़ा है। वह केवल ९० लाख के लिये दे रहे हैं, लेकिन शेष ५ साढ़े ५ करोड़ लोगों के लिये क्या होगा? मैं साफ कहता हूं कि आपकी आर्टिफिशियल ट्रेडिंग जो इस वक्त चल रही है वह कभी चल नहीं सकती। जब २ सेर १० छटांक का गेहूं आपकी सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिकता है और ओपेन मार्केट में १ सेर का गेहूं बिकेगा तब वह गेहूं सस्ते गल्ले से उठ कर जरूर ओपेन मार्केट में जायेगा और ब्लैक मार्केट में बिकेगा और आपकी फौज, पुलिस और ऐंटी करप्शन सब एक ओर रखा रहेगा और यह अननेचुरल ट्रेड, आर्टिफिशियल ट्रेड चलता रहेगा जो बरदाश्त हो नहीं सकता। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह प्रश्न है कि उन ५ करोड़ लोगों के लिये ओपेन मार्केट कैसे खुले? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेताओं को छोड़िये। आज आप कैबिनेट मीटिंग कीजिये और फौरन निर्णय लीजिये, क्योंकि खाद्य परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसको अधिक समय तक अब टाला जा सके। आप स्पष्ट कहिये कि २५ या ४० क्विन्टल से अधिक जिनके पास गल्ला है, हम उनसे गल्ला ले लेंगे और उनसे ले लीजिये। आपको यह साहस करना पड़ेगा। अगर यह निर्णय नहीं लेना चाहते तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। इस रिस्क को आप मोल मत लीजिये तो जितने बन्धन आज ओपेन मार्केट्स पर लगे हुये हैं उनको हटा दीजिये और ओपेन मार्केट को नेचुरल फिनामिना की तरह पर, एक्सपेरीमेंट के तौर पर, दो तीन महीने के लिये चलने दीजिये।

नेगी साहब यह कहने के लिये छटपटा रहे होंगे कि उन पर कोई बन्धन नहीं है। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि आपने एक फूड कंट्रोल आर्डर निकाल रखा है। उसमें यह है कि २५ क्विन्टल से अधिक गल्ला जिसके पास हो उसको सरकार को इन्फार्मेशन देनी चाहिये कि हमारे पास इतना गल्ला है। ट्रेडर यह सोचता है कि यह इन्फार्मेशन क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए तो मांग रहे हैं कि सीज करेंगे। लिहाजा वह सारा स्टाक चुरा कर रख देता है और २५ क्विंटल के भीतर ही दूकान पर रखे हुए है और आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि २५ क्विटल से अधिक गल्ला उस फूड कंट्रोल आर्डर के अनुसार आप ले सकें। आज तक उत्तर प्रदेश के अन्दर २५ क्विटल से ऊपर गल्ला रखने वाले किसी गल्ले के व्यापारी को आपने रेड नहीं किया है, जबकि जबलपुर और महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं किसी भावुकता में बात नहीं करना चाहता। यदि आप आज ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कि रेड कर सकें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिर आप

[श्री कृष्णानन्द राय]

इस फूड कंट्रोल आर्डर को उठा लें। क्यों बेकार में एक ऐसे आर्डर को लागू किये हुए हैं जो बनियों को आतंकित किये हुए है ? माननीय नेगी साहब कहेंगे कि केन्द्रीय सरकार का आर्डिनेंस है। यह केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का झगड़ा क्या जनता समझेगी ?

दूसरा मैं आप को बताता हूं कि आपने एक कारिडोर फूडग्रेन्स मूवमेंट आर्डर निकाल रखा है कि चारों ओर ५ मील के घेरे में कोई गल्ला मूव नहीं कर सकता है। मैं नेगी साहब को चुनौती देता हूं। हमारे साथ चलें। पंजाब में गेहूं उत्तर प्रदेश से सस्ता है, राजस्थान में सस्ता है, मध्य प्रदेश में चावल उत्तर प्रदेश से सस्ता है, बिहार में सस्ता है और मुझे व्यक्तिगत जानकारी है नैपाल में भी चावल उत्तर प्रदेश से सस्ता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों आप जबरदस्ती यह बाटिल नेक क्रियेट किये हुए हैं उत्तर प्रदेश को ? इस पर भी आप जवाब देंगे कि सेंट्रल ऐक्ट है। केन्द्र जो है उसने मई-जून और जुलाई का कोटा हमको नहीं दिया। हालांकि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का स्टेटमेंट है कि उनको अगस्त तक का कोटा मिल चुका है। आप उनसे कहें कि पहले एरियर मई-जून और जुलाई और अगस्त का वह हमको दें और यह वह दे दें तो रोज शहरों में जो यह जुलूस निकलते हैं जनसंघ के वह तो कम से कम शान्त हो जायं, हम लोग देहात वाले तो जुलूस निकालते नहीं हैं, लेकिन यह आप उनसे मांगे और यह आप माननीय लाल-बहादुर शास्त्री और सुब्रह्मण्यम साहब से कहें कि आप यह पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार का फाटक खोलें, क्योंकि २ लाख मन अनाज हम अपना दे चुके हैं। अगर केन्द्रीय सरकार कहती है कि नहीं, वह यह करने को तैयार नहीं है तो माननीय नेगी साहब हिम्मत के साथ अपने उत्तर प्रदेश के अन्दर बोर्डर एरिया के कलेक्टरों को आर्डर दे दीजिए कि जितना भी गल्ला आवे उधर से उस पर कोई रोक वह न लगावें। माननीय नेगी साहब, आज आप चाहें तो मद्रास से मैं सैकड़ों बैगन आटा मंगा सकता हूं। वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट आटा या गेहूं भेजती है उसको कोई खाता नहीं, वह वैगन सब इधर चला आता है और वह चाहें तो मंगाया जा सकता है। सुब्रह्मण्यम् साहब, लाल बहादुर शास्त्री और नेगी साहब चाहें तो मिल कर यह जो उत्तर प्रदेश को एक बाटिल नेक क्रियेट कर दिया गया है उसको दूर कर सकते हैं और खाद्य समस्या का समाधान एक घंटे के अन्दर हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस विषय पर वादविवाद सुन रहा हूं। परन्तु मैं यह भी देख रहा हूं कि यह वादविवाद जो महंगाई का एक सम्पूर्ण रूप है, जीवन के हर अंग में जो व्याप्त हो गई है, क्योंकि केवल अकेले गल्ला ही मंहगा तो नहीं है, जीवन की हर वस्तु मंहगी है, तो प्राबलम इन इट्स एन्टायरिटी पर विचार जो होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने इन समस्याओं के बारे में मैं अपने विचार किसी डाक्टेनेयर सिद्धांत के आधार पर न रखूं। मेरा अपना हमेशा यह मत रहा कि जनजीवन से डाक्टेनेयर बेसिस पर होली खेलना घातक है। मैं तो समस्या का जो सम्पूर्ण रूप में मेरे सामने है वह आपके सामने रखूंगा।

श्रीमन्, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, उस योजना की यह रिव्यू मेरे पास है, उस योजना में यह कहा गया था कि ऐग्रीकल्चर ओरिन्टेटेड यह योजना है क्योंकि हमको जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल आयोजन करने हैं उसके लिये खाद्यान्न में यदि हम सेल्फ सफिश्यंट नहीं हुये तो हमारी इंडस्ट्रियल योजनाएं भविष्य में सफल नहीं होंगी और उस योजना की पूर्ति के बाद एक जो रिव्यू निकला वह भी देखने के लायक चीज है। कहा यह गया कि:

"The output of foodgrains in 1955—56 at 64.8 Million tons was about 3 Million tons above the targets laid down in the plan"

अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ३ मिलियन टन अधिक उत्पादन करेंगे तो उसके बाद के जो आंकड़े निकले वह मैं प्रोडेक्शन एन्ड एवरेज ईल्ड आफ प्रिंसिपल क्राप्स इन उत्तर प्रदेश १९५०-५१ टू १९६०-६१ से दे रहा हूं। उसमें १९६१-६२ में वह १,३८,३८,८६९ टन हुआ। उसके

बाद १९६२-६३ में वह १,३२,८२,६११ टन हुआ और उसके बाद १९६३-६४ में १४ वर्ष के बाद हमारा प्रोडेक्शन १,१६,१९,९२९ टन रह गया। योजना के प्रारम्भ में हमारा प्रोडेक्शन १,१५,८८,६१८ टन था और इन १४ वर्ष के निरंतर प्रयास के बाद हमारा प्रोडेक्शन १.१६ लाख टन रह गया। अब यह आपका ३ मिलियन टन वाली बात कहां गई।

(कृषि मंत्री) श्री चरणसिंह--

इतने साल के बाद यह क्यों हुआ ?

श्री यादवेन्द्रदत्त--

चौधरी साहब को अधिक ज्ञान है, लेकिन इन बीच के सालों में कुछ काम अधिक हुआ है और यह लगातार क्लेचुएशन हुआ है। मेरी समझ से लगातार प्रोडेक्शन में फाल हुआ है। जो यह फाल हुआ है उसका कारण मुझे यह लगा है कि इनकी पालिसी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की रही है वही कारण है। जिस मात्रा से मुद्रास्फीति हुई है उसी मात्रा में यह चीज बढ़ती चली गई और प्रोडेक्शन घटता चला गया। उसी प्रकार से नोटों का प्रचलन भी अधिक होता गया है। अगर चौधरी साहब ये आंकड़े चाहते हैं तो यह मैं उनके पास भेज दूंगा। यह रिपोर्ट १९६१-६२ की है। उसको देखा जाय तो पता चलेगा कि नोटों का सरकुलेशन ८५.६ करोड़ हमारे यहां हुआ है। सरकार ने नोट छाप कर हमारे यहां मुद्रास्फीति ८५.६ करोड़ कर दी जो ४.४ परसेन्ट के होती है। अब यदि उसका ब्रेक अप देखा जाय तो १०० के नोटों का सरकुलेशन ४३.२ परसेन्ट हुआ। इस वजह से मुद्रास्फीति हुई है। अगर टोटल करेंसी को देखा जाय, २ रुपये की, १० रुपये की और ५ रुपये की करेन्सी को देखा जाय और उसका एवरेज लगाया जाय तो वह हमारे यहां ३१ परसेन्ट मुद्रास्फीति हुई है। जो यह फाल हुआ है, यह इस पालसी के कारण ही हुआ है। इस मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप लीविंग इंडेक्स १४३ परसेन्ट पर चला गया है। आज जो यह क्राइसिस खड़ी हो गई है उसका मुख्य कारण इनकी डफिसिट फाइनेंसिंग हुई है जो कि वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति बरदाश्त नहीं कर सकती थी। उसमें उन्होंने जो भीषण डेफिसिट फाइनेंसिंग की है उसका परिणाम यह हुआ कि यह संकट भीषण रूप में देश के सामने है और यह पेट पर आ गया है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि इस क्राइसेस के बारे में भावना से विचार न किया जाय बल्कि हमको इसके मूल में जाना चाहिये। जब भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्राइसेस आयी तो सरकार ने जोनल सिस्टम से इसको हल करने का प्रयास किया। आप देखें कि उसका ही परिणाम है कि गाजियाबाद में गेहूं का क्या भाव है और दिल्ली में क्या है। पंजाब में १७ रुपये मन गेहूं बिक रहा है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल ब्लाक्स सरकार ने क्रिएट कर दिये। इसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली में अन्न के जखीरे पकड़े गये। मनुष्यों में मारेल क्राइसेस पैदा हो गया और उसने मुनाफा कमाने के लिये जखीरेबाजी शुरू कर दी। इस प्रकार सरकार न भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया। नेगी जी ने शायद इसी सदन में कहा था कि सारे सप्लाई विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो उसका दरवाजा सरकार की नीतियों ने ही खोला है। १७ रुपये मन के गेहूं को अगर एक व्यापारी ४० रुपये में बेच सकता है तो वह उसके लिये घूस भी देगा और उसके लिये भीषण घूसखोरी हो रही है। इसका एक दूसरा भी पहलू है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारी मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय खाद्य मंत्री से जानकारी कर सकती हैं कि एक प्रान्त से मांग हुई कि हमको दूसरे प्रान्त का चावल दिया जाय। तो उसने कहा कि हम चावल नहीं देंगे इसलिये कि ऐसा करने से हमारे यहां चावल का दाम बढ़ जायगा। दूसरे प्रान्त ने कहा कि हम उसे ऐसा न होने से तेल नहीं देंगे। एक ने बाजरा नहीं दिया तो दूसरे ने कपड़ा देना बन्द कर दिया। यह झगड़ा गवर्नमेंट आफ इंडिया में चल रहा है। तो इसका नतीजा यह है कि आपस में विघटन के भाव पैदा हो रहे हैं। यह जो इकानामिक वार फेयर विद इन दि स्टेट हो रही है, यह बड़ी भयंकर है और यह आपकी नीतियों का दुष्परिणाम

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

है । अगर इकोनामिक डिस्इंट्रीगेशन देश में हो गया तो इस देश में कहीं १७ रुपये मन गेहूं बिकेगा और कहीं ९० रुपये मन । इसलिये हमें इस जोनल सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिये । ऐसा करने से ही देश में एक कामन प्राइस लेविल बनेगा ।

अभी हमारे मित्र कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि हमारे पास बफर स्टाक नहीं है । मैं कहता हूं कि क्यों नहीं है ? दोनों पैरेलल चैनल्स चलने दीजिये । कामन ट्रेड भी कीजिये जिससे बफर स्टाक को मौका पड़ने पर बाजार में देकर दाम गिराये जा सकें । जब यह हम कहते हैं तो कहा जाता है कि ये पूंजीतपतियों के साथ हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आदमी भूखे मर रहे हैं और यह सत्य है कि भुखमरी है, तो सिद्धान्तवाद के ऊपर क्या देश को बलिदान कर देना चाहिये । लेनिन ने भी यह बात नहीं की । जिस समाजवाद की बड़ी दुहाई दी जाती है उसमें भी प्राइवेट ट्रेड अलाउ किया गया है । आप भी अलाउ कर दीजिये । स्टेट ट्रेडिंग और प्राइवेट ट्रेडिंग---दोनों के कम्पलशंस अलग-अलग हैं, दृष्टिकोण अलग-अलग हैं और एक के दृष्टिकोण से दूसरे का चलाना असंभव है । अगर आज प्राइवेट ट्रेडिंग कम्पलशंस पर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस रखे जाते हैं तो करप्शन, ब्राइबरी बढ़ती है और बिलकुल रेस्ट्रिकशंस हटाये जात हैं तो मंहगाई बढ़ती है.... (लाल बत्ती होने पर) आप मुझे १० मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

४ मिनट दूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

४ में वही होगा कि पंजाब मेल की तरह बोलते चले जायं । हमारा कहना यह है कि जहांपर कि आप तमाम रूल्स और रेगुलेशंस लगाये जा रहे हैं जिससे आर्टिफिश्यल मार्केट्स और बैरियर्स क्रियेट हो रहे हैं, यह चीज समाप्त होनी चाहिये । बफर स्टाक्स आपके होने चाहिये । अगर नेगी जी ने टाट उलट दिया तो बहुत बुरा किया । कहते हैं कि हमको सेंटर नहीं देता । सेंटर क्या है । जो आप हैं वही सेंटर है । यह अपनी गल्ती दूसरे के सर पर क्यों मढते हो? जरा अपनी लड़ाई बंद करो, देश की तरफ ध्यान दो । आपकी आपस की लड़ाई और गालियां प्रदेश के लोग सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । अगर यही रवैया आपका रहा तो उस से बेहतर यह होगा कि प्रेसीडेंश्यल रूल हो जाय । इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा । इतिहास में बड़ा ज्वलन्त उदाहरण फ्रांस का है । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सुन करके कि मेरी आइंटोनेट से जब लोगों ने जाकर कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, तो उसने कहा कि पुडिंग खाओ । उसका नतीजा रक्तरंजित क्रांति हुआ ।

अब मुझे केवल दो बातें कहनी हैं । जनसंघ का स्पष्ट सुझाव है । मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी जानकारी है कि ५० रुपये से लेकर सौ रुपये तक फूड इंस्पेक्टर का जो राशन का होता है, हर दुकान से बंधा हुआ है और यह भी जानकारी है कि उसमें हमारे बहुत से नेताओं का भी हिस्सा है । इसलिये इसकी भी जांच होनी चाहिये और जो छोटे व्यापारी हैं उनको सस्ते गल्ले की दुकानें दी जानी चाहिये । सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं मुझ जैसा आदमी तो खरीद नहीं सकता, मगर मेरे सुनने में यह आया है कि कुछ बड़े-बड़े आदमी वहां से गल्ला खरीद कर अपने जानवरों को खिला रहे हैं । अगर ऐसी बात है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये । इसके लिये जनसंघ पार्टी का तो सुझाव है कि ३०० रुपये से अधिक आमदनी वालों को इन दुकानों से गल्ला न दिया जाय, वे फ्री मार्केट से गल्ला खरीदें । ग्रामीण क्षेत्रों में जो अलाभकर जोत वाले किसान हैं उनको आप राशन कार्ड दें और साथ ही पर्याप्त गल्ला तथा बीज आदि दें । एक पंचायत अदालत में आपने ४ क्वीन्टल अगर दिया तो ४-५ हजार की आबादी चूंकि होती है, किसी को तोला माशा, रत्ती में ही अनाज मिल सकेगा । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की सरकारी वसूली बन्द कर दी जायं । अगली फसल की बुवाई के लिये पर्याप्त मात्रा में

सस्ती दर पर बीज दिया जाय। सभी सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को सब्जी-डाइज्ड रेट पर गल्ला दिया जाय। वितरण की व्यवस्था को ठीक किया जाय। इन शब्दों के साथ में इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुत होने से पूर्व ही माननीया मुख्य मंत्री के इस कथन से कि यदि सभी विरोधी पक्ष एक हो कर किसी नेता का नाम उनके पास भेजें तो वे माननीय राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिये उनके नाम की सिफारिश कर देंगी। उस अविश्वास के प्रस्ताव की पूर्णतया: हवा ही निकल गयी। इसलिये इस अविश्वास के प्रस्ताव के विपक्ष में कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, आपने जो समय दिया है उसमें मैं भी अपने विचार कुछ इस समय प्रदेश व्यापक तशवीशनाक खाद्य संकट पर रखूंगा।

श्रीमन्, प्रदेश की खाद्य स्थिति के कुछ अहम पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये। पहला अहम पहलू यह है कि सन् १९६३-६४ की कृषि की पैदावार को ध्यान में रखते हुये तथा प्रदेश की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये खाद्यान्न की वास्तविक कमी इस प्रदेश में ६४-६५ में कितनी है? दूसरा पहलू यह है कि सन् १९६३-६४ के अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रदेश में खाद्यान्न के आयात-निर्यात से इस वास्तविक कमी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तीसरा पहलू यह है कि इस कमी की सूचना प्रदेश की समस्त जनता को हो जाने के बाद आज उस वास्तविक कमी का प्रत्यक्ष रूप क्या है। चौथा पहलू यह भी है विचारने का कि इस अभाव का जन्म प्रदेश में कब हुआ और इसके क्या कारण हैं और इस खाद्य स्थिति का कांस्टीट्यूशनल पहलू भी है?

श्रीमन्, इस प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट में प्रदेश की खाद्यान्न की आवश्यकता के कुछ मूल आधार दिये गये हैं। उन आधारों पर प्रदेश की समस्त आवश्यकताओं को कैलकुलेट करके मैंने यह निकाला है कि इस प्रदेश में इस वर्ष के लिये १४५ लाख टन अनाज की आवश्यकता है। सन् १९६३-६४ में खरीफ और रबी को जोड़कर, कुल पैदावार ११२.५ लाख टन की हुई है। इस प्रकार ३२.५ लाख टन की वास्तविक कमी इस प्रदेश में इस वर्ष के लिये है। श्रीमन्, इन तीन महीनों में खाद्य मंत्री के बयान के अनुसार प्रदेश से २.७५ लाख टन मोटा अनाज बाहर गया। इतना ही नहीं ४० हजार टन चावल भी इस प्रदेश के केन्द्रीय सरकार को गया। इस प्रकार से सरकारी आंकड़ों के अनुसार ३ लाख टन से अधिक, अभाव होते हुये भी, इस प्रदेश से बाहर गया। इन्हीं तीन महीनों में इस प्रदेश को केन्द्र से कितना अन्न प्राप्त हुआ, उसके आंकड़े भी उपलब्ध हैं। डेढ़ लाख टन गेहूं के अलावा ९८ हजार टन फ्लोर मिलों के लिये और ५० हजार टन कवाल टाउन्स के लिये मिला। इस सब हिसाब को लगाया जाय और इन तीन महीनों की आयात और निर्यात को देखा जाय तो निर्यात से आयात कम हुआ है। इसका परिणाम यह है कि वास्तविक कमी इस प्रदेश में थी, जो कि यहां की आवश्यकताओं और १९६३-६४ की कुल कृषि पैदावार को देखते हुये आंकी गयी थी वह अभाव और बढ़ गया।

श्रीमन्, अब देखना यह है कि यह अभाव यकायक एक बारगी हुआ है या आज से कुछ वर्षों पूर्व अभाव होना प्रारम्भ हुआ था। सरकारी कृषि विभाग के बुलेटिनों के अनुसार मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में १९५१ में ५,९१,७१६ टन की खाद्यान्न की सरप्लस थी। १९६१ में १२.९६ टन की सरप्लस थी। श्रीमन्, खाद्यान्न की कमी और अभाव का जन्म इस प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से प्रारम्भ हुआ। प्रथम वर्ष में जहां हमारी चेष्टा थी कि हम ८ लाख टन अधिक अन्न का उपार्जन करेंगे, पहले वर्ष में ही ३-४ लाख टन की कमी हो गयी। इसी तरह से दूसरे वर्ष में १९६२-६३ में जहां हमारा लक्ष्य यह था कि हम १२.५ लाख टन एडीशनल ऐग्रीकल्चरल पोटेंशियल पैदा करेंगे वहां १० लाख टन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल की पैदावार से कम पैदा हुआ है। प्लानिंग के तृतीय वर्ष में हमारा लक्ष्य यह था कि १२.५ टन और अति-

[श्री शिवराजसिंह]

रिक्त पोटेंशियल फूड प्रोडक्शन को पैदा करेंगे लेकिन कुल ११२.५ लाख टन ही कर पाये। तीन वर्षों में जो सरकार उस वर्ष ३३ लाख टन अधिक अन्न पैदा करना चाहती थी वह ३० लाख टन कम पैदा हुआ। इस प्रकार से हमारे टारगेट्स में भारी कमी होती रही।

यही नहीं ५०-५१ से एक और दुश्वारी शुरू हुई। वह भी मैं सदन के समक्ष विचारार्थ रखना उचित समझता हूं। वह यह है कि खरीफ की बहुत सी फसलों की पैदावार प्रति वर्ष प्रति एकड़ इस प्रदेश में ५०-५१ से मुतवातिर घटती जा रही है। दुःख की बात यह है कि वे फसल वे हैं जिनको मोटा अनाज कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल प्रदेश की गरीब जनता करती है। खरीफ के अन्दर, ज्वार, कोदों, काकुन, बाजरा, मेज, मडुआ, अरहर, उर्द, मूंग और मोठ . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप माइक पर नहीं बोल रहे हैं, इसलिये कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री शिवराजसिंह---

इसी तरह से रबी में बारली, ग्राम आदि है। खरीफ की फसलें जितने रकबे पर उगायी जाती हैं उसका ५५ फीसदी में वे फसलें हैं जिनका मैंने नाम लिया। इसी प्रकार रबी की जितनी फसलें उगाई जाती हैं उसमें लगभग५० फी सदी क्षेत्र में वे फसलें हैं जिनका मैंने नाम लिया। तो ये दोनों ही बड़े अहम पहलू हैं कि जिन अनाजों का इस्तेमाल प्रदेश की जनता करती है उनकी एवरेज ईल्ड गिरती जाती है।

दूसरी बात मैंने यह अर्ज की कि इस प्रश्न का एक कांस्टीट्यूशनल पहलू भी है। यह खाद्य का सब्जेक्ट कांकरेंट लिस्ट में आता है। इस पर प्रान्त को भी अधिकार है कि वह लेजिस्लेशन करे और केन्द्र को भी अधिकार है कि वह उस पर लेजिस्लेशन करे। यदि एक ही विषय पर दो कंट्राडिक्टरी लेजिस्लेशन होंगे तो उसमें लाजिमी तौर पर कन्द्र का सुपीरियर होगा। मैं नहीं समझता कि जब केन्द्र ने कोई लेजिस्लेशन हमारे प्रदेश से खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नहीं बनाया था तो हमारे प्रदेश की सरकार ने आवश्यक समझ कर प्रदेश से मोटे अनाज के निर्यात पर रोक लगाने के लिये कोई आर्डिनेंस क्यों नहीं जारी किया। दूसरी कांस्टीट्यूशनल बात यह कहनी है कि सरकार का ऐसा इरादा है कि वह कवाल टाउन्स की शहरी जनता को गल्ला बहम पहुचावे बिला इस तमीज के कि वहां बसने वालों की आमदनी क्या है और शहरी जनता को और इस प्रकार बहुत थोड़ी मात्रा में यदि संभव हो तो गांवों के जरूरतमंद नागरिकों को देने की बात है। श्रीमन्,इस तरह का डिफरेंशियेशन कान्सटीट्यूशन के बरअक्स है और उस फंडामेंटल राइट्स के बरअक्स है जो तीसरे चैप्टर के आर्टिकल १४ में लिखा है कि जिन नागरिकों की अवस्था एक सी होगी उनके साथ सरकार को एक सा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जब हम यह मानते हैं कि खाद्यान्न का अभाव शहर में और गांव के खेतिहर मजदूरों के प्रति एक सा है और यह भी मानते हैं कि शहर में ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी क्रयशक्ति ज्यादा है और गांव के मजदूरों की क्रय शक्ति कम है, तो अगर कोई डिफरेन्शियेशन सरकार को करना था तो उसे गांव के खेतिहर मजदूरों के पक्ष में करना चाहिये था। सरकार को चाहिये कि वह पहले गल्ला गांव के खेतिहार मजदूरों के पास पहुंचावे जिनकी क्रयशक्ति कम है, क्योंकि शहरी जनता के पास खाने की दूसरी भी चीजें मुहइया हैं, साथ ही उनकी आमदनी भी ज्यादा है, तो उनको तो बाद में देना चाहिये।

प्रदेश में आज जो खाद्यान्न की स्थिति है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की नहीं है, खाद्य मंत्री ने खुद अपने बयान में कहा है कि जब इंडिया के फूड डाइरेक्टर जनरल से वे मिले थे तो उन्होंने उनसे साफ शब्दों में कहा था कि उनके पास खाद्यान्न का रिजर्व स्टाक इतना ज्यादा है कि आप न केवल अपने प्रदेश की जनता के लिये फेयर प्राइस शाप्स पर ही अनाज दें,बल्कि प्रदेश

के प्राइवेट व्यापारियों को भी अगर आप अनाज अपने यहां से देंगे तो हम उसको अपने स्टाक से रिप्लेस कर देंगे। श्रीमन्, जब इस प्रकार का आश्वासन केन्द्रीय सरकार ने दिया हो और उसके पश्चात् सरकार के बराबर लिखने पर भी उसने वादा किया हो कि अन्न की पूर्ति की जायगी, फिर भी अन्न की सप्लाई न हो तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से यह इस प्रदेश की जनता के साथ केन्द्रीय सरकार का विश्वासघात है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, उधर के बैठने वाले सदस्यों की ओर से आरोप है कि विरोधी दल की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये।

[इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।]

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अविश्वास के प्रस्ताव का नियम ६ मास पर आने का है अगर यह हर मास आये तो आगे की कुर्सियों पर बैठने वालों के लिये बड़ा हितकर होगा। अविश्वास का प्रस्ताव, या सालाना बजट के मौके ऐसे होते हैं जब कि सरकार को एक आत्मचिन्तन का मौका मिलता है, जब कि सरकार को इस सदन और प्रदेश की जनता को एक अवसर मिलता है कि इस प्रदेश की सरकार ने दस साल या ५ साल की अवधि में कौन से काम किये हैं और उसने सूबे की जनता को क्या सुख सुविधा पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में आपकी कारगुजारी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का हो, सहकारिता का हो, सिंचाई का हो, माल का हो या पुलिस का हो, सब में हर जगह सूबे की जनता को चाहे वह झोपड़ी का रहने वाला हो या शहर का पढ़ा लिखा नौजवान हो, हर आदमी जनता का कहता है कि सरकार हर जगह फेल हुई है और उसके द्वारा कहीं कोई तरक्की नहीं हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे तथ्य हैं कि अंग्रेजी जमाने के मुकाबले में इन दस पांच सालों में आपने हर स्थान पर अपने को गिरावट की तरह ही पाया है। तो फिर इधर के लोग आप में कैसे विश्वास प्रकट करें? मैं बड़ा आभारी हूं श्री कृष्णानन्दराय जी का और श्री शिवराज सिंह जी का और उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि सरकार अन्न की समस्या को हल नहीं कर पायी। किसी ने नेगी जी को जिम्मेदार बताया, किसी ने मुख्य मंत्री को दोषी ठहराया, किसी ने लाल बहादुर जी को बताया, किसी ने सुब्रह्मण्यम जी को कहा। यहां और दिल्ली में सब जगह उधर की पार्टी की ही सरकार है। जब आप खुद कबूल करते हैं कि यह सरकार अकर्मण्य हो रही है और उसी की बेवकूफी से, उसी की लापरवाही से यह सारा संकट आया है तो कैसे यह सरकार बनी रह सकती है। यह आत्मचिन्तन आपको स्वयं करना चाहिये।

एक निवेदन मैं करूंगा कि जहां आप अन्न की समस्या की आज बात कर रहे हैं वहां सूबे में और भी समस्यायें हैं उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। अभी गोरखपुर से तार आया है गोरखपुर विश्वविद्यालय की अव्यवस्था के खिलाफ वहां भी भूख हड़ताल चल रही है। मैं सरकार का दृष्टिकोण जानता हूं, ऐसे नाजुक वक्त में भी वह बदला नहीं है। शिक्षा मन्त्री को इन संस्थाओं की ओर से गहराई के साथ सोचना चाहिए और इस तरह की बदइन्तजामी को दूर करना चाहिये और अगर सरकार इस अव्यवस्था को दूर नहीं कर सके तो मैं कहूंगा कि यह आग में घी का काम करेगी माननीय गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जब से वह इस कुर्सी पर आए हैं और जब से यह विभाग उनके हाथ में आया है तब से उन्होंने कुनबापरस्ती, जाति-बिरादरी का बोलबाला कर दिया है। हमारे जिले में ३ ब्लाक प्रमुखों का कत्ल हुआ। मोहम्मदाबाद गोहना के प्रमुख भाई यादव पर कातिलाना हमला किया गया, ९-१-६४ से ७ मास हो गए, पुलिस ने चार्जशीट भेजी लेकिन बिरादरी और रिश्तेदारी जोड़ने के कारण कह दिया

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

गया कि सारा मामला गुप्तचर विभाग के जिम्मे कर दिया गया है। इसी तरह से बिलयरा रोड स्टेशन से जियाउलहक स्टेशन से उतर कर घर जा रहे थे, ७ बजे सुबह को बीच में ही उन का और उनके दोस्तों का कत्ल हुआ, उसमें भी चार्जशीट लगी और कहा जा रहा है कि गुप्तचर विभाग के द्वारा जानकारी हासिल की जा रही है। इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं होती और जाति बिरादरी की आड़ में कुछ नहीं होता।

इसी तरह से सरकार का माल विभाग भी ऐसे नाजुक वक्त में भी बड़ी निर्दयतापूर्वक काम रहा है, रबी की फसल पाले से मारी गई और यहां आश्वासन दिया गया था कि आजमगढ़, देवरिया और बलिया आदि जो पालाग्रस्त १२ जिले हैं वहां मालगुजारी मुल्तवी होगी लेकिन कहीं नहीं मुल्तवी की गई। हमको जानकारी है आजमगढ़ में अरहर, खरीफ और रबी की सारी फसल मारी गयी सदन में मन्त्री जी ने कहा कि जांच करायेंगे। लेकिन आज तक जांच नहीं हुई और पूरी मालगुजारी वसूल की गयी। कोसी तहसील में ९७ फीसदी मालगुजारी वसूल कर ली गयी और उसके बाद भी कुर्क अमीन और नायब-तहसीलदार डेरा डाले बैठे थे। ऐसे संकट काल में माल विभाग ने किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया है। जो जिलाधीश और तहसीलदार कहते हैं सरकार उसी में हां में हां मिलाती है। अगर इसी तरह से नौकरशाही का बोलबाला रहा तो यह सरकार के लिए और प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। आज तीसरी योजना चल रही है। हर योजनाकाल में कहा गया कि प्रदेश को अन्न में स्वावलम्बी बनायेंगे। प्रथम योजना में कहा गया, दूसरे साल ही अभाव पैदा हो गया और सरकार को बाहर से गल्ला मंगाना पड़ा। तीसरी योजना के १८ महीने रह गए हैं इस बीच में सरकार गल्ला पूरा कर पायेंगी यह नामुमकिन है। श्री नेगी साहब ने सदा लापरवाही से काम किया है और अपनी अयोग्यता के कारण जनता को भूखों मरने की हालत पर पहुंचा दिया। हमको तकलीफ है कि इनकी अयोग्यता का ज्ञान मन्त्रि मण्डल को नहीं हुआ। गांधी जी कहा करते थे कि विदेश से गल्ला मंगाना सबसे बड़ी गुलामी है। आज क्या है? भारत का दरिद्रनारायण दाने-दाने को मोहताज है। २२ फरवरी, १९६४ को खाद्य समस्या पर बहस हुई थी और माननीय भानुप्रताप सिंह के जवाब में श्री नेगी जी ने कहा कि हमारे पास २० लाख टन गल्ला हो गया है। आप तो १२ महीने की बात कहते हैं हमने ५, ६ महीने आगे का इन्तजाम कर लिया है। यानी फरवरी, १९६५ तक का तो इन्तजाम है ही उससे भी ५, ६ महीने आगे का प्रबन्ध है। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या आधार है यह कहने का। अगर वह आधार सही है तो गल्ला कहां गया? मैं समझता हूं कि आप समस्याओं को समझते नहीं, आंकड़ों को सही देखते नहीं, पढ़ते नहीं इसलिए ऐसी बात कहते हैं।

कल जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने इशारा किया कि जो लोग जखीरेबाज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग करने देना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कौन ऐसा दल है, कौन लोग ऐसे हैं जो जखीरेबाजों की सहायता करना चाहते हैं। मेरा दावा है यह सरकार स्वयं उनकी सहायता करना चाहती है। उसी दिन के बाद विवाद में नेगी साहब ने क्या कहा था: "ट्रेडर्स को यह बात समझानी चाहिए कि उनकी वजह से क्या हो रहा है। वह भी हमारे भाई हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं लेकिन वे अगर इस देश की जनता के विरुद्ध, इसकी प्रगति में बाधक होंगे तो देशद्रोह के भागी होंगे और अगर ऐसा किया तो हमारी सहानुभूति के पात्र नहीं होंगे।" मैं जानना चाहता हूं और आप स्वयं कहते हैं कि जो लोग जखीरेबाज हैं वे देशद्रोही हैं। तो आज ५ महीने बीत रहे हैं आपने जखीरेबाजों को खत्म करने का कौन-सा तरीका शुरू किया। श्री बलवान सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं उन्होंने बताया है कि २२ जुलाई को संयुक्त खाद्य समिति की बैठक हुई थी। हमने प्रस्ताव रखा कि जखीरेबाजी को खत्म करने के लिए आर्डिनेन्स का प्रयोग कीजिए तो इसका माननीय नेगी जी तथा माननीय मुख्य मन्त्री ने विरोध किया और अब आप अपनी करतूत, अपनी बेवकूफी के काम का भार दूसरों के ऊपर न थोपिए। आज जो सरकार ने किया उसे आपको कबूल करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सबसे बड़ा आदमी वह व्यक्ति है जो अपनी गलती को मानता है। अगर आप अपनी गल्ती को मानते हैं तो अपना पद त्याग दीजिए। आप जनता को सुविधा नहीं पहुंचा सकते हैं।

लोग कहते हैं श्री जगबीर सिंह जी कहते हैं कि आप तो हर साल कहते हैं कि सरकार हटेगी। वास्तव में जो प्रश्न है उसका सरकार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करती है। संसार में इस प्रदेश की सरकार के मुकाबले में, इस देश की सरकार के मुकाबले में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें इतना भ्रष्टाचार रहा हो, हर कानून में विषमता रही हो, चोरबाजारी को बढ़ावा हो, ऊंच-नीच, जात बिरादरी फैली हो और उसके बाद आप कहते हैं कि हम हटेंगे नहीं। सन १९५२ में सिर्फ ४० सदस्य इधर बैठने वाले थे। आपको स्मरण होगा, यह संख्या सन् १९५७ में बढ़कर ८० हो गयी और आज भी बहुत से लोगों के चले जाने पर भी यह संख्या १५८ है तो माननीय जगबीर सिंह जी पता लगावें और लोकतन्त्री समाजवाद बनाने वालों के दिलों को टटोलें कि यह गिरावट क्यों हुई है। संसार में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसमें इतनी गिरावट हुई हो। सरकार की ऐसी करतूत ही है कि आप १९६७ में आने वाले नहीं हैं। अगर सरकार जनता के हकों के साथ मजाक करती है तो आप निश्चय जानिए कि आप सन् ६७ में आने वाले नहीं हैं।

लोग कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन और रूस में गल्ला आज तक २० प्रतिशत बढ़ा, मिस्र में १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जापान में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में १९०२ में प्रति एकड़ गेहूं की उपज १३ मन थी पर १९६० में ९ मन प्रति एकड़ पैदावार रह गयी है। श्री बनारसी दास जी सहकारिता मन्त्री हैं, उनको तो फुर्सत नहीं है दिल्ली और लखनऊ से और सूबा कांग्रेस कमेटी के फैसलों से। दुनिया में कहां ऐसा होता है। माननीय गेंदा सिंह जी विचार करें और सरकार विचार करे कि हो क्या रहा है। सरकारी पैसा, जिसे किसान अपने पेट को भूखा रखकर, शरीर को नंगा रखकर, सरकार को मालगुजारी देता है, उस पैसे को सरकार के मन्त्री इस तरह से बहा रहे हैं पार्टी को बनाने में। यह सबसे बड़ा देशद्रोह है। अगर किसी और देश में ऐसा हुआ होता तो आप सब लोगों को देश द्रोहियों के कटघरे में बन्द कर दिया होता। लेकिन बदकिस्मती से देश की जनता जागी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह दिन जल्दी आयेगा कि देश की सरकार को क्षमा नहीं करेगी। गेहूं का भाव देखें १९६३, अगस्त में गेहूं का भाव पर क्विंटल ४२ रुपए ३६ पैसे था और आज हापुड़ की मंडी का गेहूं का भाव ६३ रुपए ५२ पैसे है। ४, ६ महीने के बाद इस तरह से भयावह भाव बढ़े हैं गेहूं के और इस प्रकार ५० प्रतिशत भाव गेहूं के बढ़े हैं उसी प्रकार से अन्य खाद्यान्नों के भाव भी बढ़े हैं। अपने प्रदेश में लाखों की तादाद में छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनकी आज हालत क्या है? २००, ३०० रुपए पाने वाले क्लर्क, चपरासी, मास्टर तथा कांस्टेबिलों के घरों में आज उपवास हो रहा है। कल लखनऊ शहर में जहां मुख्य मन्त्राणी बैठती हैं सचिवालय के सामने हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि सुचेता जी के राज्य में जनता भूखों मरती है। एक सेर का गल्ला है। लेकिन एक कहावत है कि जबरदस्त मारे और रोने न दे। मैं पूछता हूं कि सरकार बाजार से गल्ला निकाल न सकी? जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है उसका नाश होता है। मैं राज्य का नाश, राष्ट्र के नाश की बात नहीं कहता। मैं नाश चाहता हूं इस सरकार का। हमारे राष्ट्र तथा देश की जनता गरीब है। अगर यह सरकार अपने मन से नहीं हटती है तो ऐसी ताकत पैदा हम करेंगे कि यह हट जाय। चावल का भाव अगस्त के महीने में ५३.५८ पैसा था और आज ९६ रुपया है। करोड़ों रुपया सिंचाई तथा कृषि मन्त्री ने खर्च किया ट्यूबवेल बनाने में, नहर निकालने में और कुएं बनाने में। मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में यह रुपया खर्च हुआ है? खर्च नहीं हुआ है। लोगों की मोटी तोंद में गया है। जब तक सरकार इसका मूल्यांकन नहीं करती है तब तक पता नहीं चलेगा कि यह सब रुपया कहां गया?

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि प्रदेश में जखीरेबाज लोगों के पास गल्ला है। गल्ला क्यों नहीं बाजार में निकाला गया? आप को याद है कि २२ फरवरी को एक बयान दिया गया और जून के महीने में दूसरा बयान दिया गया कि अगर गल्ला अपने आप जखीरेबाज नहीं निकालते हैं तो हम उन्हें, ठीक कर देंगे, और श्रीमन्, गल्ला निकला भी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

नहीं और ठीक भी नहीं हुआ और इस प्रदेश में आज गल्ला एक रुपए सेर बिक रहा है। तो यह दोष किसके सिर पर जायेगा? क्या हमारे सिर पर जायगा? एक जानकारी करना चाहता हूं कि बहराइच में प्रदर्शन करने का निश्चय हुआ है। माननीय हुकुम सिंह जी बहुत पुराने मन्त्री हैं। वे सरकार की राजनीति को ऐसे काम में न लायें। कल संसोपा, जनसंघ तथा स्वतन्त्र पार्टी की ओर से जलूस निकालने, हड़ताल करने और प्रदर्शन करने का आयोजन है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ५ बजे यह कह दिया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते और दफा १४४ लागू कर दी। यह दमन चला कर सरकार हटा नहीं सकती है, जनता को भूखा नहीं मार सकती है। गेंदासिंह जी जरा इनको समझाइए कि ज्यों-ज्यों इनका दमन चक्र चलेगा त्यों-त्यों जनता ऊपर उठेगी और सारी राजनीति की चहार दीवारी को तोड़कर सरकार मजबूर करेगी सस्ता गल्ला देने के लिए तथा जखीरेबाजों के दरवाजे से गल्ला लाने के लिए। हम इस सरकार को जनता का रक्षक नहीं मानते हैं। हम जनता के असली रक्षक हैं जो उसकी बात सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन सरकार उल्टी बोली बोलती है। अगर सरकार दशा नहीं सुधारेगी तो हम सब पार्टी के लोग मिलकर हड़ताल करेंगे, आपके कानून तोड़ेंगे और सही रास्ते पर आपको लायेंगे और आखिरी दिन ऐसा होगा जब आपको कुर्सी से हटायेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्याख्यान जो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिए गए हैं उनको मैं बराबर सुनता रहा हूं। यह प्रस्ताव अगर किसी दूसरे अवसर पर पेश हुआ होता तो हमें कोई गिला नहीं था, लेकिन इसका सम्बन्ध जब खाद्यान्न के अभाव के सिलसिले में होता है तो कुछ आश्चर्य मालूम होता है। उधर के बैठने वाले नेताओं तथा मुख्य मन्त्री और इधर के प्रमुख सदस्यों के बीच प्रदेश की जो खाद्य समस्या है, उसका कैसे समाधान किया जाय, इस पर विचार विनिमय हुआ था।....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जवाब चाहूंगा कि जिस सरकार के आप मेम्बर हैं, उसमें उनका चपरासी क्यों भूखा मरता है?

श्री रामकुमार शास्त्री--

श्रीमन्, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन कब्ल अज वक्त बावेला करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते रहे कि हम लोग मिल कर प्रदेश की विषम समस्या को सुलझायें। कहां हम इन्कार करते हैं कि यहां पर ओला नहीं पड़ा, कहां इन्कार करते हैं कि दैवी प्रकोप के कारण अन्न की पैदावार कम हुई और कहां हम इन्कार करते हैं कि अरहर की फसल पर तुषार नहीं पड़ा। इस विषम परिस्थिति को तय करने के लिए प्रमुख सदस्यों तथा नेताओं द्वारा विचार प्रगट किए गए।

(व्यवधान)

ललकारने की बात नहीं है, सुनिए विषम स्थिति को देखकर हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से हम अन्न के अभाव को ठीक कर सकें समिति से सम्बन्धित सर्वदलीय सदस्यों तथा नेताओं को आमंत्रित किया गया और यहां की स्थिति का वर्णन एक दूसरे ने किया और जब मौका आया कि मामले को सुलझाया जाय तो इस्तीफा दे दिया गया, कितनी जबर्दस्त विडम्बना की बात है।

माननीय रामसुन्दर जी ने कहा कि अन्नाभाव ओला पड़ने की वजह से, खसूसन आजमगढ़, और देवरिया जिले में है। काफी परेशानी है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने में आपने क्या सहयोग दिया? मैं यह पूछता हूं। आप फरमाते हैं कि लगान की वसूली बिल्कुल बन्द कर दीजिए।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि लगान मुलतवी बन्द कर देने से क्या सब के घर पर चूल्हा जलने लगेगा, प्रदेश का निजाम ठीक तरह से चलने लगेगा। एकनामिक्स के तमाम लाज इधर उधर की बातों से या ऐसे आंकड़ों से जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता खत्म नहीं हो जायेंगे। अगर आज ऐसी परिस्थिति जो एक पोलिटिकल कैपिटल बनाने के लिए, पोस्ट मार्टम करने की है, अगर उस पर अमल कर भी लिया जाय तो क्या उससे जो यहां के बसने वाले भूखे हैं उनकी भूख मिट जायगी और अगर ऐसा होता है तो यह सरकार उसे पूरा करने की कोशिश करेगी।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

नहीं कर पा रही है।

श्री राम कुमार शास्त्री--

नहीं कर पा रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस प्रदेश के रहने वालों ने बजरी का अन्न नहीं खाया है ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश और देश के धुरंधर विद्वान जैसे के० एम० मुन्शी जी, देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी और जयराम दास दौलतराम जी जैसे लोगों ने इस समस्या को हल करने का अथक प्रयत्न किया ? हां, एक जादूगर पैदा हुआ था, लेकिन उसने भी अन्न नहीं पैदा कर दिया था, मनोबल पैदा किया, लेकिन क्या इस तरह से आप डिमांस्ट्रेशन करके लोगों के मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं ? मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि बैठिए, विचार करें कि कैसे स्थिति को सुधारा जाय। रोज समाचारपत्रों में आ रहा है कि कलकत्ते से बम्बई से हमारे वैगन्स चल रहे हैं। उसका वितरण किस तरीके से होगा उसको हमको सोचना चाहिए और साथ-साथ जखीरेबाजी जहां है उसको किस तरीके से निकाला जाय, यह सब यहां शोर गुल करके या हमें बोलने न दे करके नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की खबरें फैलाकर उसका हल नहीं हो सकता है कि लोग मर रहे हैं, जब मरा एक नहीं है लोगों को स्वयं मारे डाल रहे हैं इसका महापाप आप पर होगा। आप वास्तविक स्थिति पर परदा डालना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तहरीक में हम पीछे रहे ? हजूर, जब आप जेलखाने गए तो यहां की निरीह जनता के हित में अपने बच्चे, अपने पड़ोसियों की फिक्र न करके देश के उत्थान में आपके साथ रहे। आज विषम परिस्थिति है, शायद ही कोई देशद्रोही हो जो जनता का प्रतिनिधि हो, यह चाहता हो कि हमारा देश उत्तरोत्तर आगे न बढ़े। मेरे मित्र रामसुन्दर जी ने फरमाया कि कुछ नहीं हुआ। माफ कीजिए, पीलिया रोग होने पर नहीं दिखाई पड़ता। अपने बहराइच के लिए फरमाया। सही है कि इकौना में फसल जाया हुई, लेकिन ट्रांस राप्ती एरिया में नौगढ़, जो बस्ती जिले में है वहां बम्पर क्राप है और आप चलें तो पायेंगे कि पचीसो गाड़ियां चावल वहां से देवरिया, गोरखपुर जा रहा है। यहां पर कुछ लोगों ने विषम परिस्थिति पैदा की उसको आपको देखना है, हमको देखना है। मैदान से बाहर चले जाने से, तो काम होने वाला नहीं है। आप तो चाहते थे झूठे तरीके से डिमान्स्ट्रेशन करना, आप चाहते थे कि आपकी पार्टी को बल मिले, आपने दिल में ईमानदारी से यह चीज नहीं चाही थी कि भूखे आदमी के गले से एकाध अन्न गुजर जाय और उसका कल्याण हो जाय, वह आनन्द से जिन्दगी बसर कर सके। मैंने साफ इजहार किया था कि मेरे चपरासी को खाने की तकलीफ है और उसका इन्तजाम आपको भी करना है, हमको भी करना है। एक पोलिटिकल स्टंट और यहां खड़े होकर कहने से तो काम नहीं चलेगा....

(व्यवधान)

मुझको रोक देने से काम नहीं चलेगा, न इस प्रस्ताव से काम चलेगा। बैठकर के मनन करना पड़ेगा, गल्ला निकालना पड़ेगा। जहां से प्रबन्ध होना है उनसे बात करनी होगी। क्यों नहीं दिल्ली तशरीफ ले गए ? क्यों बैठे रहे ? यह देशद्रोह का काम नहीं था ? वादा-खिलाफी नहीं थी ? यहां पर चुपचाप बैठकर डिमान्स्ट्रेशन करा रहे हैं बनियों को बुलाकर। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी स्थिति भयावह नहीं हुई है। हम और

[श्री रामकुमार शास्त्री]

आपने बुरे गल्ले को खाकर वक्त काटा है। पिछली मर्तबा हमने यहां पर भुखमरी के नक्शे को देखा। यहां का निवासी धैर्यवान् है, तकलीफ सहकर के वक्त काट सकता है, आपके गुमराह करने से गुमराह नहीं होगा।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, खाद्य संकट का विषय राजनीति और राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर है। जब मैं इस विषय पर बोलने खड़ा हुआ हूं तो मुझे लगता है कि आगे की बेन्चों पर बैठे हुए मन्त्रिगण जो हैं ये कटघरे में बैठे हुए मुलजिम हैं और यह सही मानों में जनता के मुलजिम हैं। स्थिति अभूतपूर्व संकटमय है और इसके स्वरूप का आकार राष्ट्रव्यापी हो चुका है। महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र, गुजरात, यू० पी० और पंजाब बिहार तक भी इसकी छाया पहुंच चुकी है। कितनी स्थिति दयनीय है, मान्यवर, कि एक फसल खराब हो रबी की एक साल और सारे प्रदेश की जनता भुखमरी के कगार पर खड़ी हो जाती है। यह सरकार की तमाम पंचवर्षीय योजनाओं का एक समुच्चय फल है, तमाम सिंचाई योजनाओं का यह नतीजा है, तमाम कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं का यह परिणाम है। मान्यवर, हिन्दुस्तान यू० एन० ओ० की रिपोर्ट के अनुसार वर्स्ट कन्ट्री है। ऐसा मुल्क है जहां कैलोरी के हिसाब से सब से कम भोजन प्रति व्यक्ति मिलता है। यहां के लोग कम से कम पर गुजर कर सकते हैं। उनको भरपेट अन्न न साल भर मिलता है और इस समय की स्थिति तो अकल्पनीय है। इसी सदन में मान्यवर, हाफिज जी ने कहा था, वर्षों पहले की बात है जब वह वित्त मन्त्री थे, कि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है खाद्य समस्या के बारे में। कहां गई वह खाद्य की आत्मनिर्भरता? हमारे दिवंगत प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि सन् १९५० में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जायगा खाने के मामले में? कहां गया वह दावा? भूतपूर्व कृषि मन्त्री पंजाबराव देशमुख ने कहा था पटना के अपने भाषण में कि तृतीय योजना के अन्त तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जायगा, लेकिन अब उसके बारे में जो कांग्रेस की कमेटियां हैं वह भी कह रही हैं, सरकार की जो जांच कमेटियां हैं वह भी कह रही हैं और प्लानिंग कमीशन भी कह रहा है कि तीसरी योजना के अन्त तक देश आत्म निर्भर नहीं हो सकेगा, इसलिए चौथी योजना में भी उसी पर विशेष बल दिया जा रहा है। मान्यवर, इस दावे और वस्तुस्थिति में क्या समन्वय है? क्या मेल है?

आज मंहगाई कितनी पहुंच चुकी है, इसके विषय में बहुत कहने की जरूरत नहीं है। बलिया में जो सबसे पहले सस्ता भोजन सत्तू है, वह भी १ रु० ६ आने से लेकर १ रु० आठ आने सेर तक है। चावल गोरखपुर में इन्टीरियर में १२ छटांक, दाल १० छटांक, और गेहूं १ सेर में १ छटांक कम हो चला है। जौ और मटर का मिला हुआ जो आटा होता है वह भी १ रुपया का १ सेर मिलना मुश्किल हो गया है। इसका फल यह है कि आज लाखों की संख्या में जनता पूर्वी अंचल में महुआ और इमली के पत्ते तोड़कर खा रही है और अपना जीवन निर्वाह कर रही है। जो हमारा खेतिहर मजदूर है, जो समाज का पिछड़ा हुआ मजदूर है उनकी हालत भी बहुत दर्दनाक है। पूर्वी अंचल में ४ पैसे, एक पाव सत्तू उनकी मजदूरी है। आज भी यह किसी को मुगालता नहीं रहना चाहिये। यह असलियत है। बहुत हुआ तो ८ पैसे, एक पाव महुआ और एक पाव गुड़ उसको मजदूरी में दे दिया। इससे बदतर मजदूरों की हालत और क्या हो सकती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। यही कारण है कि जिसके पास पैसा है वह भी आज अनाज नहीं पा रहा है। आजमगढ़ में जहां पर अनाज ही उसको मजदूरी मिला करती थी आज उसको मजदूरी में अनाज नहीं मिल रहा है। इसी बिना पर वह कहता है कि हमको पैसा नहीं मिलना चाहिये, हमको अनाज मिलना चाहिये। पैसा लेकर वह क्या करेगा जब सस्ता अनाज उसको नहीं मिल रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मान्यवर, मुझे एक कहानी याद आती है जब कि अंग्रेजी राज्य में मल्का हमारे देश में आई थी । उनका बनारस में भी आगमन हुआ था । उस समय उनको गरीब आदमी भी देखने के लिये आये थे । वही गरीब लोग आज कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य अच्छा था, क्योंकि कम से कम उस राज्य में खाने की तो कोई तकलीफ नहीं थी । सुनने में यह बात चाहे अच्छी न लगती हो, लेकिन यह असलियत उनको अंग्रेजी जमाने में दिखाई देती थी । आज के जमाने में जनता का जीवन अधिक दुखमय हो चला है । वह भी १, २ प्रतिशत का नहीं, बल्कि ७०, ८० प्रतिशत जनता का जीवन दुखमय हो चला है । इसलिये इस प्रकार की दुखमय भावना उनके मुंह से निकलती है । मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, लेकिन हमारे देश की खाद्य स्थिति बहुत दयनीय है । हरेकृष्ण मेहताब ने बताया था कि ३ प्रतिशत अनाज की पैदावार में हमारे यहां बढ़ोत्तरी हुई है । यह बात उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में बोलते हुये कही थी । उनका यह विश्वास है कि १९४१–५१ के बीच में ३ प्रतिशत पैदावार बढ़ी है जब कि हमारे देश में कोई योजना चालू नहीं हुई थी । यही कारण है कि हमारे देश में बाहर से अनाज का आयात आज भी उसी प्रकार से जारी है जैसा कि पहले चल रहा था । रफी अहमद किदवई के मरने के बाद से आयात का क्रम बन्द नहीं हुआ है, बल्कि वह क्रम बढ़ता जा रहा है । यदि वह थोड़ा घटा है तो फिर बढ़ गया है । पिछले ६।। वर्षों में १० अरब ६० करोड़ रुपया का अनाज विदेशों से आया है । हमारा प्रदेश २२ फीसदी अनाज १० साल पहले पैदा करता था । अब वह १७ फीसदी हो गया है जब कि हमारे प्रदेश की आबादी भी १७ फीसदी है और खेती का जो एकरेज है वह भी १७ फीसदी है । खेती की पैदावार भी हमारे यहां २५ फीसदी घटी है । जब यहां पर जिला परिषदों के अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि यहां पर २५ फीसदी पैदावार घटी है । माननीय चरणसिंह जी का भी दावा है कि हमारे प्रदेश में गल्ले की कमी नहीं है । जितना हमारे प्रदेश को गल्ला चाहिये उतना गल्ला हमारे यहां मौजूद है । यह बात उन्होंने विभिन्न नेताओं की मीटिंग जो मुख्य मंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें कही थी । उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में गल्ले की कमी नहीं है । फसल भले ही खराब हुई हो, लेकिन ११६ लाख टन पैदा हुआ है । अगर ६ छंटांक और ४ छटांक का हिसाब नगर और गांव के लिये लगाया जाय तो ९६ लाख टन ही हमको चाहिये । तो फिर यह गल्ला कहां गया ? नेगी जी सन्तोष कर लेते हैं कि गल्ला कम है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर यह २ लाख मन गल्ला जो दिल्ली में पकड़ा गया है वह कहां से आया ? साढ़े चार हजार मन गल्ला उज्जैन में पकड़ा गया, वह कहां से आया ? एक सप्ताह की बात है १८ या २० हजार बोरे खाद्यान्न जबलपुर में पकड़ा गया वह कहां से आया ? यह ठीक है कि जाड़े पाले से हमारी उपज कम हुई है, लेकिन वह इतनी कम नहीं है कि इतनी महंगाई हो जाय । सारा अनाज रखा हुआ है, जब तक आप उसे निकालेंगे नहीं यह खाद्य समस्या हल नहीं होने की । इसके हल न होने से भुखमरी और विद्रोह अवश्य हो सकता है । लगता है कि हम एक भंवर में फंस गये हैं, एक विशस सर्किल में आ गये हैं । महंगाई है, इसलिये कि टैक्स बढ़ रहे हैं । टैक्स आवश्यक हैं सुरक्षा तथा योजनाओं के लिये । अगर उसके लिये दूसरे उपाय बताये जाते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, मिलों और कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो कांग्रेसपार्टी के एक वर्ग को चोट लगती है और वह नहीं हो पाता । फिर उपाय क्या है और हम उसी विशस सर्किल में पड़े रहते हैं । आपकी इसी नीति के कारण टैक्स चार गुना हो गया है और बैंकों और कारखानों का मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है । तो इस विशस सर्किल से निकलने के लिये आवश्यक है कि आप बैंकों का और बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें, ताकि उनके बल पर जखीरेबाजों को समाप्त किया जा सके और वे देश को एक्सप्लायट न कर सकें ।

मान्यवर, आखिरी बात में यह कहना चाहता हूं कि मैं जखीरेबाजों को आदमखोर समझता हूं, मैन इंटर्स । उनके साथ सरकार को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिये और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके साथ की जानी चाहिये । आप सी० आई० डी० का स्टाफ नियुक्त करें, उनकी पूरी जांच करायें और जो गल्ला उनसे प्राप्त हो उससे तथा बाहर से आये गल्ले के बल पर इस संकट का सामना करें ।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर डिस्कशन की मांग की है, उन्होंने एक भूल की है । मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ कि इस पर आठ दिन की बहस की मांग की गयी । हम समय की कद्र करना नहीं जानते । जैसी स्थिति है, क्या उसमें यह जरूरी नहीं था कि फौरी आर्डर्स होते ? इस विषय पर आठ दिनों की बहस की मांग करना वही है जैसे व्हाइल रोम इस बर्निंग नीरो इस फिडलिंग । इसका मतलब यह है कि हम इस प्रश्न को टालना चाहते हैं । जब ऐसा कठोर संकट हमारे सामने है तो क्या आप समझते हैं कि आप इस सरकार को बदल सकेंगे ? अगर आपका अभिप्राय अटेंशन केंद्रित करने का है तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी माननीय सदस्यों ने भूल की है । आपने हमारी सेक्योरिटी, मूल संगठन को चैलेंज किया है, आपने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है और इसलिये हमारा दृष्टिकोण बदला हुआ है । हमको आपकी नीयतों में शक है । इसलिये हम आपको अपने साथ लेकर इस समस्या को हल नहीं कर सकते ।

मैं अपने अपोजीशन के भाइयों से दो सवाल करना चाहता हूं जो समाजवाद का नारा लगाते हैं । बम्बई में जो कुछ हुआ क्या उसे आप जायज समझते हैं ? और अगर नाजायज समझते हैं तो अखबार क्यों सायलेंट हैं, आपने एक लब्ज भी क्यों नहीं कहा ? इसके माने यह हैं कि आप आग में लोगों को जलते हुये देख कर उनको कनडेम्न करते हैं । क्या फ्री ट्रेड का नारा लगा कर संकट के समय में उन मुनाफाखोरों के दिलों में आपने आस्थाओं का संचार नहीं किया ? क्या आपने कमीशन की गलती नहीं की ? हम तो ओमीशन करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आपका यह चार्ज है, लेकिन आपका ऐक्शन तो पाजिटिव था ।

अनेक सदस्य--

कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या कह रहे हैं ।

श्री नौरंगलाल--

लाजिक सख्त होती है और उसको सुनने के लिये सहानुभूति और ताकत चाहिये । गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, अगर नहीं करती तो क्या होता इसको कोई नहीं सोचता । कितनी भुखमरी देश में हो गयी होती अगर सरकार मेजर्स नहीं लेती ? किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया । दुनियां का दस्तूर है, जो ताकत में होता है उसको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं और उसको बरदाश्त करनी चाहिये । मैं तो इस बात पर जोर देता हूं कि संकट के समय आपको मिलकर काम करना चाहिये । जिस समय कमेटी बनायी गयी, अगर आपका प्रोपोजल न माना गया होता तो आप कह सकते थे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने हमको छोड़ दिया, ताकि हम बदनाम हो जायं । आपको डर था कि कहीं हम कामयाब न हो जायं । यह तो वही मसल हुई कि आग लग रही है और जो कुछ आग बुझाने जाते हैं उनके लिये आप कहते हैं कि इनका साथ मत दो । क्या यह भी सोचा कि फिर आग बुझायेगा कौन ? बुझाने आप खुद नहीं आते । पोस्टमार्टम बिफोर डेथ आप कर रहे हैं । पहले मरीज को जिला लेने दो, उसके बाद चाहे जो कुछ कर लेना, लेकिन इसको कोई सोचता नहीं है, विचार ही नहीं करता । मैं तो जानता हूं कि उधर से कोई सजेशन आवेगा नहीं, सुझाव हमें देना है । टाइम हमारे पास नहीं है--

"हमें खुदा की कसम शौक से जिबह करना,
जमन में आग लगी है बुझा तो लें सैयाद ।"

आग बुझा लेने दो, फिर कत्ल कर देना । इस वक्त जो देश पर मुसीबत है, उसमें हर एक देशवासी को मिल जुल कर उसका मुकाबला करना चाहिये । माननीय मंत्री जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं । आप इंतजार मत कीजिये, आपको देखना है कि इम्मीजिएट ऐक्शन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्या लेना है । अगर आप इनकी बातों में उलझे रहे और चार दिन बाद कोई ऐक्शन लिया तो इट मे बी टू लेट । आप फौरन हर देहात में प्रोक्योरमेंट की पालिसी अख्तियार कीजिये । हर गांव से अनाज लीजिये जिनसे भी मिल सकता है और उसके बदले में उनको सीमेंट दीजिये और जीवन की दूसरी जरूरी चीजें दीजिये । आपको शहरों और देहातों में कोई फर्क नहीं रखना है, दोनों के लिये पालिसी एक जैसी होनी चाहिये । फिर हमें एक सीमा निर्धारित करनी होगी आमदनी की १००, २००, ३०० तक, जिसमें कि आपको डिस्ट्रिब्यूशन करना होगा। जो अपने आप खा सकते हैं उनको छोड़ दीजिये, जो भूखों मर रहे हैं उनको गल्ला दीजिये ।

चौथी बात यह है कि आपका यह सप्लाई विभाग अविश्वास के काबिल है, यह सिचुएशन को मीट करने में असफल रहा है । मेरा सुझाव है कि आपने जो कमेटीज बनायी हैं इनको आप पूरी शक्ति दीजिये और जो भी सुझाव उनके हों उनको मानिये ।

एक बात यह और कहना है कि स्टेट ट्रेडिंग और फ्री ट्रेड साथ-साथ नहीं चल सकतीं । अगर फ्री ट्रेड होगी तो स्टेट ट्रेडिंग फेल हो जायगी । आज ग्रेन डीलर्स काफी होशियार हो गये हैं । वे थोड़ा-थोड़ा गल्ला मंगाते हैं इस डर से कि कहीं सरकार न ले ले । इसलिये अगर आपको छापा ही मारना है तो बड़ी-बड़ी मंडियों में छापा मारिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस तरफ से जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह जो खाद्य संकट है वह मानवकृत है। आज जो संकट से उसका कारण केवल गल्ले की कमी ही नहीं है, वरन् जो बड़े-बड़े गल्ले के व्यापारी और जखीरेबाज हैं, वे उसके जिम्मेदार हैं । इसके साथ ही देश के अन्दर रुपये का जो गलत प्रचलन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है वह भी इसका एक कारण है ।

तीसरा दोषपूर्ण कारण वितरण व्यवस्था का है और भ्रष्ट नौकरशाही का है । मान्यवर, जब हम यह कहते हैं कि यह संकट मानवकृत है, तो मैं यह कहता हूं कि जो भी जखीरेबाज हैं उनका यदि कोई धर्म और ईमान है वे वह पैसा ही है । वे हर तरह से रुपया कमाना ही जानते हैं । बंगाल में जब अकाल पड़ा था उस समय भी एक तरफ फुटपाथों पर लाशें पड़ी थीं दूसरी तरफ जखीरेबाजों के गोदामों में गल्ला सड़ रहा था । आज यह दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक किसी जखीरेबाज को नहीं पकड़ा है । कल माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि यदि विरोधी दल यह कहे कि जखीरेबाजों का स्टाक सरकार जमा कर ले तो सरकार ऐसा कर लेगी, लेकिन जब सभी विरोधी दलों ने एक मत से इसको स्वीकार किया, फिर भी अभी तक इस सरकार ने उस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की । मैं सरकार से और मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उसने विरोधी दल की किस किस बात को माना है ? सरकार करती वही है जो उसके मन में आता है । आज यह कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग प्रदर्शन करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, मान्यवर, विरोधी दल के लोगों के भाषणों से ज्यादा उत्तेजनात्मक भाषण इस सरकार की तरफ से होते हैं । अभी आगरे में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि यदि व्यापारी गल्ला नहीं निकालेंगे तो लूटमार हो जायेगी, भूखी जनता उनको लूटेगी और इसको वह सहन नहीं करेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि वह व्यापारियों पर कोई अंकुश लगावेंगे या नहीं और इस तरह के वह भाषण देंगे तो लूटमार नहीं होगी तो क्या होगा ?

मान्यवर, आज केन्द्र के ऊपर दोष डाला जाता है कि वह हमारी बात नहीं सुनता है क्यों नहीं सुनता है ? मुझे पता है कि जब जोनल योजना को समाप्त करने की बात मुख्य-मंत्रियों की मीटिंग में की गई तो एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इसका विरोध किया था और जोनल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

सिस्टम नहीं तोड़ा गया । यदि आज हम जोनल सिस्टम को तोड़ दें तो पंजाब और दिल्ली से हमारे यहां गेहूं आ सकता है और वह सस्ता हो सकता है, लेकिन उसे करने के लिये हमारी सरकार तैयार नहीं है। हमारे यहां ३५ रुपये मन गेहूं और पंजाब व दिल्ली में १६ व १७ रुपये मन है। हम अपने आपसी झगड़े में ही लगे हुये हैं कि पी० सी० सी० का प्रेसीडेंट कौन हो। उसकी लड़ाई के लिये दिल्ली बार-बार जाते हैं और मीटिंग करते हैं, लेकिन सेंटर से जोर के साथ जनता की बात नहीं कह सकते हैं । आगरे से हजारों मन चना मद्रास को चला गया । जब उसकी हमारे देश में कमी है तो क्यों जाने दिया ? आज २ लाख मन गेहूं दिल्ली में पकड़ा गया । कहां से आया यह ? मेरा सुझाव है कि आप १५ दिन के अन्दर जखीरेबाजों के स्टाक डिक्लेयर कराइये और जिसके पास गल्ला उसके बाद मिले उसे बिना किसी नियम के सजा कराइये । देखिये कि अन्न का स्टाक बाजार में आकर खुले रूप से बिकता है या नहीं और सस्ता होता है या नहीं । साथ ही विदेशी अनाज के वितरण की व्यवस्था को ठीक कीजिये । आप केन्द्र को सुझाव दीजिये कि १,०००, १०,००० और १०० रुपये के नोटों को बन्द करें जिससे मुद्रास्फीति समाप्त हो और महंगाई रुक सके । गुजरात ने मूंगफली के निर्यात पर रोक लगा दी, महाराष्ट्र ने जुवार पर लगा दी । उससे हमारे प्रदेश में तेल का भाव ४ रुपये सेर हो गया । आगरे की मंडी सारे यू० पी० और कलकत्ते को तेल भेजती है, उसके निर्यात पर रोक लगाई जानी चाहिये, जिससे यहां तेल सस्ता मिल सके ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह अविश्वास के इस प्रस्ताव पर कल से बहस चल रही है, मैं इस प्रस्ताव को बिलकुल असामयिक समझता हूं, असामयिक ही नहीं, बल्कि अनुचित तथा अनावश्यक भी समझता हूं । आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों । इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज अन्न संकट है, महंगाई पराकाष्ठा पर पहुंच गई है और अन्न की बहुत कमी है । दोनों तरफ के कक्षों में बैठने वाले इसे मानते हैं, परन्तु इसका समाधान या निराकरण क्या प्रदर्शनों से या नारे बाजी से हो सकता है ? २७ तारीख से विधान सभा की बैठक का आयोजन किया गया था । इसके पहले ही सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी ने सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया, कान्फ्रेंस हुई । कोई ठोस सुझाव उसमें दिया गया होता और मुख्य मंत्री जी ने उस पर अमल न किया होता तब तो अविश्वास का प्रस्ताव लाने का कारण हो सकता था । मैं विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव पर इतनी ही दिलचस्पी उनकी है कि इस समय विरोधी दलों के केवल १८ या १९ सदस्य ही उनके यहां बैठे हैं । २ बजे का समय हो गया है । उस दिन जब प्रस्ताव स्वीकार करने का प्रश्न था तब तो १२१ सदस्य खड़े हो गये और आज केवल १९ ही उपस्थित हैं । जब इधर से बोलने वाले खड़े होते हैं, तब तो उधर से कुछ न कुछ विघ्न उपस्थित करने की कोशिश होती है । बाहर से बढ़ कर नारे बाजी यहां होने लगती है । यह सत्य है कि इस वर्ष विशेष दैवी प्रकोप हुआ । शीत लहरी पूरब में ही नहीं चली उसने पश्चिम में भी नुकसान किया । मटर, चना, अरहर की फसल तो रुपये में २ आने ही रह गई, जौ और गेहूं की ८ आने हुई । हमने प्रयास किया कि अन्न का भंडार रखें । हमारी भी कुछ गलतियां हुईं हम इसे मानते हैं । आप हमें सुझाव दीजिये ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और इस संकट से पार पा सकें । बहुत से सम्मानित सदस्य पूरब के भी यहां बैठे हैं । माननीय रामसुन्दर जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं । उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अंग्रेजी समय से भी ज्यादा खराब हालत आज हो गई है । वह हमारे ही जिले से आते हैं । लेकिन क्या यह सही नहीं है कि श्रावण, भादों और माघ के महीने ऐसे हैं जिनमें अन्न का संकट हमेशा होता रहा है ? हां, कम और ज्यादा, यह बात दूसरी है । माननीय झारखंडे राय भी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारे ही जिले से आते हैं । उन्होंने कहा कि वहां ४ पैसे और पाव भर सत्तू में सारे दिन के लिये मजदूर मिल जाता है। मैं भी देहात से आता हूं और थोड़ी बहुत खेती भी है, लेकिन कोई मजदूर १ या १।। रु० से कम

में हमें तो मिलता नहीं । हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जोर या डर से उन्हें ४ पैसे में मजदूर मिल जाता हो । यहां बैठकर ऐसी बातें केवल प्रचार के लिये कहना सर्वथा अनुचित है ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं बिलकुल स्वीकार करता हूं और आजमगढ़ में कमिश्नर साहेब की मीटिंग में भी मैंने इसे स्वीकार किया था कि जो हालत पैदा हो गई है बहुत बुरी है और मानवकृत है। माननीय बालोजी अग्रवाल ने कहा मैं इसको मानता हूं जितने सप्लाई विभाग के आदमी हैं टाप से लेकर बाटम तक, छोटे से लेकर बड़े तक, इन सब ने मिलकर यह परिस्थिति उत्पन्न की है। इसकी सारी जिम्मेदारी इनकी है । अगर सप्लाई विभाग को एक दम से समाप्त कर दिया जाय तो शायद यह समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी । जो आदमी परमिट लेने के लिये या गल्ले की निकासी के लिये आता है उसे हर दूकानदार को ३०-४० रु० आफिस में खर्च करने पड़ते हैं । इसके अलावा ले जाने में भी पैसा लगता है । जब कोई दूकानदार ५०-६० रुपया प्रति निकासी खर्च करेगा तो कैसे वह ठीक कीमत पर उसे बेच सकता है । वह ज्यादा कीमत पर बेचने तथा ब्लैक करने के लिये बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसने तो लाभ के लिये ही दूकान की है। इसके लिये वह ब्लैक करता है । इस सारे ब्लैक की जिम्मेदारी सप्लाई विभाग के लोगों पर ही है । आशा है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और इस भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ होंगे ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आज दो दिन से इस पर काफी बहस हो रही है । दिक्कतें हैं, गल्ला नहीं मिल रहा है, भाव क्या है, खासतौर से इन बातों पर रोशनी डाली गयी है । यह बात तो निश्चित मालूम हो गयी है कि हमारी पैदावार घटती गयी और घटती जा रही है । अब हमें यह देखना है कि इस पैदावार के घटने की क्या वजह है । इस बारे में मैं कई मर्तबा कह चुका हूं ।

पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई भी खेतिहर किसान इस बात का एतबार नहीं करता कि जो खेत उसके पास आज है वह कल भी रहेगा अथवा नहीं । जो आदमी अनिश्चित हो तो वह किस प्रकार से परिश्रम कर सकता है । अगर किसी आदमी को यह मालूम हो कि वह जिस घर में रह रहा है वह अगले साल किसी दूसरे के हाथ में चला जायगा तो वह किस प्रकार से उस घर की मरम्मत करायेगा और घर थोड़े दिन के अन्दर ही ढह जायगा । इसी प्रकार आज का किसान अनिश्चित है फिर भला वह कैसे उसमें खाद डालेगा । अगर आप थोड़े दिन के लिये चुप हो जायं तब तो वह कुछ कर भी सकता है । एक भाई ने यह बात भी यहां कही थी कि अगर हमको यह मालूम हो जाय कि हमारी औरत भागने वाली है, हमारे यहां रहने वाली नहीं है तो उसके लिये कौन गहना गढ़ायेगा? फिर भला उस खेत में कौन खाद डालेगा जो खेत हमसे छूटने वाला है ।

दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से यह कहा जा रहा है कि गल्ले की कीमत आप फिक्स कर दीजिये । कम से कम साल भर के लिये तो मुकर्रर कर ही दीजिये कि अगले बैसाख में गेहूं किस भाव खरीदा जायगा और किस भाव बेचा जायगा । आज आपकी हिम्मत जखीराबाजों से गल्ला लेने की नहीं होती । अगर वही गल्ला आज किसान के पास होता तो आपकी अक्ल उसके घर से गल्ला निकालने के लिये अवश्य दौड़ जाती । सरकार स्वयं अपने फार्म का गल्ला पैदा करने का खर्चा लगाती है १४ रुपया कुछ आना प्रति मन और किसानों का गल्ला खरीदती है १३ रुपये मन । फिर भला किस प्रकार गल्ला सरकार को मिल सकता है? गल्ला कहां से मिलेगा ? अगर हम समझते हैं कि एक मन गल्ला हमारे पास है जिसके लिये हमको बाजार में एक रुपया मिलेगा और कल अगर ४ पसेरी पैदा करें तो उसका दाम भी एक रुपया ही मिलेगा, परसों १० सेर का एक रुपया मिलेगा और आज अगर एक सेर का एक रुपया ही किसान को मिलता है तो वह २ सेर क्यों पैदा करे । बात क्या है ? क्यों नहीं आप तय करते कि हमारे गेहूं की कीमत अगली फसल में क्या होगी ।

दूसरी बात यह कि आज तक आप यह तय नहीं कर सके हैं कि किस चीज के ऊपर कितना तक नफा लिया जायगा । और मुल्कों में एक फिक्स्ड रकम है कि उससे ज्यादा जो शख्स नफा लेगा उसके ऊपर जुर्म लगेगा और उसे सजा मिलेगी, लेकिन यह तो हिन्दुस्तान में ही है कि तीन साढ़े

[श्री नवरंगसिंह]

तीन सौ प्रतिशत लोग नफा लेते हैं फिर भी उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं लगाया जाता और उस पर कोई एतराज नहीं करता । आखिर बात क्या है, मैं नहीं बतला सकता कि यह सांठ गांठ कहां पर है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में सचमुच इफरात गल्ला पैदा हो तो पहले आपको गल्ले की कीमत तय करनी होगी । फिर उसी के हिसाब से किसान उसमें अपनी पूंजी लगायेगा, खाद डालेगा, मशक्कत करेगा, मजदूर लगायेगा और तभी वह उसमें अधिक पैदा कर सकेगा, क्योंकि वह तब समझेगा कि उसी के हिसाब से उसको गल्ले की कीमत भी मिलेगी । जब तक आप यह तय नहीं करते कि गल्ले की कीमत क्या होगी तब तक हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं ।

मेरे जिले में तीन प्रकार की जमीन है— तराई, तरहर, ऊपर हर । तराई में तो धान पैदा होता है और तरहर में मक्का पैदा होता है । कई सालों से घाघरा और राप्ती नदी की बाढ़ के प्रकोप से हमारे जिले में मक्का की फसल बर्बाद हो रही है । पिछले महीने में खाद्य मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि बाढ़ की वजह से बलिया, आजमगढ़ और बहराइच में गल्ले की कमी है और उनको हम गल्ला भेज देंगे । मैंने अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा कि गोंडा में कौन सा गल्ला भरा पड़ा है जो गोंडा की बाबत खाद्य मंत्री ने अपने बयान में कुछ जिक्र नहीं किया । उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई कहने वाला नहीं है । हमारी रिपोर्ट की जब कोई सुनवाई ही नहीं है तो कैसे हमारे यहां की बात आवे । हमारे ट्रांस राप्ती क्षेत्र की जैसी हालत है उसके बारे में अभी शास्त्री जी ने बतलाया कि वहां की क्या स्थिति है । वहां बहुत से घरों में एक छटांक तक गल्ला नहीं है । वहां टेस्ट वर्क भी खुला है, लेकिन टेस्ट वर्क की मजदूरी बाकी है, वहां से लोग तकावी के लिये आते हैं, लेकिन हमारी सरकार का कोई इरादा ही नहीं मालूम पड़ता है । वहां से कई आदमी तकावी के लिय आये, मजदूरी के लिये आये लेकिन उसे न पाकर लौट गये । मुझे बतलाया गया कि लौटने वालों में दो-तीन आदमी तो रास्ते में ही मर गये । अध्यक्ष जी, अगर ऐसी बात हमारी सरकार की तरफ से है कि उसे बहराइच की बात मालूम है, बस्ती की बात मालूम है, लेकिन गोंडा की हालत से वह बिलकुल अनभिज्ञ रहे तो इसके लिये क्या कहा जा सकता है ।

खासतौर से गोंडा में एक और बात है कि वहां ८०—९० प्रतिशत सस्ते गल्ले की दूकानें ऐसे लोगों के पास हैं जो कांग्रेसिया हैं और उनके ऊपर नेता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व पुलिस की छाप है । अगर कोई भी बात उनके खिलाफ हो तो फौरन दौड़-धूप शुरू हो जाती है और मामला दबा दिया जाता है । देहातों के लिये जो गल्ला मिलता है उसे शहरों में बेचा जाता है । मिसाल के लिये हमारे यहां बलरामपुर में बिशुनीपुर एक पंचायती अदालत है जिसके अन्दर ७ ग्राम सभायें हैं । अगर ढाई हजार एक ग्राम सभा में मान लें तो करीब साढ़े १७ हजार लोग वहां रहते हैं । ४ क्विंटल गल्ला एक दूकान पर देने की बात है, लेकिन वह गल्ला भी देहात की दूकानों पर न जाकर बाजार में ही बिक जाता है और दरोगा आदि का हाथ उसके पीछे रहता है । यह दूकान भी एक कांग्रेसी के हाथ में है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उसका विरोध करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सही है कि प्रजातन्त्र में जब आवश्यकता पड़ती है तो विरोधी दल को सरकार के प्रति ऐसे प्रस्ताव लाने का हक है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जिस समय खाद्य स्थिति को लेकर सारे सूबे में एक नाजुक विषम परिस्थिति हो उस समय हमारे विरोधी दल के भाइयों ने एक स्टेबिल गवर्नमेंट की जगह जोकि एक निश्चित नीति से चल रही है, उस को हटाकर एक नयी सरकार बनाने की बात किस प्रकार सोची और किस तरह से ऐसा कर के वह इस खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं ।

खाद्य समस्या पर कुछ अधिक कहने के पहले मैं दो शब्दों में विरोधी दल की जो आज स्थिति है उस पर कुछ कहना चाहूंगी और फिर इस विषय पर आऊंगी। आप क्या यह समझते हैं कि १२१ की संख्या से जिस प्रस्ताव को कि उन्होंने उपस्थित किया है आप इस सरकार को बदल सकते हैं? क्या उनमें इतनी ताकत है? वह आप नहीं कर सकते न आप में ताकत है। हां, आप इतना अवश्य कर सकते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, लेकिन सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के तरीके दूसरे भी हो सकते हैं। हम विवाद के लिए समय स्थिर कराके यह कार्यवाही और बहस कर सकते थे और इसके लिए तो स्वयं आप को मुख्य मन्त्राणी जी की ओर से अवसर भी दिया गया, स्टेट लेविल पर एक फूड ऐडवाइजरी कमेटी बनायी गयी और आप सब से सुझाव और सहयोग उसमें मांगा गया, लेकिन जब आप ने समझा कि आप में इतनी शक्ति ही नहीं है कि आप एक आवाज होकर कोई बात कह सकें, तो इसलिए आप ने वहां पहुंच कर अपने को बदनाम होने से बचाने के लिए और यह समझकर कि इस तरह से आप अपनी ही ताकत को वहां रहकर खत्म कर देंगे, यह सब समझकर आपने स्वयं ही अपने को वहां से हटा लिया।

कल माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। उन के भाषण के ३ भाग थे। एक मिनट तक तो वह अपनी पुरानी चेतावनियों की याद दिलाते रहे कि सरकार ने उन चेतावनियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस के बाद उन्होंने कुछ नीतियां बतायीं। प्रमुख बात उन्होंने यह कही कि फ्री ट्रेडिंग होना चाहिए। जब उन्होंने फ्री ट्रेडिंग का पोषण किया तभी मैंने समझ लिया कि उनका क्या उद्देश्य है, पूंजीपतियों का साथ देने वाले ही मैं समझती हूं कि उनकी हिमायत कर सकते हैं। आप ने नेशनल हेरल्ड की हेड-लाइन्स को पढ़ा होगा कि जनसंघ और मरचेंट की कैसी सांट-गांठ है, जो प्रदर्शन जनसंघ का यहां उस दिन हुआ उस से उन्होंने यहां के व्यापारियों को साथ लेकर शहर में थोड़े से लोगों से हड़ताल करायी कुछ लोग कौन्सिल हाउस के सामने आये। जिन की आबादी यहां की २६-२८ लाख की होगी और शहर की आबादी उस में से हम अगर ६-७ लाख की मान लें और उसमें से ३-४ हजार या अखबार के अनुसार ५ हजार भी आये, तो २६ लाख में उन का प्रतिशत कितना आता है? इसी से साबित हो सकता है कि आज भी जनता किस के साथ है। आज जनता यह नहीं चाहती कि धमकी देकर इस सूबे में इस वक्त नये आन्दोलन चलाये जायं। आज जनता खाद्य स्थिति का सुधार चाहती है। उसे विश्वास है कि उचित रूप से यदि कोई शासन को चलाने वाली शक्ति आज है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी है और अगर जनता को यह विश्वास हो जाता है कि सरकार जो रीति अपनाने जा रही है उससे उसको खाना मिलने वाला है और गल्ले की कीमत घटने वाली है और होर्डर्स के खिलाफ कार्यवाही होने वाली है तो जनता इस सरकार का साथ देगी, लेकिन जो सरकार को ऐसे समय में उलटने की धमकी देते हैं, जो एक कि क्रोस पैदा करना चाहते हैं, जो खाद्य समस्या को और खराब करना चाहते हैं उन के काबू में जनता कभी नहीं आ सकती। आज के अखबार में आप ने दिल्ली शहर में जो दो लाख मन गल्ला पकड़ा गया है उसमें वहां की जनता ने सरकारी अधिकारियों की मदद की। मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। सरकार में ताकत है, कल हम वह कदम उठाने वाले हैं जिससे जो लोग इस भुखमरी के समय में, मैं भुखमरी नहीं मानती हूं, मैं मानती हूं कुछ स्वार्थी बनिये ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिये हैं, मेरे विचार में अनाज की कमी नहीं है। आज अगर सरकार सख्ती से कदम उठाये, तो मंडियों में अनाज मिल सकता है। केवल अधिक पाने की आशा में व्यापारियों ने अनाज छिपा लिया है। जब नया कदम उठाया जाता है तो उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र तैयार किया जाता है। आज वह समय है जब स्टेट ट्रेडिंग या प्राइस फिक्सेशन की बात कर सकते हैं। चैत में जो गेहूं १२ रुपया मन मिलता है उसको ३६ रु० मन बनिया बेच रहा है तो यदि सरकार शुरू से ही १५, १६ रु० मन गेहूं का भाव तय कर दे और मिडिल मैन के प्राफिट को कम करने के लिए निश्चित नियम बना ले, तो फिर यह चीज बार-बार पैदा नहीं होगी। आज की हालत में मेरा सुझाव है कि फेयर प्राइस शाप्स पर भीड़ कम करने के लिए दुकानें अवश्य

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

बढ़ायी जायं और जहां भ्रष्टाचार होता है उसकी अगर जन प्रतिनिधि शिकायत करें तो सरकार सख्ती से कदम उठाये।

†श्री दीनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर तटस्थतावादी नीति को लेकर विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि संकटकाल पैदा करने वाले जखीरेबाज दलाल हैं। उसी प्रकार से शेरनी के रूप में जमी हुई सुचेता कृपालानी आज सरकस की शेरनी बन गयी हैं। आज जखीरेबाज उनको जकड़े हुये हैं इसीलिए यह संकट पैदा हो गया है। उनको गरज कर जखीरेबाजों से गल्ला निकलवाना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली में गल्ला पकड़ा गया है उसी तरह यहां भी होना चाहिए, लेकिन आपकी गद्दी उसी प्रकार की है जैसे सांप सोने चांदी पर गंडरी मार कर बैठता है उसी तरह हमारे नेगी जी बैठे हुए हैं। गल्ला इनके विभाग में है, जखीरेबाजों के पास है, लेकिन यह निकलवा नहीं रहे हैं। अतः यह संकट आप के द्वारा लाया गया है। आपकी सरकार यहां भी है और दिल्ली में भी है। "नाच न जाने आंगन टेढ़ा।" अपनी कमजोरियों को आप सेन्टर पर थोप रहे हैं। अगर आप बेबस हैं तो इस्तीफा दे देते। आप नाचना नहीं जानते तो नाचने का नाटक क्यों कर रहे हैं इस संकटकाल में। आपके स्वरों में बल नहीं है। आप कहते हैं कि संकट है, उधर के लोग भी कहते हैं कि जखीरेबाजों से गल्ला लें। मैंने चैलेंज किया था कि आप के कांग्रेस के मेम्बर, जिला परिषद् के अध्यक्ष हमारे जिले में और कुछ विरोधी एम० एल० ए० शकर और गल्ले के कोटे की दुकानें लिये हुए हैं और उन पर जब कलेक्टर छापा मारेगा तो वावैला यहां मचता है। जखीरेबाज जिनके पैसे से आप वोट पाते हैं वे उसी तरह से बने हुए हैं। आज ईमानदारी और योग्यता का आदमी ऊपर नहीं उठ रहा है। इस कांग्रेसी १७ साल के राज में केवल बेईमान और मक्कार इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी ही बन रही है। शरीफ आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। सन १९४६ में लड़ाई खत्म हुई। सन १९३९ के बाद मंहगाई बढ़ी। ४ गुनी बढ़ी। इसके बाद अब क्यों मंहगाई बढ़ी जब कि कोई लड़ाई नहीं हुई। तो स्पष्ट है कि आप निकम्मे हैं, जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने बेईमान की ताईद की। जिस प्रकार से जो वकील यह बहस करता है कि इसने (साइल) कत्ल जरूर किये हैं पर दूसरे मुजरिम ने भी १० कत्ल किये थे और वह छोड़ दिया गया तो इसे भी छोड़ दिया जाय, तो यह आप की दलील आप को काम नहीं देगी। आप के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन घटा है, यद्यपि जमीन बढ़ी है। क्यों सिंचाई में ज्यादा खर्च किया जा रहा है ? गांधी जी ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि :—

> 'Famines of India are not a calamity presented upon us from nature but is a calamity created by the Rulers whether through ignorance, indifference or otherwise does not matter"

वास्तव में अगर आप गांधी जी के चेले हैं तो इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिये। १९४३ में गल्ला इस से सस्ते दामों पर था पर बंगाल में अकाल पड़ा। लड़ाई के दिनों में वह पड़ा, लेकिन अब तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। चारों कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जन संघ का प्रदर्शन, सरकारी नौकरों का प्रदर्शन। जनसंघ के प्रदर्शन भले ही बड़े बड़े व्यापारियों के हों, पर प्रदर्शन तो हो रहे हैं। जन संघ और स्वतन्त्र पार्टियों ने कहा कि जखीरेबाजों से गल्ला निकालें, लेकिन आप की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप में पानी है और सिंहनी (सुचेता जी) शासन करना चाहती हैं तो आप को जखीरेबाजों से गल्ला निकालना पड़ेगा और अगर नहीं ले सकते हैं तो सुचेता जी चाहे औरत हों, लेकिन औरत को भी बाहर निकाल दिया जायगा।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

मान्यवर, नेता विरोधी दल के प्रस्ताव और उससे सम्बन्धित भाषण को मैं ने बहुत ध्यान से सुना, किन्तु मुझे अत्यन्त दुःख हुआ और खेद है कि मुझे सम्पूर्ण भाषण से अत्यन्त निराशा हुई। श्रीमन्, निराशा का कारण यह नहीं कि माननीय नेता विरोधी दल हमारी पार्टी के शासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये,

('इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

निराशा का कारण यह भी नहीं है कि उन्होंने हमारी सरकार की खाद्य नीति की तीव्रतम और कटुतम आलोचना की, बल्कि निराशा का कारण यह है कि उनके ५० मिनट के लम्बे ओजस्वी भाषण में रचनात्मक दृष्टिकोण के दर्शन नहीं हुये। उन्होंने एक तो यह कहा कि इस देश की खाद्य समस्या का निराकरण और समाधान हो सकता है, यदि यह सरकार इस्तीफा दे दे। वर्तमान स्थिति में यदि यह सरकार इस्तीफा दे भी दे तो मैं विरोधी दल के सदस्यों पर ही इस निर्णय का भार छोड़ता हूं कि क्या सचमुच प्रदेश की खाद्यस्थिति का निराकरण हो जायगा।

(अनेक सदस्य—हो जायगा।)

सम्भव है आपका यह ख्याल हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सही माने में जो प्रजातंत्रीय व्यक्ति है वह इस बात को कदापि नहीं कह सकता। इसके दो विकल्प होंगे। एक तो गवर्नर का शासन होगा और अगर गवर्नर का शासन नहीं होगा तो माइनारिटी की हुकूमत होगी। गवर्नर के शासन की जो बात करते हैं मैं विरोधी दल के नेताओं को बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो देखी है, लेकिन एकतंत्र राज्य नहीं देखा। उन्होंने कटुतापूर्ण और क्रूर अत्याचारी हुकूमत नहीं देखी। जिस समय अंग्रेजी साम्राज्य था, उसका नग्न अत्याचार हो रहा था, उसको इधर के बैठने वालों ने देखा है और जो प्रजातंत्रीय उसूलों तथा विचार धाराओं में विश्वास रखते हैं वे सभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि प्रदेश में गवर्नर का शासन हो। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के सामने जब यह विकल्प आया तो अधिकृत रूप से यह घोषणा की गयी कि वे यह नहीं चाहते कि गवर्नर का शासन हो, कांग्रेस का ही शासन हो, लेकिन यह बदल जाय, दूसरा आ जाय। लिहाजा अगर गवर्नर का शासन अब आप चाहते हैं तो फिर से इस पर विचार कर लें और अपने नेताओं से बातचीत कर लें।

दूसरे अल्पमत की सरकार हो सकती है। अगर सही माने में खाद्य संकट है तो ऐसे संकट के समय अल्पमत की सरकार नहीं बना करती। किसी देश का इतिहास उठा कर देख लीजिये ऐसे मौके पर दृढ़ सरकार बनायी जाती है और दूसरे दलों के आगे उस शासन में शरीक किये जाते हैं जो इस शासन को अपना सहयोग देते हैं उसका समर्थन करते हैं और इस तरह से संकट को पार किया जाता है। अगर इस प्रदेश के शासन को हटाने का सवाल उठाया गया है तो यह दूरदर्शितापूर्ण कार्य नहीं किया गया है।

मैं खाद्य मंत्री से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जो विषम परिस्थिति है उसमें उनकी नौकरशाही और प्रशासन अधिकांशतः व मूलतः जिम्मेदार है और आज की परिस्थिति को लाने के लिए। जिस समय यहां पर १६ लाख टन गल्ले की कम पैदावार हुई, जिस समय एराइवल कम हुये, केन्द्र ने गल्ला नहीं भेजा, जिस समय मूल्यों में वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती चली गयी और जिस समय यह खबरें थीं कि सारे प्रदेश में जखीरे इकट्ठे हो रहे हैं, उस मय हमारे शासन और प्रशासन ने क्या किया?

आज केन्द्र को हम दोष देते हैं। जरूर केन्द्र दोषी है, क्योंकि उसने वायदा करके गल्ला हम को उस मात्रा में नहीं दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जितने साधन हमारे पास थे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णचन्द्र]

जितनी शक्ति हमारे पास थी, और जितना नौकरशाही का मिकैनिज्म था वह पूरी शक्ति के साथ इस समस्या का निराकरण करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमन्, मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रशासन के अन्तर्गत बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, जो सबोटेज कर रहे हैं, जो हमारी योजनाओं को खत्म करते जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे यहां अकाल की स्थिति पैदा हो जाय। मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं कि पिछली १६ जुलाई को सरकारी प्रवक्ता ने खाद्य स्थिति का निर्वचन करते हुए कहा था कि हम नहीं कह सकते कि जखीरेबाज कौन हैं ? क्या प्रोड्यूसर जखीरेबाज हो सकता है, क्या दुकानदार जखीरेबाज हो सकता है और क्या कन्ज्यूमर जखीरेबाज हो सकता है ? कानून की निगाह में हम किसी को जखीरेबाज नहीं कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि अभी तक आप यह नहीं समझ पाये कि जखीरेबाज कौन हैं ? आप उसकी परिभाषा अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि आप के प्रशासन में छेद पैदा हो गये हैं, आप के प्रशासन में खामियां और कमियां आ गयी हैं, जिनको आप को तुरन्त दूर करना चाहिए।

श्रीमन्, वह प्रवक्ता आगे चलकर कहता है कि अगर हमने फ्री ट्रेड में हस्तक्षेप किया तो सप्लाई खत्म हो जायगी, ड्राइड अप हो जायेंगे, यानी सूख जायंगी, तीसरी बात वह कहता है कि हमारे सामने दो बड़ी विकल्प हैं-- या तो हम फ्री ट्रेड करें या कम्पलीट कन्ट्रोल करें। बीच में घर नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए हम ने तय किया है कि मुक्त व्यापार की मदद की जाय और चलाया जाय। श्रीमन्, यह अखबारों में है। अगर मैं गलत कह रहा होऊं तो मन्त्री जी प्रतिवाद कर दें। श्रीमन्, यह फ्री ट्रेड चलाना चाहते हैं और इनको जखीरेबाज की परिभाषा तक मालूम नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रशासन की नीति केन्द्रीय सरकार की नीति के विरुद्ध है, समाजवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है। इसलिए हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने प्रशासन की नीति को, बुनियादी दृष्टिकोण को अपने लक्ष्य और केन्द्रीय सरकार के लक्ष्य के अनुरूप करें।

श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि जखीरेबाज मध्य प्रदेश में पकड़ा जा सकता है, देहली में पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ कानून बनाये जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं ? झांसी में एक हफ्ते पहले कदम उठाया गया, लेकिन वह जखीरेबाज के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि उसने साहस किया था कि जखीरेबाजों को क्यों न गिरफ्तार किया जाय।

*श्री रामचरनशाह (जिला खीरी)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। यह सभी मान गये हैं, चाहे वे सरकारी पक्ष के हों, या विरोधी पक्ष के हों कि गल्ले की कमी है और कमी के कारण कुछ सरकारी मशीनरी के दोष, कुछ प्रकृति के कोप, कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्न न प्राप्त होना, और यह अगर है तो जिम्मेदारी किस की है। जो जिम्मेदार होता है उसी पर लांछन लगाया जाता है और उसी से मांग भी की जाती है।

हमें यह विचार करना है कि यह समस्या केवल २ महीने के लिए है या आगे भी चलने वाली है। मेरी समझ में यह संकट २, ४, ६ महीने में टलने वाला नहीं है। इसमें जब तक हम लोग टर्म कोई बात नहीं करते तब तक संकट अगर आज टल भी गया तो फिर आयेगा मेरी यह धारणा है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार जो वादा करती है वह तोड़ती है। इसलिए जनता का विश्वास उठ चुका है। जब स्वराज्य हुआ था उस समय में भी कांग्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। आपका साथी होने के नाते सही स्थिति को आप के सामने रखता हूं। हमने भी जनता से कहा था कि जमींदारी खत्म हो जाने से दो सहूलियतें अपने आप आ जायेंगी। जमींदारी खत्म हुई, किन्तु किसान का कष्ट नहीं मिटा, तुरन्त इसके बाद उस पर एक आना रुपया लगान बढ़ा दिया गया। जनता ने सोचा चलो अपनी सरकार है उससे सहयोग करो। किसान से कहा गया कि १० साला लगान जमा कर दो तुम अपनी जमीन के मालिक हो जाओगे। लाखों और अरबों रुपया १० साला लगान में उसने जमा किया, लेकिन उसके कुछ समय बाद सीलिंग ऐक्ट लगा दिया गया। उसने कहा, यह क्या, तुमने यह कहा था कि १० साला जमा कर दो तुम्हारा जमीन पर अधिकार रहेगा और उस के बाद यह सीलिंग तो सीलिंग ने उनके मनोबल को कमजोर किया। उसने मेहनत करना कम कर दिया। सही बात है कि जब किसी आदमी को यह विश्वास नहीं होता तो उस काम के करने में उसकी क्षमता कम हो जाती है। फिर सीलिंग की यह परिपाटी चल ही रही थी कि कुछ ही महीने का समय हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने १७ वां संशोधन संविधान का पास कर दिया। सरकार के धीरे-धीरे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे जनता का विश्वास उस पर से उठता जा रहा है।

कन्ट्रोल की परिभाषा जहां आती है वहां फौरन जनता यह महसूस करती है कि कल पता नहीं क्या होगा, इसलिए आज ही आगे की अपनी प्राब्लम को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लो। अभी हमारे नेगी जी के बहुत से स्टेटमेंट्स निकले और उनमें आपस में इतना टकराव हुआ कि जो भी जखीरेबाज रहा चाहे वह बड़ा किसान हो और चाहे व्यापारी, उसने अपना अपना मतलब लगाया। चाहे जो भी होर्डर हो, वह देशद्रोही है और जो कड़ी से कड़ी सजा उस को दी जा सकती है वह देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि एक ओर तो, लोग भुखमरी से मरें और दूसरी ओर लोग जखीरेबाजी से पैदा करके देशद्रोह करें।

अभी ३ साल पहले हमारे देश में गन्ना इतना अधिक पैदा हुआ, लोगों से कह दिया गया, केन्द्रीय सरकार ने भी कह दिया कि दस परसेंट कटौती कर दी जाय, तभी गन्ना हम लोग ले पायेंगे। दो साल भी नहीं गुजरे कि पिछले साल इसी सरकार ने फिर कानून चालू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोया जाय। एक तरफ एक साल कहते हैं कि गन्ना न बोया जाय और फिर दूसरे साल कहते हैं कि गन्ने की सघन खेती की जाय, गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय। यह सब क्या है? आप क्यों नहीं सोच समझकर आगामी योजनाओं को चलाया करते? आप को पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि दस साल में क्या होने वाला है उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए, लेकिन आप तात्कालिक विचार करते हैं इसलिए आपके सामने कठिनाइयां आती हैं और आती रहेंगी। पहले ही सोच लेना चाहिए आपको कि दस साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उस को ध्यान में रख कर आप को अमल करना चाहिए और विश्वास की बात बताऊं? अभी कोआपरेटिव विभाग की बात है, लखीमपुरखीरी जिले में कोआपरेटिव विभाग का जो बैंक है उसने मध्यम वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए लोन देने का वचन दिया। फार्म भरवाये। सैंक्शन भी हो गया। उसके बाद उनकी जो जमीनें थीं उनको रेहन लिखवा लिया गया, लेकिन आज तक लोन उन को नहीं दिया गया। तीन साल बीत चुके हैं। इसलिए सरकार अगर सोच समझ कर कोई काम करे और उस से जनता का मनोबल बढ़े तब तो उसका विश्वास बढ़ेगा। आज तो हर प्वाइंट पर सरकार अपना विश्वास खोती जा रही है। जनता में आज यह सामान्य भाव प्रचलित है कि सरकार कल क्या करेगी इसका किसी को कोई विश्वास नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह जो भी कार्य करे दृढ़ता के साथ करे, क्योंकि दृढ़ता के साथ कदम नहीं उठता है तो वह कार्य सम्पन्न नहीं होता और सरकार की बदनामी होती है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि बहुत से साथियों ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में कहां थे? मैं कहता हूं कि कांग्रेस वाले सन् १८५७ में कहां थे? इसलिए यह बात तो ऐसी है कि जिस समय जिस चीज का प्रादुर्भाव होता है उसी समय उस की मान्यता होती है। जनसंघ उस समय नहीं था, परन्तु हम सब आप के साथ थे और हमारी ही प्रेरणा थी कि हमने और आप ने आजादी हासिल की। इस प्रकार की बातें करना और दोषारोपण लगाना यह बच्चों के

[श्री रामचरण शाह]

खिलवाड़ की सी बातें हैं। यह हम भी कह सकते हैं सन् १८५७ में आप कहां थे ? इसलिए इस आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि संकटकाल में सहयोग देना चाहिए। मैं पूछता हूं कि कब जनसंघ ने आपको सहयोग नहीं दिया ? दस परसेंट हमने कटाया, चीनी आक्रमण होने पर सबसे पहले जनसंघ ने अपना आन्दोलन वापस लिया, हम आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चले, अपने को भूल गये। हम लोगों ने सोंचा कि राष्ट्र एक है एक के नाते हम अनेक नहीं हो सकते। तन मन धन से हमने सहायता की और उसका परिणाम यह हुआ कि जो राष्ट्र एक होकर के खड़ा हुआ तो दुश्मन के हौसले पस्त हुए, परन्तु कुछ दिन के बाद राजनीतिक चक्कर फिर चालू हो गया। सब लोगों की यूनाइटेड सरकार बनती, या न बनती, सहयोग के रूप में एक साथ मिलकर चलते, लेकिन कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि रूलिंग पार्टी जो है वह और लोगों के हाथ मिलकर ऐसा कार्य नहीं कर सकती। यह दिल्ली का स्टेटमेन्ट है। इस प्रकार हम सहयोग देते हैं, लेकिन आप सहयोग लेना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यह लोग आ जायेंगे तो जो छिद्र हैं आपके, जो लूपहोल्स हैं उन्हें और लोग जान जायेंगे और हमारी हंसी होगी। मैं चाहता हूं कि यह सरकार चले।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, कल से यह बहस चल रही है। इस गंभीर विषय पर जिस तरह हमारे विरोधी दलों ने इस मसले को रखा उससे मुझे दुख है इसलिये कि जो संकट हमारे इस प्रदेश में आया हम उनको इत्मीनान दिलाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि कांग्रेस दल का हर आदमी उनसे ज्यादा चिन्तित है और हर एक के दिल में वैसा ही जोश और जजबा है। कोई गवर्नमेन्ट दुनियां में ऐसी नहीं है जो संकट अपने ऊपर लादे और मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना गलत है। हर आदमी जो गवर्नमेन्ट में होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मगर विरोधी दल हमेशा अगर चाहे तो गवर्नमेन्ट को सही रास्ते पर चला सकता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके। अब मैं अपने विरोधी दल के भाइयों को यह बतलाना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की ताकत भुवनेश्वर प्रस्ताव के बाद और बढ़ गई। इसका जीता जागता सबूत यह मौजूद है कि इसी विधान सभा के करीब १० आदमी उधर से इधर आ चुके हैं। उनके अलावा हमारे यहां के सबसे बड़े नेता जयप्रकाशनारायण जी ने यह तसलीम कर लिया है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर गलती की थी।

जहां तक इस समस्या का ताल्लुक है मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समस्या को हल करने का वही तरीका है जिसकी तरफ २ वर्ष से कांग्रेस में और उसके बाहर भी एक मजबूत दल इस बात का कहता है कि सरकार सारे गल्ले पर अपनी जिम्मेदारी ले और स्टेट ट्रेडिंग करे। उधर के हमारे भाइयों ने जोश में आकर यहां पर एक प्रदर्शन कराया जिसमें आगे आगे होर्डर्स थे। वह यह कह रहे थे कि हमको फ्री ट्रेड करने की इजाजत मिलनी चाहिये। यानी फ्री मौका मिलना चाहिये कि व्यापारी इस खराब स्थिति से फायदा उठाये। आज बदकिस्मती से हमारे बीच में किदवई साहब मौजूद नहीं हैं जो इस सिचुएशन को कंट्रोल करते, लेकिन फिर भी उनके बहुत से शागिर्द मौजूद हैं जो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये पूरी ताकत रखते हैं। मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारे करने की बात है उसमें सरकार को हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। आज कहा जाता है कि गल्ला नहीं है जिसकी वजह से यह क्राइसिस है। यह बात सही है कि गल्ला कम है और कम पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस गल्ले की परेशानी को दूर न कर सके। हमारे पास गल्ला कम पैदा हुआ है। इसके आंकड़े देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर काफी गुफ्तगू हो चुकी है। मुख्तसर में यह है कि देहात के अन्दर किसानों को सहूलियत जो दी जानी चाहिये वह नहीं दी जाती है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारी ख्वाहिश होते हुए भी उतनी सहूलियत हमें नहीं दे सकते हैं। यह हमारी मजबूरी है। मेरे लायक दोस्त माननीय नवरंगसिंह ने कहा कि उसको इत्मीनान नहीं है,

ऐसी बात नहीं है । गांव में अब चकबन्दी हो गई है । अब वह अपने को पूरा जिम्मेदार समझता है और इस बात को समझता है कि जमीन उसकी है । जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है वहां पर आज नहीं तो कल होगी इस बात को किसान समझता है । वह समझता है कि वह उस जमीन का मालिक होने वाला है । अगर उस जमीन पर पानी, खाद और बीज की सहूलियत किसानों को दे दी जाय और अधिक मात्रा में दे दी जाय तो उसका काम अच्छा चल सकता है । वह सहूलियत उसको उतनी नहीं मिल पाती जितनी उसको जरूरत है । किसानों को अगर सहूलियत दी जाय तो पैदावार बढ़ सकती है । एक बात यह भी है कि खेत पर ही उनका अनाज आंक लिया जाय और किसान को यह कह दिया जाय कि तुमको पूरी कीमत मिल जायगी और घबराने की जरूरत नहीं है तो वह गल्ला दे सकता है । यह सबसे जरूरी बात है । यह बनिया लोग जो गल्ला होर्ड करके क्राइसिस पैदा करते हैं वह गल्ला आसानी से पैसा देकर खरीद लेते हैं । किसान उनसे उधार ले लेते हैं । तो फिर वे गरीब मजबूर हो जाते हैं । उनको ही अनाज दें । अगर किसानों को उठाना है और उनकी हालत को सुधारना है तो जगह-जगह कोआपरेटिव बैंक खोलने पड़ेंगे । जो १० फीसदी पर उनको रुपया दिया जाता है वह ज्यादा है । ४ फीसदी और ३ फीसदी उनसे सूद लेना चाहिये । किसान को इत्मीनान दिलायें कि वह बनिये से कर्ज न ले । एक किसान ने १५ रुपया कर्ज लिया और १२ वर्ष के बाद भी हर साल १६ रुपया देने पर भी वह १६ रुपया उस पर कायम रह गया । उसके बाद वह गरीब मेरे पास आया, कहने लगा कि अभी तक सूद ही अदा कर रहा हूं । फिर मैंने बीच में पड़ कर आठ रुपये पर फैसला कराया । तो हमें इसे बदलना पड़ेगा । भुवनेश्वर के प्रस्ताव जाहिर करते हैं कि हम इसे बदलना चाहते हैं । स्टेट ट्रेडिंग का प्रस्ताव हम पहले ही पास कर चुके हैं । अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाय तो यह तमाम परेशानियां दूर हो जायंगी ।

मेरे जिले बस्ती की हालत बहुत ही खराब है । ईस्ट में सब से ज्यादा गरीब जिला बस्ती ही है । हमारी मुख्य मंत्री जी वहां से चुन कर आयी हैं । इसलिये हमारा उन पर कुछ ज्यादा अधिकार है । मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि हमारे अफसरान रात दिन एक कर रहे हैं और हमसे ज्यादा सतर्क हैं इस समस्याओं को हल करने के लिये, लेकिन वह करें क्या जब कि गल्ला ही नहीं है । उन्होंने एक बार २०० मन और एक बार ५०० मन गल्ला पकड़ा भी, लेकिन इसके लिये कोई कानून सरकार की तरफ से नहीं है । आप इसके लिये आर्डिनेन्स निकालें और उन अफसरों के हाथों को मजबूत करें ताकि गल्ला होर्ड्र्स के कब्जे से निकाला जा सके । अपने जिले की फूड कमेटी में हमने, जिस चीज को आप यहां सोच रहे हैं, पहले ही प्रस्ताव के रूप में पास कर दिया है और हम वहां किसानों को राशनकार्ड बना कर गल्ला देने वाले हैं । मुझे उम्मीद है कि यह स्कीम गल्ला न मिलने से फेल हो जायगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हमको गल्ला दिया गया तो वह बर्बाद नहीं होने पायेगा । यह जरूर है कि अगर किसानों को गल्ला न पहुंचा तो यह परेशानी दूर नहीं होगी । आपको शहरों की ही नहीं, देहातों की समस्या को भी हल करना है । बस्ती में ही आपको ५ लाख आदमियों को खिलाना है और अगर गल्ला वहां न पहुंच सका तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि भूख से मरने की खबर कहीं से आयेगी तो सबसे पहले वह जिला बस्ती ही के देहात से होगी । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

†श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य समस्या प्रान्त व्यापी है और हमें विचार करना है कि आखिर इसका हल क्या है। इसमें शक नहीं कि खाद्य की कमी जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि जितना शोरगुल है । जिला लेविल पर जो दूकानें दी गयी हैं वे कांग्रेस के लोगों की सिफारिश से दी गयी हैं । अगर आप सी० आई० डी० से जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि वे लोग मुनाफाखोर हैं, दूकान एक के नाम है, उसमें रुपया लगाने वाला दूसरा है । रुपया लगाने वाला तो मुनाफा उठायेगा । एक तो दूकानदार का मुनाफा, दूसरे रुपये वाले का और तीसरे नेता का मुनाफा और चौथे जो वहां का अधिकारी है उसका । तो आप बताइये कि

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूसिंह]

वह मुनाफा कितनी जगह बट गया। सारी चोरबाजारी की यही वजह है कि किसी घर में अगर कोई कमी होती है और उसके बावजूद वह सही स्थिति प्रगट करता है कि यह कमी है, इसी में आपको ऐसे गुजारा करना है तो उस प्रान्त में, देश में फजीता नहीं होता। फजीता वहां होता है जहां आपा-धापी होती है। एक तो कमी है, उसमें आपा-धापी हो। मैं कद्र करता हूं कि हमारे मोहतरिक नेगी साहब ने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, जैसे एक बड़ा डकैत होता है, वह कहता है कि हमने फलां फलां जगह डकैती डाली जब कि वह पकड़ा जाता है, इसी तरह से उन्होंने कि मेरे अन्दर कमी है, मैं उसका इन्तजाम नहीं कर सकता। यह कद्र करने के काबिल बात है कि उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया। अब उसके लिये जो मुंसिफ है वह क्या सजा दे, मर्ज का क्या इलाज किया जाय, यह अलग बात है। जब वह मायूस हो गये, जब वह इलाज नहीं कर सकते तो अब उनको अपने पद से हट जाना चाहिये।

आज हालत क्या है कि दूकान पकड़ी जाती है, कैंसिल होती है और फिर उसी को हेरफेर करके दे दी जाती है। अलीगढ़ में तो काफी मात्रा में यही होता है। हमारे यहां जो भ्रष्टाचार

(व्यवधान)

आया है उसकी दो तीन वजहें हैं। एक तो मिनिस्टर भ्रष्टाचार है, एक पूंजीपति और एक आला अफसर। तीनों का आपस में रिश्ता है। मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार होगा तो वह सेक्रेटरी होगा और आला अफसर होगा और पहिया ज्यों का त्यों घूमता रहता है। हमारा अलीगढ़ का डी० एस० ओ० नाकाबिल है, इंतजाम करने में पक्षपात करता है। नेगी साहब कहते हैं कि मुझे फलां जगह मिला था, वह तो बड़ा अच्छा है। यहां का जो फूड सेक्रेटरी है वह भी मित्तल और डी० एस० ओ० भी मित्तल, तो लोग कहते हैं कि उसको हटा कैसे सकते हैं? जिस शासन की यह हालत है उसका क्या ठिकाना है? दूकान पकड़ी जाती है, खाद और भूसे में सामान पकड़ा गया, डी० एस० ओ० ने एस० डी० ओ० ने सब ने पकड़ा और दूकान का लाइसेंस कैंसिल करके छोटे के बजाय बड़े भाई को और बड़े भाई का छोटे भाई को दे दिया, यह कौन सा तरीका है? देहात में शोहरत है कि ज्यादातर दूकान बनियों को ही दी गयी हैं और जिस तरह से सुनार अपनी मां की नथनी में से सोना निकाल लेता है, यही हालत बनियों की ईमानदारी की है। कम से कम और लोगों को भी दूकानें कुछ दी जानी चाहिये। एक दूकानदार ने दूकान छोड़ दी कि मैंने तोल लगायी तो एक बोरे में ही इतना कम पड़ गया और अगर पूरी तौल लगायी तो सब घरबार दे बैठूंगा। आज क्या हालत है, कितने ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० इकट्ठे हो गये हैं। बनारसीदास जी के अलग हैं, राममूर्ति जी के अलग और पता ही नहीं चलता कि कौन किसका ए० डी० ओ० है। आप कम से कम कोई ऐसा तरीका अपनायें कि यह सब लोग किसान को अपनी उपज बढ़ाने में मदद दें। आज जो आपके बी० डी० ओ० हैं वे कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा सुझाव यह है कि आप एक तो भूमि को उपजाऊ बनाइये और किसान को सारी सुविधायें दीजिये। सारी सुविधायें देने के बाद भी अगर कोई अपनी भूमि को उपजाऊ नहीं बनाता तो आप उससे भूमि को ले लीजिये और उसको किसानों में बांट दीजिये। आप अमेरिका से गेहूं मंगाते हैं उसमें कितना रुपया खर्च करते हैं। अगर उतना ही पैसा खर्च करके आप किसानों को पानी आदि की अधिक सुविधायें दे दें तो उससे काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा सुझाव यह भी है कि एक घर में कितनी जमीन है, वहां कितनी पैदावार होनी चाहिये थी और कितनी पैदावार हुई है, कितनी उसके खर्च में आती है और जितनी बचती है। जो फसल उसकी बचे उसकी उचित कीमत आप किसान को दिलवाने की व्यवस्था करें। यह सब करके ही आप इस कमी को कवर कर सकेंगे। हमारे यहां एस० डी० एम० साहब एक मीटिंग में गये। उन्होंने बताया कि उन्होंने आढ़तियों को बुलाया है और उनसे कहा जायगा कि वे गल्ला लेकर मंडियों में जायं। मैंने उनसे पूछा कि जो गल्ला अतरौली में जमा है उसके लिये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उसके लिये सरकार से हुक्म चाहिये। तो आपकी

व्यवस्था ही बड़ी गलत है। आप किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाइये, उसको तकावी दीजिये और उसकी वसूली करते वक्त जब उसकी फसल तैयार हो तो उससे गल्ला लीजिये। जो अच्छी पैदावार करके दिखाये उसको पुरस्कार दीजिये। वह देश का सबसे बड़ा देशभक्त है जो हल चलाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

†श्री रामभजन (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय नेता विरोधी दल की स्पीच को तथा अन्य माननीय सदस्यों की स्पीचों को भी बड़े गौर से सुना और उनमें यही पाया कि सरकार को किसी न किसी तरह से बदनाम करने की ही कोशिश की गयी है और एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया है। माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी स्पीच में डाइरेक्ट ऐक्शन की भी धमकी दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के हल के लिये क्या यही एकमात्र तरीका है? खाद्य की कमी आज प्रदेश में ही नहीं, देश भर में है। पता नहीं हमारे विरोधी दल के लोग दूसरों की बातें सुनना गवारा क्यों नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

हम लोग भी तो शान्ति के साथ सुनते हैं, उनको भी सुनना चाहिये। जो प्रस्ताव उनके द्वारा सदन के सामने लाया गया है उससे हमारे प्रदेश की समस्या हल नहीं होती। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे कोई इंकार नहीं करता है। आपको सही सुझाव देने चाहिये और सही बातें कहनी चाहिये जिससे कन्फ्यूजन क्रियेट न हो। हमारे प्रदेश में खाद्य की कमी है और सरहद पर चीन का खतरा है। चीन का ही नहीं पाकिस्तान का खतरा भी है। आपकी तरफ से जो बातें की जाती हैं उनसे जनता में भ्रम पैदा किया जाता है। आप देश की जनता के अन्दर अविश्वास और भ्रम की भावना पैदा करना चाहते हैं। जरूरत इस बात की थी कि सब मिलकर एक साथ काम करते और इस संकट से मुकाबला करते। गवर्नमेन्ट ने इस बात की कोशिश की थी और विरोधी दलों के नेताओं को समस्या के सुलझाने के लिये आमंत्रित किया था। पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन फिर अपना कदम पीछे हटा लिया और अविश्वास का प्रस्ताव असेम्बली में ले आये। १२१ सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन जनतंत्र प्रणाली में जहां कि रूलिंग पार्टी के दायित्व होते हैं वहां विरोधी पार्टियों का वह भी कुछ दायित्व होता है। विरोधीदल में यह क्षमता होनी चाहिये कि अगर सरकार हटे तो अपनी सरकार बना सके, लेकिन यहां १२१ को अगर ५ से तकसीम किया जाये तो क्या हालत रह जाती है? चुनांचे विरोधी दलों की ओर से जब कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बोला जा रहा है विभिन्न विरोधी विचारों को प्रकट किया जा रहा है। एक साहब स्वतंत्र पार्टी के बोल रहे थे कि काश्तकार को यह विश्वास नहीं है कि उसके पास जमीन रहेगी भी या नहीं। जिम्मेदार शख्स होकर वे ऐसी बातें करते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि काश्तकार के दिमाग में कहां से ऐसी बात पैदा हो गयी। दूसरे साहब सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बोले। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े काश्तकारों से जमीन ले कर सब को बराबर-बराबर बांट दी जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि पांचों पार्टियों की ओर से ५ तरह की बातें कही गयीं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार से गवर्नमेन्ट अपदस्थ होती है तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपनी गवर्नमेन्ट बना सके। जो काम हम कर ही नहीं सकते उसके लिये शोर मचाना, इस तरह की बातें करना बुद्धिमत्ता नहीं है। इस तरह से समस्या का हल नहीं हो सकता। एक तो गल्ले की कमी हमारे देश में है, हमें बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है, दूसरे दैवी प्रकोप भी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामभजन]

हो गया और जिसकी वजह से हमारा खाद्यान्न का सारा ढांचा ही नष्ट हो गया। यह सभी जानते हैं कि जाड़ों में वर्षा होने से खाद्य की हमारी समस्या हल हो जाती है, उपज बढ़ जाती है, लेकिन जाड़ों में बारिश भी न हुई तथा शीतलहरी और पाले का प्रकोप हो गया पैदावार ४० प्रतिशत कम हो गयी। हम पैदावार बढ़ाने के तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और बढ़ा भी पाते हैं तो ४–५ प्रतिशत। एक तरफ ५ दिन के अन्दर ही हमारी ४० फीसदी पैदावार घट गयी तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीजों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अभी तक मनुष्य ईश्वर पर या नेचर पर काबू हासिल नहीं कर सका है। हमारे यहां जो खाद्य समस्या है उसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि हमारी सरकार की इसमें अक्षमता है, बल्कि वास्तव में गल्ले की पैदावार कम होने की वजह से भी है। मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि गल्ले के वितरण में दोष है, लेकिन वितरण में दोष होने के अलावा और भी बहुत सी खामियां हैं। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वह उन खामियों को दूर करने का यथाशीघ्र प्रयत्न करे। इसके लिये प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम कुछ सुझाव देते हैं जिससे खाद्य समस्या ने जो भीषण रूप धारण कर रखा है उसका हल निकल सके। इसके लिये सरकार को चाहिये कि वह सिंचाई की उचित व्यवस्था करे, जितने ट्यूबवेल या नहरें हैं उनके लिये जो गूलें हैं, अगर उन्हीं की मरम्मत अच्छी तरह से करा दी जाय तो डेढ़गुनी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही साथ सरकार को चाहिये कि जहां-जहां ट्यूबवेल हैं, जहां बिजली की लाइन है, वहां बीच-बीच में कुयें बनवा दे और इसके अलावा सरकार सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं पर बिचार करे और उसके लिये जनता को लोहा, सीमेन्ट व ईंट खुद सप्लाई करे तो इससे भी उपज के बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मेरा सुझाव है कि चकबन्दी होने के बाद ज्यादा से ज्यादा कुएं सरकार की ओर से बनवाये जायं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है और हमारे प्रदेश में जो गल्ले की कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है।

जहां तक जोनल सिस्टम की बात है, उसकी बहुत आलोचना की गयी, लेकिन मैं समझता हूं कि जोनल सिस्टम का रहना आवश्यक है, लेकिन वह सिस्टम ऐसा सख्त नहीं होना चाहिये कि जरूरत पड़ने पर हम पंजाब या दूसरे प्रान्तों से गल्ला न मंगा सकें। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ हमारे प्रदेश की भी गलती है जिससे पंजाब हमें गल्ला नहीं दे रहा है हमने गुड़ व खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसकी प्रतिक्रिया हो सकती है कि पंजाब हमें गल्ला नहीं दे रहा है। अब तो गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है, लेकिन उसका फायदा काश्तकार वर्ग को नहीं होने वाला है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि अगर खांडसारी पंजाब को दी जाय तो वह हमें भी गल्ला देगा। इसके लिये सेंटर पर भी ज्यादा जोर डाला जाय कि वह हमारे प्रदेश के लिये ज्यादा से ज्यादा गल्ला दे। चीफ मिनिस्टर्स की जो कांफ्रेंस हुई थी, मैं समझता हूं कि उसमें भी हमारे प्रदेश के केस जो जोरदार तरीके से नहीं रखा गया। अगर ऐसा किया गया होता तो केन्द्र की सरकार हमारी सहायता जरूर करती, लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा। सरकार को चाहिये कि सेंटर पर ज्यादा जोर डाले तभी यह समस्या हल हो सकती है।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, मैं उसका पूर्ण रूपसे समर्थन करता हूं। विरोधी पक्ष की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, वह उनकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां जितने भी विरोधी पक्ष के नेता हैं, प्रदेश की जनता की भावना को देखते हुए उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे जनता की उस भावना को अविश्वास के रूप में यहां बतलावें कि हमारे प्रदेश की जनता किस तरीके से परेशान है और किस तरीके से वह इस शासन के अन्तर्गत दम घुटाने वाली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्दगी बिता रही है। इसीलिये अविश्वास का प्रस्ताव रख कर जनता के प्रतिनिधि यहां अपने विचार व्यक्त करते हैं यह हमारी परम्परा है और अगर हम डेमोक्रेटिक पेटर्न आफ सोसाइटी को वास्तव में चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहां समाजवाद फूले और फले तो हमारा दृष्टि-कोण साफ होना चाहिये और ट्रेजरी बेंचेज की ओर से पूरा मौका इस बात का होना चाहिये कि अगर विरोधी दल के नेताओं के विचारों में अगर कोई अच्छे सुझाव हों और कोई आधार उनमें ऐसा हो जिसके मिलने से आप अपने प्रशासन को और अच्छी तरह से चला सकें और शासन पद्धति को बेहतर बना सकें तो उधर के सदस्यों की बात को सुनने के लिये आप को हमेशा तैयार रहना चाहिये। इसमें शक नहीं है कि जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिये, परन्तु खेद है कि खाद्य समस्या और दूसरी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको सरकार और उलझा रही है और सुलझने में समर्थ नहीं हो रही है। अगर निकट भविष्य में इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि वास्तविक परिस्थिति इतनी खराब हो जाय कि सरकार फिर उसको न सम्हाल पावे। इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की स्थिति भी तब आई जब कि खाद्यान्नों का अभाव और बढ़ती हुई कीमतें अपनी चरम सीमा को पहुंच गईं। अपने-अपने जिलों से तमाम विरोधी दलों के नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने टेलीग्राम और पत्रों द्वारा अपने-अपने जिलों की परिस्थिति का परिचय कराया और बताया कि हर जिले में विषम परिस्थिति है और अगर सरकार ने उस पर फौरन ध्यान न दिया तो भुखमरी पैदा हो जायगी और लोग अन्न के दाने-दाने के मोहताज हो जायेंगे, लेकिन खेद की बात है कि इन दो मास के समय में सरकार की मशीनरी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अनेक घटनायें उसके कारण यहां हुई। सब जानते हैं कि हर जिले में थोड़ी बहुत लूटमार की घटनायें हुई हैं। इसी प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी ऐसी घटनायें हुई हैं, परन्तु सरकार और उसकी मशीनरी ने और यहां की केबिनेट ने उस पर कोई अंकुश लगाने पर ध्यान नहीं दिया तो इसमें दोष किसका है ?

आपका जो भी इन्तजाम चल रहा है उसमें विशेषकर आपका जो इम्पलीमेन्टेशन है या जो आपका वितरण का तरीका है वह बहुत खराब है। उसकी ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डी० एस० ओ० के दफ्तर में और सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो आप के फूड इंस्पेक्टर हैं वह पूरे तरीके से इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। आज जो माल वितरण के लिये सरकार से पहुंचता है उसका ५० प्रतिशत ही जनता को मिलने पाता है और बाकी सब ब्लैक में चला जाता है और व्यापारी वर्ग उसको खरीद कर अपने यहां ज्यादा कीमत पर बेचने के वास्ते जमा करता है। इस संबंध में भी आप कितना ही कहें कि जिलाधीश अपने अपने जिलों में अंकुश लगायें, लेकिन आप की कौन सुनता है वह तो स्वयं अपने बंगलों में मौज उड़ा रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। इन सब का मूल कारण यह है कि ऊपर के शासन के लोग भी यहां यू० पी० सी० सी० और एलेक्शन के चक्कर में मंत्रिमंडल को बदल कर उसमें स्वयं आने की खींचातानी में हर वक्त लगे रहते हैं और जो हिदायतें जिलाधीशों को पालन करने के लिये ऐसी हालत में दी जाती हैं तो वह भी उनका पालन ठीक से नहीं करते और समझते हैं कि देखने वाला कौन है, वह मनमानी करते हैं। कोई परवाह नहीं करता इस तरह से पूरी मशीनरी काम नहीं करती।

जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न है आज हमारी सारी जनता का विश्वास कांग्रेस शासन से उठ गया है और वह इस शासन को हटाना चाहती है। विरोधी पक्ष के सभी नेताओं का विश्वास है कि इस शासन को हटाना जरूरी है, केन्द्रीय सरकार भी चाहती है कि यह सरकार अविश्वास की पात्र है। आपका प्रभाव केन्द्र पर क्या है ? आप के फूड मिनिस्टर ने कोशिश की, आप के मुख्य मंत्री ने कोशिश की। जो वायदा केन्द्रीय सरकार ने किया था कि गल्ला देंगे, लेकिन उसने मौके पर धोखा दिया। उसका कारण यही है कि आप में जनता का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो केन्द्र जरूर आपको मदद देता। गल्ले की क्राइसिस

[श्री बनवारीलाल विप्र]

क्यों हुई? इसके दो कारण हैं। हम चाहते हैं कि जनता को पूरा राशन मिले। ५० लाख टन गल्ला प्रतिवर्ष बाहर से मंगाया जाता है, हमारे यहां भी पैदा होता है। आप सोचें कि जो यहां गल्ला पैदा होता है वह तो जखीरेबाज खरीद लेते हैं या जो मोटे किसान हैं उन्होंने जमा कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब व्यापारी अधिक दाम पाने की लालच में गल्ला जमा कर रहा है तो हम भी क्यों न करें। केवल उन्हीं किसानों ने गल्ला बेचा जिनके पास जमीन कम है, जिनको पैसे की जरूरत है। ऐसे किसानों की संख्या २५ प्रतिशत ही होगी।

एक सदस्य ने कहा कि विरोधी दल के लोग अगर हमारे साथ कोआपरेट करें तो हम गल्ला निकलवाने के लिये कानून बना सकते हैं। हमारे जिले में भारत के गृह मंत्री श्री नन्दा गये थे, उन्होंने कहा था कि जखीरेबाज जो जनता के अधिकारों को छीनते हैं ऐसे गद्दार आदमी को तुरन्त गोली मार देनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को गल्ला बाजार में लाने के लिये कुछ प्रोत्साहन देना चाहिये। केवल आपके बयान देने से वह गल्ला निकालने वाले नहीं हैं। वह इतने बेवकूफ नहीं हैं कि आपके भाषण पर गल्ला निकाल दें। लिहाजा जो गल्ला निकालने वाले भी थे उन्होंने भी निकालना बन्द कर दिया ऐसे भाषण सुन कर। मुरादाबाद में व्यापारियों ने गल्ला बड़े-बड़े नवाबों के घरों में दबा दिया। अगर सरकार चाहती है तो उसको निकलवाये। मूलचन्द नाम की एक फर्म है जो ५० फीसदी गल्ला मिलिटरी को सप्लाई करती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, विरोधी दल की तरफ से जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। कल से इस प्रस्ताव के बारे में काफी चर्चा हो रही है। उधर के बैठने वालों ने केवल भुखमरी को दूर करने का एक रास्ता आन्दोलन का निकाला, हड़ताल का निकाला, लोगों को भड़काया और कहा कि अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो गोली का निशाना लगाना होगा। अगर उधर के बैठने वाले कोई सहयोग की बात करते और बताते कि किस प्रकार से समस्या का हल हो तो एक तरीका हो सकता था। मान्यवर, एक बात अच्छे तरीके से कही गयी है। नोट का जिक्र किया गया है जो माननीय नेगी जी ने दिया है। इस नोट के पीछे एक गुडविल थी। गल्ले की समस्या को सुलझाने के लिए एक फूड एडवाइजरी कमेटी बनी जिसमें सभी पार्टियों के लोगों ने यह निर्णय किया था कि हम लोग अर्थात् सरकारी पक्ष के लोग और विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट आफ इंडिया को एप्रोच करें। नेगी जी ने सब फैक्टस ऐंड फीगर्स दिए। उसके बाद विरोधी दल के लोगों ने उस कमेटी का बाइकाट किया। उधर के लोगों ने खाद्य समस्या के नाम पर, भुखमरी के नाम पर उस कमेटी को सैबोटेज किया। अगर प्रदेश में खाद्य समस्या को सुलझाना है तो क्या इस तरीके से सहयोग न देकर सुलझाया जा सकता है?

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वह इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के और सूबों को ले लीजिए जहां गेहूं के भाव बढ़े हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रदेश में कमी है। सरकार की तरफ से कुछ कमियां हुई हैं, परन्तु इस उत्तर प्रदेश का तीसरा नम्बर आता है जहां गेहूं की प्राइसेज अप गयी हैं। पंजाब में ४०–५० प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश में कुछ समय के पहले ६५ से ७५ प्रति क्विंटल। मान्यवर, बिहार में ९०, महाराष्ट्र में १२० प्रति क्विंटल और बंगाल में १२५ प्रति क्विंटल बम्बई में, जहां अनाज उतारते हैं १४०–१५० प्रति क्विंटल के हिसाब से आंकड़े हैं। इस प्रदेश में कमी है; इसमें २ रायें नहीं हो सकती हैं। आज जो यह कहा जाता है कि यहां पर गेहूं की पैदावार कम हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। माननीय नेगी जी की इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि १४ लाख की कमी जो आप कहते हैं वह सही है। १९६० में ४१ लाख टन गेहूं पैदा हुआ। १९६१-६२ में यह पैदावार घट घटाकर ३९ लाख टन हो गयी। वही १९६२-६३ में ३० लाख टन के करीब हो गयी और इस तरीके से १९६३-६४ में यानी पिछले वर्ष में २६ लाख टन के करीब हुई। तो इसका मतलब यह हो गया कि पिछले साल और इस वर्ष में केवल ४ लाख टन के करीब, जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, कम है। १४ लाख टन की कमी १९६०-६१ से लेकर है। तो आखिर क्या बात हो गयी। तो आज इस तरह की स्थिति क्यों हो गयी है? ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार सचेत होती, यदि दूरदर्शिता से काम करती तो ऐसी हालत नहीं होती। इस प्रदेश में अप्रैल के महीने में हालत खराब हुई, मई में और हालत गिरी। कमी है आपके प्रदेश में। मुख्य मंत्री और माननीय नेगी जी ने अप्रैल के महीने में स्वयं कहा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टाक नहीं भेज रहा है। जो वायदे गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा किए गये थे वे पूरे नहीं हुए हैं। जुलाई के महीने में जब कि यहां पर ३४ और ३६ रु० मन गेहूं बिक रहा था तब आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से एप्रोच करते हैं। तो क्या सरकार ने इन ट्रेडर्स से, होर्डर्स से माननीय मंत्री जी के द्वारा गुडविल प्रिवेल करने के बाद यह कहा कि भाव गिरने चाहिये। लोगों को समझाया तो उसका नतीजा यह हुआ कोई परवाह नहीं की गयी। अप्रैल, मई और जून में अनाज नहीं आया और नतीजा यह हुआ कि आपके पास स्टाक्स खत्म हो गये। भारत सरकार से अगर केस अच्छी तरह से प्लीड किया जाता तो शायद यह हालत न होती। भारत सरकार के कहने से इस सरकार ने पौने ३ लाख टन अनाज दूसरे सूबों को भेजा और पिछले दो साल में ४० हजार टन चावल भेजा। ३ महीने बाद हम चेते हैं आखिर में आकर। माननीय सदस्यों ने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली में स्टाक्स जब्त कर लिये गये। १७ से १९ रुपये मन गेहूं वहां मिलता है। यहां की सरकार ने किस फर्म पर छापा मारा है, किस के यहां जाकर देखा है? आप लोगों की मजबूरियों को महसूस करें या न करें, लेकिन जब इस तरह के हालात यहां हैं तो क्या हम एन्टी होर्डर्स आर्डिनेंस लागू नहीं कर सकते? कहा जाता है कि ऐसा किया और गल्ला नहीं आया तो एनार्की मच जायगी। थोड़ी देर के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार यह कह कर निकल सकती है कि हम तो केवल डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। हमको केन्द्रीय सरकार से मौके पर नहीं मिला। तो क्या इससे जनता संतुष्ट हो जायगी? यह भी सच है कि ३ महीने इस समस्या को हो गये हैं। जून से लेकर अब तक वर्षा हो रही है, लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया तो क्या इससे एनार्की नहीं मचेगी और हालात खराब नहीं होंगी?

हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की और तृतीय पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं तो क्या इन योजनाओं का यही अभिप्राय था कि प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटे? जहां तक मिनिस्ट्री का सम्बन्ध है एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट को चार हिस्सों में बांट रखा है। कोई यह बतला सकता है कि कौन production बढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है एग्रिकल्चर मिनिस्टर, कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर अथवा माननीय नेगी जी की जिम्मेदारी है। एग्रिकल्चर मिनिस्टर ओपनली कहते हैं कि production बढ़ाने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनका विभाग केवल एग्रिकल्चरल स्टेटिस्टिक्स से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, कल से जो इस सदन में बहस चल रही है उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यकायक उत्तर प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो गयी है। जब से यह सरकार गद्दीनशीन हुई है तभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

से यह आसार नजर आ रहे हैं और आने वाला कल का दिन और बुरा नजर आ रहा है। सरकारी सेठ, करोड़पति सेठ और अफसरी सेठ इस प्रदेश को लूट रहे हैं। सरकारी सेठ मंत्रिगण हैं, करोड़पति सेठ व्यापारी तथा अढ़तिये हैं जो मुनाफा कमा कर लूट रहे हैं और अफसर सेठों में आपके आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं। ये तीनों मिल कर देश और प्रदेश को लूट रहे हैं और बरबाद कर रहे हैं। मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय जी और दुबे जी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि १९६७ तक हम हुकूमत को खत्म कर देंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर यह हुकूमत १९६७ तक रहेगी तो इसका पता नहीं कि यह जनता को न जाने कहां पहुंचा देगी। आप लोग भले ही इसको सुझाव दें, लेकिन हमारा तो इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी और माननीय राजनारायण जी बराबर इनको सुझाव देते रहे और माननीय सम्पूर्णनन्द जी और पन्त जी की सरकार उनको बराबर सुनती रही, लेकिन उन लोगों से कोई इलाज इस मर्ज का नहीं निकला। फिर सुचेता जी की सरकार में इसका क्या इलाज निकलेगा। सुचेता जी की सरकार तो भुखमरी और अकाल की है। कांग्रेस राज्य के साथ अकाल और भुखमरी दोनों जुड़े हुये हैं। अगर आज आप अकाल और भुखमरी को प्रदेश से खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही विकल्प है कि गांव गांव में जाकर अलख जगाओ और हर पाक और नापाक कोशिश करो इस हुकूमत का तख्ता पलटने की। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं पलटेगा तब तक इस भुखमरी और अकाल का कोई इलाज नहीं निकल सकता है।

श्रीमन्, मैंने कल देखा कि आपके यहां हजरतगंज में जब कि मूसलाधार पानी बरस रहा था लोग लाइन लगाये कंट्रोल की दूकान पर खड़े हुये थे। उनमें छोटे-छोटे बच्चे भी थे जो लाइन में लगे हुये थे। मैं माननीया सुचेता जी से और हुकुमसिंह जी से पूछना चाहता हूं और इन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं जो सफेदपोश बन कर यहां पर बैठे हुये हैं कि अगर आज उनके लड़के लाइन लगाये खड़े होते तो क्या उनके दिल पर कसक होती ? श्रीमन्, लालबाग में जो राशन की दूकान है, नगरपालिका की दूकान पर दूसरे दिन राशन लेने के लिये ५ बजे शाम से लाइन लगाती है जनता। लोग रात रात भर खड़े रहते हैं। यह सरकार राज्य को चौपट करने वाली है। श्रीमन्, जम्हूरियत क्या है, जनतंत्र क्या है, इसको ये लोग नहीं जानते हैं। माननीय पंडित जवाहरलाल जी की सरकार हो या आज लालबहादुर शास्त्री जी की सरकार हो। एक ही बात है। [* * *] आज हालत यह है कि मंत्रियों के सम्बन्धी और रिश्तेदार उनके ही विभाग में नौकरी पाते हैं। लाखों बार कहा गया कि जनतंत्र का एक ही उसूल है और यह तभी चल सकता है कि जिस मुहकमा में वह मंत्री हो उसमें उसके सम्बन्धी और रिश्तेदार न हों, लेकिन यहां पर इसका उल्टा हो रहा है कि जिस विभाग में वे हैं उसी में उनके सम्बन्धी और रिश्तेदार नौकरी पाते हैं।

* * * *

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय लालबहादुर शास्त्री जी के बारे में जो है वह निकाल दिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में भुखमरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, जिन लोगों के दिल में उनके प्रति दर्द है उनकी जान निकल रही है। इधर तो लोग भूख से मरते हैं और नेगी जी के भाई का साला जो सप्लाई इन्स्पेक्टर है रघुवीरसिंह वह चोर बाजारी और घूसखोरी चलाता है और वह कहते हैं कि लोग भूख से नहीं मरते। अभी जो बसावन बढ़ई मरा है, उसके घर में कोई काम करनेवाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वह मर गया तो लोगों ने चन्दा देकर कफन का इन्तजाम किया। उसके घर में एक दाना अन्न का नहीं है और यहां कहा जाता है कि भूख से नहीं मरा

[* * *] श्री उपाध्यक्ष के आदेश से हटा दिया गया।

डुमरिया गांव में, जिसका तार मैंने सुबह पढ़कर सुनाया वहां पर कोई गल्ला नहीं है। अगर इस हुकूमत को चलने दिया जाता है तो यही होना है। सब जानते हैं कि योजनायें गलत सलत चलायी जाती हैं, लूट खसोट की योजनायें यह सरकार चलाती रही है जिसकी बदौलत आज अकाल पड़ा हुआ है। विरोधी होने के नाते मैं साफ-साफ एलान करता हूं कि जब तक कांग्रेस की हुकूमत यहां रहेगी तब तक भुखमरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा। इसको पलटिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन शब्दों को दोहराना चाहता हूं, जो उन्होंने सन् १९४५ में जेल से छूटने पर कलकत्ते की एक सभा में कहे थे। "सन् १९४३ में बंगाल में अकाल पड़ा था, ३५ लाख आदमी मर गये थे, उस समय रुपये का १० सेर चावल बिक रहा था जब कि आज रुपये का एक सेर चावल बिकता है, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बंगाल के लोग कायर, हिजड़े और बुजदिल हैं कि ३५ लाख मर गये और गल्ला सरकारी गोदामों में रखा रह गया, लोगों ने छापा क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं सरकारी दूकानों को, गोदामों को लूटा, क्यों नहीं बगावत का परिचय बुलन्द किया।" आज प्रदेश की ७ करोड़ जनता तक मैं वही आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर भुखमरी से मरते हो और हुकूमत तुम्हारा कोई इन्तजाम नहीं करती तो तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है कि उस हुकूमत के खिलाफ बगावत का परिचय बुलन्द करो, उस हुकूमत को हर तरह से उखाड़ फेंको, जहां पर गल्ला रखा हुआ है वहां पर घेरा डालो।

मैं विरोधी दल के लोगों से और उधर के लोगों से भी जिनको सरकार से प्रेम नहीं जनता से प्रेम है कि तुम लोगों को गांवों में जाकर इस बात की गूंज, इस बात की ललकार देनी है कि जहां कहीं जखीरेबाजी हो वहां पर हजारों, लाखों की तादाद में जाकर धरना दो, रोटी दो या जेल दो इसका नारा बुलन्द करो। जब तक इस हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश नहीं होगी, जब तक इनका तख्ता पलटने की कोशिश नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सुझावों को यह हुकूमत सुनने वाली नहीं है। इस सरकार को कहां तक कहें। और सुनो, बलिया का जो सबसे बड़ा चोरबाजारी दूकानदार था जयरामसिंह उसकी दूकान कलेक्टर ने काट दी, लेकिन नेगी साहब ने उसको फोन से यहां से दूकान दिलवा दी। तो यह सरकार और इसके मंत्री स्वयं अराजकता फैला रहे हैं, जब मंत्री लोग ही अराजकता पर उतारू हैं तब देश में शान्ति रहेगी, यह असम्भव है। एक क्लर्क का ट्रांसफर होता है वह दौड़कर मिनिस्टर से दबाव डलवाता है, कांग्रेसी एम० एल० ए० को रिश्वत देता है और दबाव डलवाता है। जब इस तरह से हो तब राज्य कैसे चलेगा। इस आदरणीय सदन द्वारा मैं जनता से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कि वह इस हुकूमत को पलटने की कोशिश करे दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यही एक विकल्प है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि नेता विरोधी दल इस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सरकार के सामने कोई ऐसी बात रखेंगे जिससे कुछ फायदा इस सरकार का होगा, जनता का होगा और जो इस वक्त गल्ले की कमी से कष्ट है वह दूर होगा, लेकिन जब हमने उनका भाषण सुना तो बड़ी निराशा हुई। सिवाय इसके कि उनके भाषण में एक धमकी थी, कि अगर गल्ला नहीं देंगे, लोगों को बहकायेंगे, बरगलायेंगे, लोगों के दिमाग में उलटकर करेंगे, इस तरह की धमकी के सिवाय और कोई बात उन्होंने नहीं कही। और जैसे कि अगुवा जिस रास्ते पर उसी पर उसके समर्थक भी चलते हैं, उसी तरह और उनके साथी भी उसी धारा में, प्रवाहित होते चले आ रहे हैं। अभी आपके सामने एक भाषण हुआ उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। बजट के जमाने में जो बातें इन्होंने कही थी सारी वही बातें पूरी की पूरी दुहरा दीं। वही पिटी पिटायी पुरानी बातें, सरकार गलत है, नेता गलत है, सरकार प्रबन्ध नहीं करती, यही सब बातें उन्होंने दुहरा दीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन बातों से कुछ गल्ले में बढ़ोत्तरी हुई, कुछ पैदावार में बढ़ोत्तरी हो गई? क्या वह ब्लैक मार्केटियर्स, वह जखीरेबाज और बड़े बड़े केपिटलिस्ट्स जिनका कि सीधा सम्बन्ध जनसंघ से ज्यादा है, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने बड़े-बड़े रस्तोगी हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

जितने बड़े-बड़े सेठ हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं वह अधिकतर सब जनसंघी हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं। तो क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ा? अभी परसों, हमने देखा था जब जनसंघ का जुलूस निकला था तो हमने देखा कि इसमें कितने लोग भूखे हैं कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको दो तीन दिन से गल्ला नहीं मिला, तो उपाध्यक्ष महोदय, सबकी मोटे-मोटे कनपटे, मोटे-मोटे गाल, मोटी मोटी गर्दनें और उम्दा २०, २५ रुपये का कुर्ता पहने हुए, एक अजीब नक्शा देखा। हमने कहा इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जाल, यह भुखमरी के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भूखी है और इनका यह हाल है कि यह बेचारे सब चूरन खा खाकर आये हैं वरना इनकी कब्जियत कभी दूर न होती।

उपाध्यक्ष महोदय, बात दरअसल इस प्रकार की है कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने एक तरीका बना लिया है। मुझे तो बड़ा दुख होता है, डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब को मैं बड़ा बुजुर्ग और पुराना पार्लियामेंटेरियन समझता था, उस दिन का नक्शा देखा, कि वह रामसुन्दर पाण्डेय जी के सामने आकर खड़े हो गये, जिस तरह वह कहते थे कि हम असेम्बली नहीं चलने देंगे, उन्होंने रामसुन्दर पांडेय जी को शायद कुछ कमजोर समझा। जरा स्तर देखिए, नेता होने का स्तर और क्वालिफिकेशन देखिए, किस तरह से नेता बना लिये जाते हैं। रामसुन्दर पाण्डेय जी चुन लिये गये, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली देने वाले वह समझे गये, उग्रसेन जी पीछे छोड़ दिये गये और उनको काट कर पाण्डेय जी को नेता बना दिया गया। डाक्टर अहमद साहब ने देखा कि मैं तो बिलकुल ही पीछे जा रहा हूं तो अपनी कुर्सी छोड़कर सीधे रामसुन्दर जी के सामने आ गये और कहा कि असेम्बली नहीं चलने देंगे। यह आपका स्तर है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आप जोड़े हुए हैं। चैलेंज किया हमारी मुख्य मंत्री जी ने कि बताओ तुम किसको बनाना चाहते हो एक राय होकर कोई नक्शा बताओ, हम अलग हो जायं, हम राज्य के कोई लालची नहीं हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ बैठ तो सकते नहीं, एक दूसरे के साथ सलाह नहीं कर सकते, २० वहां बैठते हैं, १५ वहां बैठते हैं, १० वहां बैठते हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं? मीठी-मीठी बात बनाने से कुछ आनन्द तो आता होगा कि सरकार उलट देंगे, राज्य पलट देंगे, लेकिन आपका जो स्वभाव है, जो आपके कर्म हैं, जिस प्रकार से आप चल रहे हैं उसके होते हुए वह स्वप्नवत् ही रह जायगा, कभी भी आपका स्वप्न सार्थक नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चीनी के बगैर इन्सान नहीं मर सकता, कपड़े के बगैर नहीं मर सकता, जेवर के बगैर नहीं मर सकता, लेकिन यह खाने की समस्या ऐसी नाजुक है कि कोई भी इंसान बगैर खाना खाये २४ घंटे भी जिन्दा नहीं रह सकता है। यह बात बिलकुल सही है कि हमारे यहां ३, ४ साल से लगातार गल्ले की कमी हो रही है। कभी ज्यादा पानी बरसता है और कभी पानी कम बरसता है। बिना पानी के हमारी फसल बरबाद होती चली जाती है। इस वजह से इस इल्जाम से आप बरी नहीं हो सकते कि जब आपको मालूम था कि आप एक नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं और आपके पास गल्ला खत्म हो रहा है तो आप केन्द्र से मंगाने जाते हैं। आपको यह मालूम था कि ३, ४ महीने का समय ऐसा होता है कि जब किसान के घर में गल्ला नहीं होता है। खासतौर से पूर्वी जिलों में सावन भादों के महीने ऐसे होते हैं कि उसके घर में भुखमरी की हालत पैदा होती है। तो उस समय आपने इस तरह का इन्तजाम नहीं किया जो सराहनीय कहा जा सके। उस समय आपने बहुत दूरन्देशी से काम नहीं लिया।

मैं नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह बड़ी-बड़ी बातों का कभी-कभी स्टेटमेंट देते हैं और सदन में भी आश्वासन दिया गया, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ उनको काम करना चाहिये वह उस जिम्मेदारी से पूरा नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि अब वह कोई बड़ी स्कीम बनाने की कोशिश न करें। अब यह सिर्फ चन्द महीनों की बात है। अगर कुछ गल्ला गांवों में पहुंचा दिया जाय तो इससे बहुत सुविधा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि

यह जो उनका सप्लाई विभाग है वह सड़ा हुआ विभाग है। यह पुलिस महकमें से भी बदतर विभाग हो गया है। आपके सप्लाई विभाग में कोई भी सप्लाई आफिसर ईमानदार नहीं है। सब के सब बेइमान हैं। सब ब्लैक मार्केटियर के साथी हैं। एक भी ऐसा नहीं जो ईमानदार हो। इतनी सड़ी हुई मशीनरी लेकर आप इतने बड़े मुश्किल काम को हल करना चाहते हैं यह असंभव है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने सप्लाई आफिसर निकाले? कितने इंस्पेक्टरों को निकाला गया? कितने लोगों के खिलाफ इस विभाग में कार्यवाही की गई? सुल्तानपुर के सप्लाई आफिसर के बाबत हमने खुद आकर मंत्री जी को बतलाया। उसने वहां पर दो साल में २ लाख रुपया पैदा किया। वह जनसंघ का भी कार्यकर्त्ता है। जनसंघ वालों को वह परमिट देता है, कोटा देता है और फिर उनसे ब्लैक मार्केटिंग कराता है। इसमें कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सही बात है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो इस तरह की बातें हैं उनको मानना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इस समय किसान भूखों मर रहा है। मैं किसी के लिये भी मुरव्वत करने के लिये तैयार नहीं हूं। जिनके पास स्टाक है और जो इस जमाने में भी अपने पास स्टाक रखे हुये हैं चाहे वह किसी भी पार्टी के सम्बन्ध रखते हों उनके गल्ले को बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिये। जो गांव में लोग स्टाक रखे हुये हैं उनके स्टाक को भी बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाय। वे लोग इस वजह से स्टाक रखे हुये हैं कि मंहगा होने पर उसको वह बेचेंगे। उनके स्टाक को पुलिस के द्वारा सीज किया जाय, वरना यह बात बहुत मुश्किल दिखाई पड़ती है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया। मैंने दोनों दलों के काफी सदस्यों को सुना। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि सरकारी दल के लोग यह चाहते तो हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट दें, लेकिन उनकी कुछ कठिनाई है। हर सदस्य यह कहता है कि खाद्य समस्या गम्भीर हो गई और यह भी कहता है कि कैबिनेट ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से नहीं निभाया, लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि उनके सामने रोजी रोटी का सवाल है। मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की स्थिति तो नहीं जानता हूं अपने जिले की हालत आप के सामने रखना चाहता हूं कि इनकी रोजी-रोटी कैसे चलती है और किस तरह से वहां पर ३ सप्लाई आफिसर काम करते हैं। मेरे जिले की एक विशेष स्थिति यह है जो कहीं पर नहीं है।

मान्यवर, मेरे जिले में एक विशेष स्थिति है। वहां तीन सप्लाई आफिसर हैं। एक मुख्य सप्लाई अफसर एस० डी० एम० है, दूसरा डी० एस० ओ० और तीसरा एक पी०सी०एस० अफसर हैं। नेगी जी ने वहां की स्थिति देखी है। वहां की जिला समिति में सरकार ने ऐसे दो लोगों को नामिनेट किया है। जो चुनाव में हारे हुये हैं और जिनमें से एक की जमानत भी जब्त हो चुकी है। जिनको जनता ने नालायक कहके निकाल दिया उनको आपने सप्लाई में रखा इसलिये कि आ कर भ्रष्टाचार करो। हमारे यहां जब खाद्य मंत्री जी गये तो उनके दाहिने बांयें सीतापुर के सबसे बड़े ब्लैक मार्केटियर लगे हुए थे। जब हमारे डेपुटेशन ने इस पर ऐतराज किया तो वे बैठे रहे इसलिये कि वे नेगी जी के दोस्त थे। माननीय मंत्री जी को वैसे ही फुरसत कहां है। ५ बजे के बाद कोटा और परमिट वाले उनको घेरे रहते हैं। यही हाल मैं १९६३ से देख रहा हूं। अगर आपोजीशन की और आपकी हैसियत निकाली जायगी कि कौन ज्यादा पैसे वाला है तो पता चलेगा कि आप हजारों गुना बड़े हैं। जो लोग हजारों साल में नहीं कर सके वह आपने १७ साल में कर दिया लिया। आपने कान और नाक सब काट लिये हैं। आप तवारीख के पन्ने पलट कर देखें कि आपने कौनसी हरकतें नहीं की हैं। जो हुकूमत बरतानियां ने नहीं किया, जो ताल्लुकेदारान अवध ने नहीं किया वह आपने किया है। उनसे ज्यादा ऐश आप करते हैं। उनके पास तो एयर कंडीशन मकान नहीं थे, हमारे मंत्री लोगों के पास हैं। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि हमारे मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हैं। अगर मैं रंगीन चश्मा लगा लेता हूं तो मुझे सारी दुनिया हरी-हरी ही दिखलायी देती है।

[श्री शिवेन्द्रप्रताप]

सरकार की तरफ से एक चार्ज लगाया गया कि अपोजीशन ने फूड एडवाइजरी कमेटी में साथ नहीं दिया। हो सकता है कि हम बड़े नाकामयाब रहे हों। मैं तो कहूंगा कि :

मुझे पसंद है दुनिया में अपनी नाकामयाबी,
कि हर जलील यहां कामयाब होता है ।।

कहूं तो क्या कहूं। मैं सीतापुर की बात कहना चाहता हूं कि वहां फूड ऐडवाइजरी कमेटी में दो बार प्रस्ताव आया कि सरकार सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये और स्थिति सम्हाले लेकिन दोनों बार ही वह पास नहीं हुआ, इसलिये कि जनसंघ के केवल ५ सदस्य हैं और आपने अपने लोगों को नामिनेट कर दिया है अपना हिस्सा बांटने के लिये। मैं यहां के माननीय सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब वहां के डी०एस०ओ० का ट्रांसफर नेगी जी ने किया तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि उनको वहीं रोक दिया जाय इसलिये कि उनसे ही उनकी रोजी रोटी का सवाल है। वह सप्लाई आफिस में सुबह ९ बजे से शाम को ५ बजे तक पड़े रहते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं और सबसे आखिर आदमी होते थे जो सप्लाई आफिस छोड़ कर जाते थे। जब यह बात कही तो कोई सुनवाई नहीं होती। आज नेगी जी महसूस करते हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि जखीरेबाजों से गल्ला निकलवा लीजिये तो उधर के भाइयों ने कहा कि कैसे निकालें अपोजीशन वालों के यहां से है। पारसाल मुख्य मंत्री के इलेक्शन में हमारे यू० पी० के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इलेक्शन लड़ा, बड़ी खूबसूरती से वह लड़ते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से वोट खरीदे। वह पैसा कहां से आया। आपसी इलेक्शन में मोटरें आती हैं, जिले-जिले से पेट्रोल आता है। अगर वह जखीरेबाजों से नहीं आता तो किस से आता है? आज उनकी नजरों में जखीरेबाज और मिल वाले पौलेटेरियट हैं और काम करने वाले जखीरेबाज हो गये हैं। मैंने ऐस्टीमेट लगाया, ३-३ लाख रुपया खर्च हुआ, वह कहां से आया? जिस तरीके से मान्यवर, किसी जमाने में ताल्लुकेदारों की बरातों का स्वागत नहीं होता था उस से ज्यादा उस इलेक्शन में लोगों का स्वागत हुआ है। हलवाइयों की दूकानें खुली हुई हैं, हर तरह के ऐश के सामान मुहइया हैं और प्रोलेटेरियट से पैसा आया है। यह हालत है। आज-कल भी जूता-लात चल रहा है पी० सी० सी० के प्रेसीडेन्ट के इलेक्शन में। दोनों ग्रुप एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे यहां कोटा-परमिट वाले ज्यादा हैं और असेम्बली में मुंह बचाने के लिये कहते हैं कि अपोजीशन वालों के पास हैं।

अब एक मिनट में मैं एक बात कहता हूं कि अगर मंत्री जी को अपनी पालिसी में और सरकार को विश्वास है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता में विश्वास है तो आये मैदान में, इस्तीफा दें, मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी से इस्तीफा दे दूंगा, इलेक्शन हो जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

आइये चलिये, हमसे लड़िये।

श्री शिवेन्द्रप्रताप---

मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

आप त्याग-पत्र दे दें, मैं भी आप से लड़ने के लिये तैयार हूं, ठाकुर हुकुमसिंह जी।

श्री शिवेन्द्रप्रताप---

मैंने उनका चैलेन्ज ऐक्सेप्ट कर लिया है, मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि माल मंत्री भी इस्तिफा दें और जिस कांस्टीट्यूएंसी से चाहें लड़ लें।

एक सदस्य--

यह अश्योरेन्श हाउस में हुआ है, मान्यवर, इसे आप तय कर दें ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मेरी चुनौती है अगर वह साबित कर दें कि पी०सी०सी० के चुनाव में किसी आदमी का इस्तीफा दिया गया हो, वरना अपने शब्द वापस लें । मैं इसके लिये आपको नोटिस देता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्रीमन्, जब माननीय राजस्व मंत्री और माननीय सदस्य चुनाव लड़ने के लिये राजी हैं तो दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन---

राधेश्याम जी, वह हमारे भांजे के लड़के हैं और हम उनके बाबा हैं, हम और वह लड़ेंगे, आप बीच में क्यों पड़ते हैं ।

(व्यवधान)

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां २८ तारीख को भी था और २९ के सबेरे भी था और इस वक्त भी मैंने कुछ स्पीचों को सुना और उनको सुनकर मैं हैरान हूं । जिस अन्दाज से यह डिबेट चल रही है उसमें क्या बात कही जाय और किस बात का जवाब दिया यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । अच्छा तो यह होता कि खाद्य समस्या पर बहस के लिये समय मांग लिया जाता और उस पर बहस हो जाती । नो कान्फीडेन्स के मोशन पर जिस तरह की बहस होनी चाहिये वह बहस न हो कर खाद्य समस्या के ऊपर ही डिबेट चल रही है । यह जाहिर बात है कि यह एक अहम सवाल है । इस पर मैं भी कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं । किसी भी देश में जब खाद्य समस्या पैदा होती है तो वह खाद्य की कमी के कारण तो होती ही है, मगर जो परेशानियां लोगों के दिमागों में भर दी जाती हैं उनका भी बहुत हद तक असर होता है । यह जाहिर बात है कि अनाज की पैदावार कम हुई और उसकी कमी की वजह से कुछ दाम भी बढ़े, लेकिन जितना उसके लिये हंगामा किया गया उसकी वजह से यह समस्या और बढ़ती चली गयी । आज करीब ८ लाख टन अनाज की कमी है । उस कमी को पूरा करने के लिये हमने कुछ इंतजाम किया है और उसके लिये हम प्रयत्नशील भी हैं, आगे के लिये हम इन्तजाम कर रहे हैं । ऐसी बात नहीं है कि अनाज की बिलकुल ही कमी है । मेरे पास भी पहले यह डिपार्टमेंट रहा है । मैंने भी उस वक्त इन्तजाम किया था । वास्तव में यह एक दो महीने ऐसे होते हैं जब कि अनाज मंडियों में कम आता है । पहले हमने काफी मोटा अनाज ओपिन मार्केटिंग से खरीद लिया था और उसका भंडार हमारे पास जमा था । केन्द्रीय सरकार से भी हमें अनाज मिलता रहा, लेकिन बीच-बीच में नहीं मिलता था, देर हो जाती थी, आगा-पीछा हो जाता था । तो हम देहातों में काफी मिकदार में मोटा अनाज पहुंचाते थे और उस से कमी पूरी होती थी । मुमकिन है कि अबकी दफा भी ऐसा ही होता, लेकिन वजह उसकी यह बताई जाती है कि मोटे अनाज के भी निर्ख बहुत बढ़ गये, लेकिन किसी भी निर्ख पर लेकर अगर उसका भंडार हमारे पास होता तो इतनी कठिन समस्या न होती । अब सूरत यह है कि १२,००० से ऊपर फेयर प्राइस शाप्स हैं । मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग स्वयं जानते हैं । सवाल यह है कि इस कमी को ठीक करने में आप लोग हमें क्या सहायता दे रहे हैं । अगर आप इसे एक इश्यू बनाकर यही कहेंगे कि देश में अनाज की एक दम कमी हो गई है, तो कंज्यूमर भी चाहेगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सैयद अली जहीर]

कि कुछ अनाज ले कर रख लिया जाय, ताकि कहीं कल न मिले और भंडार वाला भी सोचेगा कि अभी न बेचा जाय, आगे ज्यादा दाम मिलेंगे। हम कमी को फ़ेयर प्राइस शाप्स के जरिये ८ लाख मन या जितना भी होता है उतना देकर पूरा करना चाहते हैं, ताकि सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाय और कीमत खुद व खुद कम होती जाय। यह पालिसी गवर्नमेंट की हमेशा रही है। मालूम नहीं वह किस्सा आप लोगों ने सुना है या नहीं, कि एक बार सूरज और आंधी में बहस हुई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आंधी ने कहा कि हम जहाज डुबा देते हैं, शहरों को बरबाद कर देते हैं। बहरहाल, जब फैसला नहीं हो सका तो उन्होंने कहा कि यह आदमी अपना कम्बल ओढे जा रहा है, जो इसका कम्बल उतरवा दे वही ज्यादा ताकतवर है। आंधी बहुत तेज चली मगर वह आदमी दोनों हाथों से कम्बल पकड़े रहा और उसे दबाये रहा। कम्बल नहीं उतर सका। फिर सूरज की बारी आई। उसने चमकना शुरू किया। तब उस आदमी ने कहा कि अब कम्बल की जरूरत नहीं है और उसे उतार कर अलग रख दिया। तो एक तो कोअरशन की पालिसी होती है, दूसरी होती है परसुएशन की। यह सरकार अब तक इसी पालिसी पर चली है कि जहां तक हो सके परसुएशन के जरिये से इकानामिक फोर्सेज के जरिये से, हम गल्ले की कमी को पूरा करें और नार्मल हालत कर दें। जाहिर है कि अभी २, ३ महीने बाद नयी फसल आवेगी और उसके बाद अपने-आप दाम घटेंगे। आप लोगों को यह अधिकार है कि आप इस सिचुएशन को एक्सप्लायट करें, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनता इसे पसन्द नहीं करती है। आपने बलवा करा दिया और लोगों को भड़का कर उनसे जुलूस निकलवा दिया, तो जनता जानती है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वे लोग सोचेंगे कि जुलूसों से और नारों से अनाज पैदा नहीं हो सकता है।

भुखमरी की बात की जाती है। आप कहते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं। मुझे याद है, जिस वक्त मैं फूड मिनिस्टर था, कुछ नहीं तो तकरीबन १५०, २०० केस मेरे सामने आये और लोगों के एक न एक बयान रोज होते थे कि हमारे यहां इतने आदमी मर गये भुखमरी से, हर केस में तहकीकात करायी गयी, लेकिन यही साबित हुआ कि उनमें से हर आदमी जैसे मौत से मरा करते हैं वैसे ही मरा था, भुखमरी से नहीं मरा था। ऐसा नहीं हो सकता कि अनाज की कमी से किसी गांव में एक दो आदमी मर जाय, क्योंकि हमारे यहां तो फकीरों की एक ऐसी जमाअत है जो घर-घर जाकर मांग कर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। यह हमारे यहां पुरानी रिवाज है फिर एक आदमी सबके देखते किस तरह से मर सकता है। अगर अनाज न होगा तो इलाके का इलाका भी गायब हो जायगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गांव में अनाज मौजूद है और एक आदमी या एक घराना भूखों मर जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जब वे भूखों मरने लगेंगे तो दरवाज दरवाजे भीख मांगेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--

गालिबन यह आपको मालूम नहीं है और खाद्य मंत्री जी आपको बतायेंगे कि जितने भी जिलाधीश हैं उनके नाम यह हुक्म निकाला गया है और उनको उसके लिये रुपया दिया गया है और कहा गया है कि कोई आदमी भूखों न मरने पाये। उसका फर्ज है कि वह भूखों को खाना दे और अगर आपको कहीं यह पता चले कि कोई आदमी भूखों मर रहा है तो जिलाधीश को आप उसकी इत्तला दें, वह उसको भूखों मरने नहीं देगा। जिस समय मैं खाद्य मंत्री था, उस समय का यह पुराना आर्डर है। इसलिये आपने जो भुखमरी की आवाज उठायी है वह वाक्यात के खिलाफ है। हां, जहां गल्ले की कमी है हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं गल्ला जमा है, लेकिन यह सब स्पेकुलेशन की वजह से हो रहा है। राजा साहब जौनपुर कह रहे थे कि मुल्क में रुपया बहुत ज्यादा फल गया है। सही है, लेकिन

जो कोई मुल्क एकोनामिक डेवलपमेंट चाहता है उसको तो रुपया फैलाना ही पड़ेगा। २२,००० करोड़ रुपये की पहली योजना थी, ४,८०० करोड़ की दूसरी और ८ हजार करोड़ से ऊपर की तीसरी योजना आपकी चल रही है और १६ या १८ हजार करोड़ की चौथी योजना आपकी बनने जा रही है। बगैर इसके इतने बड़े देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। रुपया खर्च करना होगा और उससे इन्फ्लेशन भी होगा, लेकिन उस रुपये का होर्डर गलत इस्तेमाल करता है। वह कोशिश करता है कि वह मार्केट पर काबू पा ले, ज्यादा से ज्यादा अनाज काबू में कर ले, मार्केट में तभी लाये जब उसके दाम बढ़ जायें। हमारी तरफ से बहुत से बयान निकाले गये, लेकिन उनकी तरफ से उस पर अमल नहीं किया गया, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से भी उनके लिये कोई बयान निकाला गया कि होल्डर्स को गल्ला निकालना चाहिये और पब्लिक की तकलीफ को महसूस करना चाहिये। सेन्टर गवर्नमेंट की तरफ से भी बयान निकल रहे हैं और कुछ ऐक्शन भी उनके खिलाफ लिया जा रहा है। नतीजा आपने देखा, कुछ को पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, लेकिन हमारी इस सूबे में यही कोशिश है कि नरमी से अगर अनाज की कमी को पूरा कर सकें तो करें। आखिर में मैं सिर्फ एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से जो बहस हो रही है उसकी एक कापी शायद तमाम मेम्बरों में तकसीम हुई है और वह एजेंडे के साथ मुझे मिली थी। उसमें आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारा जो यह हाउस है यह सुप्रीम कोर्ट आफ दि हाई कोर्ट है। इसलिये यदि किसी को कंटेक्ट के सिलसिले में सजा दे दी तो उसका फैसला हाईकोर्ट के सामने नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी हैसियत आला कोर्ट की है। मैं यह देखना चाहता हूं कि अगर वाकई आप आला कोर्ट होने की बात कहते हैं तो आला कोर्ट का तरीका क्या है? क्या आला कोर्ट यही हो सकता है कि इसके जितने जजेज हों वे दूसरों को बोलने न दें, किसी दूसरे की बात न सुनें और अपने ही रूल को तोड़ें। यदि आप अपने को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है, आपका एक आब्लिगेशन हो जाता है यहां एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बहस कीजिये, जिससे कुछ नतीजा निकले और जिससे जनता की तकलीफें दूर हों। महज इसलिये कि हर एक की टांग पकड़ कर खींचने की कोशिश करें, इससे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि जहां जनतंत्र होता है वहां मेजारिटी का रूल होता है। आप अपने को कहते हैं कि हम ७ करोड़ जनता के नुमाइन्दे हैं, तो ७ करोड़ में अगर ४ करोड़ आदमियों ने भी वोट दिया हो तो कम से कम ३ करोड़ आदमियों की तरफ से तो इधर के लोग ही चुनकर आये हैं। तो यह कह देना कि आप ही उनके नुमाइन्दे हैं और हमारे दिल में उनके लिये कोई दर्द नहीं है, इस तरह की बातों से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो यही अपील करूंगा कि आपको चाहिये कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस डिबेट को चलावें जिससे जनता का कुछ फायदा हो, वरना जिस तरह का डिबेट चल रहा है उस तरह के डिबेट से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

एक बात का आप जवाब दे दें। आपका चपरासी जो ४० रुपये महीने पाता है वह एक सेर का गेहूं लेकर किस तरह से अपने को तथा अपने परिवार को जिन्दा रख सकता है? दूसरे यह कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अन्न लेने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—

जहां तक चपरासियों की बात आपने कही, उन्हीं जैसे गरीब लोगों के लिये ये फेयर प्राइस खुले हुये हैं, ताकि उनको कम से कम सवा दो, ढाई सेर का गेहूं मिलता रहे। भले ही वह देर से मिलता हो, लेकिन मिलता है। जहां तक हो होल्डर्स से गल्ला निकालने की बात है, पहले तो हम इकोनामिक प्रेसर से गल्ला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर गल्ला बाहर न आया तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती करने में भी पीछे नहीं रहेंगे जो कि उसे दबाये हैं।

*श्री भानुप्रतापसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अविश्वास के कारण तो ऐसे हैं जिनको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आज इस राज्य के लाखों व करोड़ों नरनारियों के पेट खाली हैं और उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको दोनों वक्त खाना भी नहीं मिलता। सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यह बात कही गयी कि ऐसे अन्न संकट के समय भी विरोधी दल के लोग सरकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। श्रीमन्, यह बात सत्य है कि यदि हम इस संकट को मौसम की खराबी के फल-स्वरूप ही समझते तो सरकार का साथ देते, लेकिन हम समझते हैं कि यह संकट मनुष्य का ही पैदा किया हुआ है। मैं यह जरूर कहूंगा कि विरोधी पक्ष सहयोग देना चाहता है, परन्तु हमारा यह विश्वास है कि यह जो संकट है वह प्रदेश सरकार व ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुये लोगों के जरिये ही पैदा किया हुआ है। कृषि विभाग के भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर श्री शिवराजसिंह जी ने स्वयं आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि यह केवल पिछले वर्ष की बात नहीं है, बल्कि यह गिरावट पिछले २–३ साल से ही नहीं चली आ रही है, बल्कि यह पिछले १३ साल से चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है, लेकिन इस निरन्तर गिरावट का कारण क्या है? मौसम तो इतने दिनों तक बराबर खराब नहीं रह सकता। अगर मौसम की खराबी ही कारण होती तो कैशक्राप्स का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े रखूंगा। सन् १९५७–५८ में गल्ले का उत्पादन १०६ था और वह १९६१–६२ में १३७.५ हो गया जब कि कैशक्राप १९५७–५८ में १२५ था और सन् १९६१–६२ में वह बढ़ कर १८५ हो गया। सारी परिस्थितियां दोनों के लिये वही हैं, वही जमीन, वही किसान, वही मौसम, लेकिन कैशक्राप बराबर बढ़ती जाती है। तो गल्ले की उपज की कमी के लिये निरंतर मौसम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह सरकार और उस की गलत नितियों का फल है जिसने बराबर उसमें विघ्न बाधायें डाली हैं और कृषि उत्पादन में कमी होती जाती है। किस प्रकार की यह विघ्न बाधायें डाली गई हैं वह भी मैं बता दूं, मैं वैसे ही नहीं कह कर छोड़ना चाहता। सब से पहली बात यह है कि कृषि व्यवसाय की ही उपेक्षा की गई है। जो व्यवसाय ७० प्रतिशत सूबे की जनता को रोजगार देता है, जिसके आधार पर प्रदेश की ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है और उसके विकास के लिये प्लानिंग कमीशन ने जितना रुपया रखा उसके ड्योढ़े से ज्यादा रुपया बड़े उद्योगों के लिये रखा गया और वह भी फर्टिलाइजर फैक्टरी के लिये नहीं, बल्कि अन्य चीजों के लिये जिनसे किसानों का कोई सम्बन्ध नहीं। वह बड़े उद्योग नहीं खुले जिनसे किसानों को सीधा लाभ होता। आज बावजूद इसके कि सभी नेता मानते हैं कि बिना मूल्य निश्चित किये कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता, लेकिन आज तक सरकार की कोई मूल्य नीति निर्धारित नहीं हुई।

माननीय मुख्य मंत्री हमसे ज्यादा सहयोग लेना चाहती हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके अधिकार क्या हैं? क्या वह मूल्य निश्चित कर सकती हैं? क्या वह यहां से मोटे अनाजों का निर्यात रोक सकती हैं? क्या वह दूसरे प्रदेशों से अन्न लाने की अनुमति प्राप्त कर सकती हैं? जब वह इन चीजों में से कुछ स्वयमेव नहीं कर सकतीं तो हम सुझाव क्या दें? हमें कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उनकी शिकायत ही नहीं है। हमसे कहा जाता है कि आप सहयोग दीजिये, जखीरेबाजी बन्द कराइये, लेकिन क्या उससे पहले मूल्यों का निश्चित होना जरूरी नहीं है। आप से किस विरोधी दल के व्यक्ति ने कहा कि जखीरेबाजों को सजा न दें, होल्डिंग को समाप्त न करें, लेकिन वह आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप में वह ताकत नहीं है। आप मूल्य निश्चित नहीं कर सकते और जब तक यह काम नहीं होगा तब तक आप किसी का जखीरा ले नहीं सकते। मैं कहूंगा कि अगर यह सरकार अपनी कठिनाइयों को समय से भारत सरकार के सामने मजबूती के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखती और उनसे मुनासिब जोरदार मांग करती कि यह अधिकार हमें मिलना चाहिये तो आज यह स्थिति न होती आज एक संवैधानिक क्राइसिस जूडीशियरी और लेजिस्लेचर के बीच भारत में हुआ, लेकिन अगर एक वैसा ही संवैधानिक क्राइसिस यू० पी० सरकार और भारत सरकार के बीच में इन अधिकारों को लेकर पैदा हुआ होता तो यह स्थिति न होती । माननीय मुख्य मन्त्री जी और खाद्य मन्त्री जी यह चाहते हैं कि हम भारत सरकार की आलोचनायें करें, उसके लिए हम तैयार हैं पर हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने भी इस प्रकार का भारत सरकार के खिलाफ कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने इस प्रकार का दोषारोपण भारत सरकार पर किया हो । आप चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे आप के प्रभु आप से असन्तुष्ट न हों वर्ना टिकट और मन्त्रिपद नहीं मिलेगा । आप चाहते हैं कि आप की जगह हम भारत सरकार से लड़ें । मैं स्पष्ट कहूंगा कि आज भी यदि आप हमारी २ शर्तें मान लें तो मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूं कि हमारा पूर्ण सहयोग आप को मिलेगा । पहली बात तो यहकि गेहूं और चावल के मूल्य निश्चित किए जायं और किसी के पास उसके और उसके परिवार की आवश्यकता से अधिक कहीं भी चाहे, वह किसान हो या व्यापारी हो, जितना अनाज हो वह सरकार निकाल ले ।

एक सदस्य—

आवश्यकता की परिभाषा तो बड़ी कठिन है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

वह हम डिसकस कर लेंगे । उस मूल्य पर जहां भी गल्ला हो आप निकालिए । दूसरा सुझाव यह है कि जितना भी गल्ला आपको प्राप्त होता है उसको आबादी के आधार पर देहात और शहर में अनुपात से बांटिए । यदि यह दो सुझाव मानते हैं तो स्वतन्त्र पार्टी आपसे सहयोग करने के लिये तैयार है । लेकिन आप कोई सुझाव मान नहीं सकते । मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा उन्होंने उत्तर लिखा कि उनकी भी सहानुभूति गांव वालों के साथ है और वह सहायता करना चाहती हैं, परन्तु मैं पूछता हूं कि सहायता क्यों नहीं करतीं ? आप कहते हैं समाजवाद लायेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, परन्तु यह कौन-सा न्याय है कि जो कुछ भी गल्ला आपके पास है वह ज्यादातर शहरों में ही बांटा जाता है । एक बार खाद्य मन्त्री से पूछा गया था कि क्या कारण है कि गांव वालों में चीनी आधी मात्रा में दी जाती है शहर वालों की तुलना में । उन्होंने कहा कि कमी है । तो मैंने उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या अन्न की कमी होगी तो भी इसी प्रकार से गांव वालों को आधा अन्न देंगे । तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा बराबर दिया जायगा । परन्तु क्या उस आश्वासन को सरकार ने पूरा किया है ? मैं उस नोट को नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वह कान्फीडेंशियल है, लेकिन इतना बता दूं कि उन्होंने आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गेहूं ९६ हजार टन की आवश्यकता को आंका है, जबकि शहर वालों के लिए ८० हजार टन आंका है । किस हिसाब से ऐसा किया है ? केवल भूमिहीनों और ऐसे काश्तकारों की संख्या जिनके पास सरप्लस गल्ला नहीं है करीब ३ करोड़ के है, इससे कम नहीं है और शहरों की आबादी १ करोड़ से ज्यादा नहीं है । तो जब शहर को ८० हजार टन एलाट करते हैं उसी हिसाब से तिगुना गल्ल देहात के लिए होना चाहिए । दो मांगें जो मैंने रखी थीं उनके औचित्य से मुख्य मन्त्री जी सहमत होंगे, लेकिन देखना है कि क्या वह उसको स्वीकार करेंगी ।

कृषि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा । कहने के लिए किसानों के साथ सहानुभूति है । मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । सिंचाई की दर अंग्रेजों के जमाने के मुकाबले तिगुनी बढ़ गयी है । डीजल आयल जिससे पम्पिंग सेट चलता है उस पर ऐक्साइज ड्यूटी १० गुनी बढ़ी है । पिछले ११ सालों में, २३ से २३४ नए पैसे हो गयी । हैवी डीजल जिससे ट्रैक्टर चलता है, उसकी ड्यूटी १९ पैसे से बढ़कर २०४ नए पैसे हो गयी, यानी ११ गुना बढ़ गयी । तकावी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

का रेट साढ़े ५ से बढ़कर पौने नौ कर दिया गया। खाद प्रयोग करने का बहुत उपदेश दिया जाता है, परन्तु जो खाद हमको दी जाती है वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो खाद का मूल्य है, उसकी ड्यूढ़ी कीमत पर हिन्दुस्तान की खाद पड़ती है। इन सारी कठिनाइयों के बाद आप उम्मीद करते हैं कि भारत का किसान गल्ला पैदा कर सकता है, मैं कहना चाहता हूं कि इन मूल्यों के कारण यहां की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। अभी कुछ दिन पूर्व खाद्य मन्त्री लैवी लगाते थे धान और चावल पर और उस लैवी पर क्लास ४ धान और सारी अर्ली पैडी को क्लास ४ में क्लासिफाई किया और उस का दाम १५ रु० ९५ नया पैसा रख दिया। मैं कहता हूं कि इस मूल्य पर जब चावल बिकेगा तो फर्टीलाइजर का इस्तेमाल कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करें और एक तरफ सरकार इस तरह के दामों पर मजबूर करती है चावल बेचने के लिये। यह वही सरकार है जो पाकिस्तान से और अमेरिका से २७ और २८ रु० प्रति मन चावल खरीदती है। यह सरकार विदेशों के किसानों को इतना मूल्य दे सकती है, लेकिन अपने देश के किसानों को लूटना चाहती है। जो रवैय्या किसान का उसके बैलों के साथ होता है कि यदि उसके यहां उपज अधिक होती है तो बैलों को खाने के लिए नहीं दिया जाता उसी प्रकार से जब जब किसानों ने अधिक उत्पादन किया तब-तब किसान को कम आमदनी हुई है। इसके आंकड़े मेरे पास हैं पर मैं उन्हें समयाभाव के कारण प्रस्तुत नहीं करना चाहता, परन्तु यदि कोई कमीशन आदि बैठा तो मैं पेश कर सकता हूं। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक उत्पादन कैसे बढ़ेगा।

जब से नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ है तब से उत्तर प्रदेश की खेती की जमीन का रकबा निरन्तर घटता चला जा रहा है। जिस वक्त हमने कहा कि आप सीलिंग कीजिए तो आपने कहा कि स्वार्थी लोग हैं। आंकड़ों के देखने से ज्ञात होता है कि जिस समय नागपुर रेजोल्यूशन पास हुआ था उससे पूर्व उत्तर प्रदेश की खेती की जमीन का रकबा ४ १/२ लाख एकड़ प्रति वर्ष बढ़ रहा था। श्रीमन्, मैं सामाजिक सीलिंग का भी विरोध नहीं करता, यदि इस सरकार में और दिल्ली वाली सरकार में नैतिकता हो और सारी आमदनी पर वह सीलिंग लगे। खेती का पेशा ऐसा है कि जिसे कम लोग पसन्द करते हैं। आप भी जानते हैं कि क्या आप अपने बेटों को खेती में लगाने के लिए तैयार होंगे। हर आदमी चाहता है कि उसके बेटे उत्तम व्यवसाय में जाएं ताकि अपनी जीविका अच्छी तरह चला सकें।

(लाल बत्ती होने पर)

अन्त में २ बातें कह कर समाप्त करना चाहता हूं। हमारी पार्टी हमेशा इस बात पर विश्वास करती आई है कि हमको शान्तिपूर्वक ढंग अपनाना चाहिए। हम रूल आफ ला में विश्वास करते हैं। हम इस समय कोई आन्दोलन या अशान्ति पैदा नहीं करना चाहते हैं, परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मन्त्री जी के लिए कि हमारी पार्टी बहुत शान्तिप्रिय है पर यदि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें यदि कोई हस्तक्षेप हुआ तो स्वतन्त्र पार्टी शान्ति-पूर्वक नहीं बैठ सकती है। मुझे समाचार मिला है कि भाषण देते हुए हमारे एक कार्यकर्ता को डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया है। जो डी० आई० आर० जखीरेबाजों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए था वह हमारी पार्टी के खिलाफ किया गया। बहराइच में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन के लिए कल हम लोगों की तरफ से घोषणा थी। वहां पर दफा १४४ लगा दी गयी। तो क्या वहां पर कोई अशान्ति पहले हो चुकी है। किस आधार पर यह दफा लगायी गयी? स्वतन्त्र पार्टी ने कहां पर बलवा मचावा दिया था। अतः मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मन्त्री जी से कि अन्न संकट तो है, उसका हमें मुकाबला करना चाहिए और हम भी उसमें प्रैसिपिटेट नहीं करना चाहते, कोई एजीटेशन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उन्होंने पहल कदमी की और हमारे सिविल राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश की तो उस समय स्वतन्त्र पार्टी मौन नहीं रह सकती। मैं स्वयं बहराइच जा रहा हूं और देखूंगा कि वहां की स्थिति क्या है। मैं अब भी नहीं चाहता हूं कि वहां पर सत्याग्रह आदि हो, लेकिन अगर हमसे भाषण

देने का अधिकार छीना गया, प्रदर्शन करने तथा लिखने का अधिकार छीना गया तो मैं यह कह सकता हूं कि अन्न संकट के साथ-साथ इस प्रदेश में सिविल वार की स्थिति भी पैदा हो जायगी।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला जालौन)--- बहराइच

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और वह इसलिए नहीं कि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं बल्कि वास्तविकता के नाते उसका विरोध करना चाहता हूं। इधर से और सामने की बेंचेज से जो भाषण अभी तक इस सम्बन्ध में हुए उनसे और वास्तविक परिस्थिति से यह बात सिद्ध होती है कि अन्न का संकट हमारे प्रदेश में इस समय है। किन्तु जैसा कहा जाता है कि भुखमरी की समस्या है, तो मैं यह निर्भीकतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह विषय ऐसा है जो हमारी जिन्दगी और मौत से सम्बन्ध रखता है। प्रदेश की जनता अगर भुखमरी की शिकार होती है और विरोधी दल के सदस्य जो जन प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वे एक ऐसे गंभीर विषय पर विचार करते समय बेंचों को थपथपाते हों, हंसी और मजाक उड़ाते हों तो यह उनके विचारने की बात है। सुदृढ़ प्रजातन्त्र की बुनियाद की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक होता है कि जब प्रदेश की जनता पर संकट आया हो तो जन प्रतिनिधियों को एक शीतल मस्तिष्क के साथ बैठ कर ऐसी गंभीर व जटिल समस्या का कुछ न कुछ हल सोचना होगा। आज मैं बड़े दुखद हृदय से कहना चाहता हूं कि जैसी परिस्थिति प्रदेश के अन्दर बनाई गयी है वैसी परिस्थिति अन्न की समस्या को ले कर है नहीं। हमारे विरोधी दल के सदस्य जब कोई ऐसा समय आता है तो जनता के बीच में अपनी सेवाओं के द्वारा जनता के हृदय को खींचने का प्रयास नहीं करते बल्कि अवसर से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जिस समय यहां अंग्रेजी शासन था और उसके बाद जब देश की बागडोर जनता के प्रतिनिधियों ने संभाली तो बंगाल के अन्दर लाखों मन गल्ला था, सड़कों पर लाखों मन गल्ला सड़ा दिया गया और भुखमरी पैदा की गयी और वहां सड़कों पर नरमुंड ही नरमुंड नजर आते थे। उस समय तो यह कहा जा सकता था कि यह बनाई हुई परिस्थिति थी कि तु आज वास्तव में अन्न की कमी है और उसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपनी छोटी अक्ल के मुताबिक कि इसका कारण नेचुरल कैलेमिटी है। अगर शीत लहरी पिछले जाड़े में न आई होती तो यह परिस्थिति कभी पैदा न होती। श्री भानुप्रताप सिंह कृषि विशेषज्ञ हैं, बड़े भारी फार्मर हैं और एग्रिकल्चर डायरेक्टर के पुत्र हैं मैं उनसे कहूंगा कि वह जो यह दावा करते हैं कि जखीरेबाजों के यहां तलाशी ली जाय और मैं भी यही मानता हूं कि तलाशी होनी चाहिए मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोल्ड वेव का प्रभाव नहीं पड़ा है तो उन्होंने अपने यहां कितना गल्ला पैदा किया है और उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक बस्ती जिले में उन्होंने कितना गल्ला बांटा है।

श्री भानुप्रतापसिंह---

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं कहा कि शीत लहरी का प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि इस सरकार के कार्यक्रम ठीक होते तो शीत लहरी के होते हुए भी भुखमरी नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि जितना सरकारी दूकान से गल्ला रोजाना बंटता है, उससे ज्यादा मेरे फार्म पर बंटता है और उससे सस्ते भाव पर बंटता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

श्रीमन्, मैं दावे से कहता हूं कि कुछ नहीं बंटता। सत्यता से विपरीत है।

श्री भानुप्रतापसिंह---

आप मेरे साथ चलिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

श्रीमन्, जनतन्त्र का जो इतिहास है वह यह है कि जब संकटकाल की स्थिति होती है तो विरोधी दल और सरकार दोनों दलों के सदस्य बैठकर गम्भीरतापूर्वक समस्या का हल निकालें। लेकिन कल जब से विवाद प्रारम्भ हुआ है, कोई सुझाव नहीं आया सिवाय इसके कि यह बेईमानी है, यह कमी है आदि, इसके अतिरिक्त कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया जिससे स्थिति में कोई सुधार पैदा होता। इसके विपरीत बराबर यह धमकी दी जाती है कि हम आन्दोलन करेंगे अगर मौलिक अधिकारों को छीना गया....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय बसन्त लाल जी ने प्रश्न किया कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी के यहां कितना गल्ला बंटा? उन्होंने कहा कि जितना सस्ते गल्ले की दूकानों पर बंटता है उससे अधिक बंटा और सस्ते भाव पर बंटा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप झूठ कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

'झूठ' नहीं कहा।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

यह मैंने नहीं कहा कि झूठ कहते हैं। मैंने कहा कि नहीं बांटा गया।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, उन्होंने दुरुस्त कर लिया तो मैं वापस लेता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि वह बहराइच जाने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं कि वहां अन्न की कमी है, लेकिन भुखमरी की समस्या नहीं है। यह बनावट की गई है। इस प्रकार के माहौल बनाए जाते हैं। यदि इस प्रकार की कोई विषम स्थिति पैदा की जाय तो सख्त कदम उठाना चाहिए।

(व्यवधान)

बहराइच के प्रति उन्होंने कहा कि भुखमरी फैल गई है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बयान आया है जो उन्होंने फूड एडवायजरी कमेटी में दिया है। जहां भिनगा तराई एरिया में सूखा पड़ गया था अन्न की कमी थी धान पैदा नहीं हुआ था, वहां अनाज की इतनी व्यवस्था है कि कोई आदमी भूख से नहीं मरने दिया जायगा। गलत बात पैदा करके सिविल वार की धमकी देना अनुचित बात है और मैं सरकार से कहता हूं कि जो लोग सिविल वार की धमकी देते हैं, उनको कड़ाई से कुचल देना चाहिए और कभी उनकी ऐसी हरकतों को बरदाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जनता जब संकट से गुजर रही है उस समय ऐसे तत्वों को उभड़ने देना जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करना होगा।-

कल नेता विरोधी दल ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह कहा कि जनता इस सरकार को क्षमा नहीं करेगी। वह इस समय सदन में हैं नहीं, किन्तु उनके दल के लोग उनसे कह देंगे कि देश की जनता भले ही आज दुख के मारे उनकी मीठी बातों में आकर दूकानें बन्द कर दें लेकिन जिस समय उनको यह मालूम होगा कि जो कमी थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने हर तरह से प्रयास किया है तब जनता इस सरकार को तो छोड़िए उनको गुमराह करने वाले लोगों को क्षमा नहीं करेगी। मैं जनसंघ से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिनकी आवाज पर लखनऊ के दूकानदार अपनी दूकानें बन्द कर सकते हैं, क्या वह जिस तरह से कांग्रेस वालों ने धरना देकर ब्रिटिश सरकार के समाने में विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी क्या जनसंघ धरना देकर जखीरेबाजों से गल्ला

बाहर नहीं निकाल सकती। क्या यह कभी किया गया है ? यह कभी नहीं किया गया। जनता उनको कभी क्षमा नहीं करती जो जनता को प्रलोभन देकर गुमराह करते हैं। कल रामसुन्दर जी ने लांछन लगाया था और सदाचार संहिता की बात कही थी। मैं कहता हूं कि "सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें ७२ छेंद।" वे स्वयं कभी पी० एस० पी० में, कभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में। इस सरकार को कहते हैं कि निकाल देंगे, पहले अपना घर तो देखिये, पहले अपने घर को तो संभालिए फिर सरकार को निकालिएगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो लोग आपको अधिक कर्णप्रिय ध्वनि सुनाते हैं उनको १५, १६ या १७ मिनट तक आप क्यों देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत बात है। ११ मिनट उनके हुए। दो तीन मिनट यहां पर शोरगुल में उनके खराब हो गए।

श्री मैनेजरसिंह—

विरोधी दल के लोगों को आप ७ मिनट देते हैं और उधर के लोगों को १० मिनट से ज्यादा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत बात है। इधर के लोगों को भी १० मिनट बोलने का मौका मिला है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए जो आपने समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह अविश्वास का प्रस्ताव मूलतः खाद्य समस्या के बारे में आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जगदम्बा सिंह जी, अब आप कल बोलिएगा। मुझे इस समय एक घोषणा करनी है।

श्री मोहनलाल वर्मा की जमानत पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे डी० एम० हरदोई का तार मिला है जिसमें उन्होंने कहा है :—

"Shri Mohan Lal Verma has been granted bail by the Hon, ble High Court of Allahabad on 28. 7. 64 to be released on bail to the satisfaction of the D. M. Certified copy of the order was presented to . . .

(हिन्दी में कहिए की आवाजें)

हिन्दी में यह है कि मोहनलाल जी को हाईकोर्ट ने ५ हजार की २ जमानतों और ५ हजार के मुचलके पर छोड़ दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह किस पार्टी के थे जिनको डकैती में सजा हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

गलत बात है। डकैती में सजा नहीं हुई, रायट में सजा हुई। वह कांग्रेस पार्टी के थे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग रायट कराते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, यह गलत बात है।

हम अब उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० जुलाई, १९६४।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०९ पर]

ग्राम टिकरी, जिला इलाहाबाद निवासिनी श्रीमती मेंडा की लड़की की शादी श्री नन्हें वल्द रियाजुद्दीन, निवासी दिलावरपुर से हुई थी। श्रीमती मेंडा ने अदालत में अपना खाता अलग करने के लिए दरख्वास्त दी और जमीन का दसगुना लगान दाखिल करने की भी दरख्वास्त दी। श्री जुद्दी वगैरह जिनका खाता श्रीमती मेंडा के शामिलात था, ने इस सम्बन्ध में एतराज दाखिल किया। यह मामला तहसीलदार सोरांव की अदालत में विचाराधीन था। दिनांक १७ फरवरी, १९६४ को दोनों पार्टियां तहसील में मुकदमे की पैरवी कर के वापस जा रही थीं कि गंगा गंज सड़क ग्राम हथगहा के पास आपस में भिड़ गयीं, जिसके फलस्वरूप ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ३ व्यक्ति घायल हुये।

इस घटना के सम्बन्ध में दोनों पार्टियों के कुल ४२ व्यक्तियों का चालान पुलिस द्वारा किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

तालिका 'क'

पीलीभीत सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा अपने सदस्यों का पुराना गन्ना मूल्य, अतिरिक्त सट्टे की कटौती, डिवीडेंन्ड आदि का जितना रुपया १ अप्रैल, १९६४ तक देना बाकी था उसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	गन्ने के मूल्य का बकाया (रुपयों में)	अतिरिक्त सट्टे की कटौती की धनराशि (रुपयों में)	डिविडेंड की रकम रुपयों में	अन्य विवरण
१९५८–५९..	६,६९४.८२	..	..	काश्तकारों की मांग पर
१९५९–६०..	..	..	..	यह धन उन्हें वापस
१९६०–६१..	५,६०९.४०	४७,३२१.५८	३, ६५०	किया जा रहा है।
१९६१–६२..	१०,३४९.७५	५,६४८.२९	..	..
१९६२–६३..	६,०८८.४७	२,९३६.८८	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर)

तालिका 'ख'

क्रम-सं०	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या
१	चीफ फायर आफिसर	३	..
२	फायर स्टेशन आफिसर	१०	..
३	फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर ..	१३	..
४	ड्राइवर	२४	२
५	लीडिंग फायरमैन	२७	..
६	फायरमैन	१९२	१८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

तालिका 'क'

माह जुलाई, १९६३ से अब तक बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी में सीजनल या परमानेन्ट सेवाओं में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची ।

क्रम सं०	नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	सेवा का प्रकार		
				स्थायी	सीजनल	अस्थायी
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री एस० के० मूर्ति ..	.. मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट	१७–८–६३	स्थायी ..	..	..
२	,, मो० हलीम ..	.. प्रबन्धक का अर्दली	२४–७–६४	,,	..	..
३	,, जे० पी० माहेश्वरी ..	.. प्रबन्धक का आशुलिपिक	२१–१०–६३	,,	..	..
४	,, एस० मुर्तजा हुसैन ..	.. मोटर मेकैनिक तथा ड्राइवर ।	३–९–६३	,,	..	..
५	,, गुरचरन सिंह ..	.. टर्नर ..	१–९–६३	,,	..	..
६	,, राम जनम ..	.. कुली ..	१६–७–६३	..	..	अस्थायी
७	,, हरवंश प्रसाद ..	.. हेल्पर ..	२०–७–६३	..	..	,,
८	,, चैन सिंह ..	.. ,, ..	१०–८–६३	..	सीजनल	
९	,, राजनाथ ..	.. हैमरमैन ..	१०–८–६३	..	..	अस्थायी
१०	,, हसीबरजा ..	.. टर्नर ..	१७–८–६३	..	..	,,
११	,, बूटा सिंह ..	.. असिस्टेंट ड्राफ्टस्मैन ..	१७–९–६३	..	..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	श्री सीताराम ..	..	कुली ..	१०–८–६३	..	..	,,
१३	,, फकीर सिंह ..	..	खल्लासी ..	१–९–६३	..	..	,,
१४	,, गजराम ..	..	,, ..	,,	..	..	,,
१५	,, भूपेन्द्र सिंह ..	..	हेल्पर ..	७–९–६३	..	..	,,
१६	,, श्याम लाल ..	..	ब्लैक स्मिथ तथा फिटर	११–९–६३	..	..	,,
१७	,, अब्दुल हफीज ..	..	ब्लैक स्मिथ ..	२६–९–६३	..	..	,,
१८	,, अब्दुल रशीद ..	..	खल्लासी ..	१३–९–६३	..	..	,,
१९	,, हंसराज	..	ट्रक ड्राइवर ..	२२–११–६३	अज्ञात	..	..
२०	,, सनीजान ..	..	हेल्पर ..	२७–११–६३	,,	..	..
२१	,' जयपाल सिंह	..	केन क्लर्क ..	१३–१२–६३	,,	..	..
२२	,, कृष्ण कुमार ..	..	,, ..	२३–१२–६३	,,	..	..
२३	,, इफ्तखार खां ..	..	,, ..	६–१–६४	,,	..	..
२४	,, राम किशोर ..	..	,, ..	,,	,,	..	..
२५	,, नन्द किशोर ..	..	,, ..	,,	,,	..	
२६	,, ज्वाला प्रसाद सिंह..	..	,, ..	,,	,,	..	..
२७	,, मोहम्मद रफी ..	..	,, ..	१०–१–६४	,,	..	..
२८	,, निशाकान्त दीक्षित..	..	टाइम आफिस क्लर्क	४–१२–६३	,,	..	..
२९	,, भवानी दत्त ..	..	ओवरसियर ..	३–८–६३	प्रोवेशनर	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

तालिका 'ख'

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी में अगस्त, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों के नामों का विवरण

क्रम-सं०	नाम	पद	त्यागपत्र की तारीख	सेवा का प्रकार
१	२	३	४	५
१	श्री बनारसी दास ..	टर्नर ..	१-९-६३	स्थायी।
२	श्री रामनरेश सिंह ..	एलेक्ट्रिशियन ..	१०-९-६३	,,
३	तेज प्रकाश शर्मा	एस० बी० ए० ..	१७-९-६३	सीजनल
४	दौलत सिंह	वाचमैन ..	१०-१२-६३	,,
५	महेश चन्द्र	टाइपिस्ट ..	३०-९-६३	स्थायी
६	आई० एस० अग्रवाल ..	गोडाउन कीपर ..	१०-१०-६३	,,
७	एम० के० गांधी	शिफ्ट इन्जीनियर ..	१६-१२-६३	,,
८	एस० के० गोयल	,, ..	५-१०-६३	,,
९	हसीब रजा	टर्नर ..	९-९-६३	अस्थायी
१०	एस० एस० मेहरोत्रा ..	ड्राफ्टस्मैन ..	२८-१-६४	स्थायी
११	भवानी दत्त	ओवरसियर ..	८-९-६३	प्रोबेशनर
१२	के० एल० अरोरा ..	क्लर्क ..	९-८-६३	..

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

१ जुलाई, १९६४ को देनदार चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के बकाया रकम का विवरण ।

क्रम-संख्या	मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकायी रकम	अभियुक्तियां रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया
१	२	३	४
		(लाख रुपये में)	
१	मोहिउद्दीनपुर ..	३.५३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया
२	मलियाना ..	०.३२	,, ,,
३	सखौती टांडा ..	२.८०	,, ,,
४	बागपत	२.६५	,, ,,
५	खतौली	०.८१	,, ,,
६	बुलन्दशहर ..	०.६०	,, ,,
७	मनसूरपुर ..	३.५९	,, ,,
८	दोईवाला	०.८७	,, ,,
९	इकबालपुर ..	८.३८	,, ,,
१०	सरसावां	६.०९	..
११	हरगांव	१.४६	..
१२	महोली	०.०९	..
१३	बिसवां	०.०३	..
१४	गोला	१.४२	..
१५	हरदोई	०.०२	..
१६	बरेली	०.३०	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया ।
१७	बिजनौर	५.३१	..
१८	धामपुर	१.८१	..
१९	सिबहारा ..	१.८२	..
२०	रामपुर	०.०६	..
२१	रोसा	०.०५	..
२२	अमरोहा	६.६०	रिकटवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया ।
२३	बिलारी	०.८९	..
२४	न्योली	०.२६	..
२५	बाजपुर	०.०१	..
२६	मसौधा	०.१६	रिकटवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया ।
२७	बलरामपुर.. ..	०.५७	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	गन्ने की मूल्य की बकायी रकम	अभियुक्तियां
१	२	३	४
		(लाख (रुपये में)	
२८	तुलसीपुर	०.५७	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया।
२९	बाराबंकी ..	०.५०	" "
३०	बुढ़वल	२.९१	" "
३१	जरवल रोड ..	१.४५	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया गया।
३२	पिपराइच	२२.३६	" "
३३	घुघली	१.११	" "
३४	सरदार नगर ..	३.८५	" "
३५	आनन्दनगर ..	०.४२	..
३६	भटनी	७.६८	..
३७	लक्ष्मी गंज.. ..	५.०८	..
३८	रामकोला (के०) ..	१०.७७	..
३९	देवबन्द	०.१७	..
४०	बहेड़ी	०.०१	..
४१	रोहाना	०.०१	..
४२	शामली	०.०१	..
४३	मुन्डेरवा	०.०४	..
४४	छितौनी	३.६६	..
४५	खड्डा	०.१४	..
४६	कैप्टेनगंज ..	०.३१	..
४७	कठकुइयां	०.१३	..
	कुल योग ..	११४.७४	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

राज्य चिन्ह के इतिहास के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी

गौरव चिन्ह (Coat of Arms) भूतपूर्व भारत सरकार द्वारा १ नवम्बर, १९२२ को रायल कालेज आफ हेराल्ड्स, लन्दन में निबन्धित किया गया था। उस समय तक संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध का जैसा कि उस समय यह राज्य कहलाता था, प्रतीक स्वरूप कोई पृथक बिल्ला नहीं था जिस पर वह गर्व कर सकता।

२--अन्य प्रान्तों की भांति इस प्रान्त के लिये एक पृथक प्रतीक अपनाने का प्रश्न कदाचित् पहले पहल १९१६ में दिल्ली में नये भवनों की सजावट के संबंध में उठाया गया था, क्योंकि सोचा गया था कि यदि भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के गौरव चिन्ह के प्रतीक बिल्ले (Badges) हों तो इससे नये भवनों की सजावट को कुछ यथार्थ तथा दिलचस्प रूप देने में निसंदेह सहायता मिलेगी। यह सुझाव दिया गया था कि इन्हें ऐसे प्रतीकों से बनाया जाय जो प्रान्तों की विशिष्टता या ऐतिहासिक संबंधों को व्यक्त करें। गौरव चिन्ह को भारतीय रूप देने के उद्देश्य से वृत्तकार ढ़ाल को अधिमान दिया गया। भारत सरकार ने विशेषज्ञों के परामर्श से इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया और प्रान्तीय सरकार ने भी अपनी ओर से उस समय विद्यमान यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल के भारतीय सदस्यों से परामर्श लिया।

३--इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो गौरव चिन्ह तैयार किया गया वह उस राज्य क्षेत्र का, जिसके लिये वह बनाया गया है, इतना वास्तविक चित्रण करने वाला प्रतीक था कि वह देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी राज्य सरकार का प्रतीक पूर्ववत् बना हुआ है। किन्तु उसके निबन्धन के पश्चात् तत्कालीन प्रान्तीय सरकार ने सरकारी अभिलेखों में ब्रिटिश गौरव चिन्ह के स्थान पर नये प्रान्तीय गौरव चिन्ह का प्रयोग करना पसन्द नहीं किया जिसका फल यह हुआ कि प्रान्तीय सरकार द्वारा १९३८ तक प्रान्तीय गौरव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया सिवाय इसके कि राज भवन (गवर्नमेन्ट हाउस) से जारी किये गये नियंत्रण-पत्रों, अभिनन्दन-पत्रों इत्यादि पर कभी-कभी इसका प्रयोग किया गया।

४--- १९३७ में प्रान्तीय स्वायत्तता दिये जाने के पश्चात् लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने १९३८ में सरकारी अभिलेखों तथा पत्र व्यवहार में ब्रिटिश गौरव चिन्ह के स्थान पर प्रान्तीय गौरव चिन्ह को अपनाया, स्वतंत्रता प्राप्त करने और अशोक स्तम्भ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने के पश्चात् प्रान्तीय गौरव चिन्ह को पूर्ववत बनाये रखने के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया। यह निश्चय किया गया था कि इस संबंध में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

५--कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, किसी व्यवसाय, व्यापार धंधे या पेशे के प्रयोजन के लिये अथवा किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिन्ह (Trade Mark) अथवा डिजाइनों में केन्द्रीय सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, पूर्व अनुमति के बिना उक्त ऐक्ट में उल्लिखित किसी नाम या प्रतीक का अथवा उस की किसी रंगीन अनुकृति का न तो प्रयोग करेगा और न ऐसा प्रयोग करना जारी रखेगा।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

इकाई का नाम	उद्योग का नाम	धनराशि	ऋण धनराशि से जो कार्य प्रारम्भ
१९५८–५९		रु०	
१—श्री दीप चन्द्र अग्रवाल ..	पेनल पिन्स उद्योग	१५,०००	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
२—श्री प्रभु दयाल अग्रवाल ..	स्टील फर्नीचर	१०,०००	,, ,,
१९६०–६१			
३—श्री बाबू राम पांडेय	टाइप फाउन्डरी ..	१५,०००	,, ,,
४—श्री पूरन चन्द्र जैन	कृषि यन्त्र	१५,०००	,, ,,
५—श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल ..	स्टोरेज बैटरी	१५,०००	,, ,,
६—श्री जयदेव कपूर	अस्पताल का सामान ..	१३,०००	,, ,,
७—श्री परमेश्वरी दास ..	पेनल पिन्स, तार की कील ..	१५,०००	कार्य प्रारम्भ किया किन्तु इस समय कार्य बन्द है।
१९६१–६२			
८—श्री महेश सिंह	फल संरक्षण	१५,०००	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
९—श्री बृजराज स्वरूप ..	कृषि यन्त्र व साइकिल के हिस्से ..	१३,०००	कृषि यन्त्र व साइकिल के हिस्से
१०—श्री रूप किशोर सेठ ..	स्टील फर्नीचर	१०,०००	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
११—श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल ..	लोहे के कुंडे	१५,०००	,, ,,
१२—श्री राम चन्द्र गुप्ता ..	साइकिल के हिस्से ..	१०,०००	,, ,,
१३—श्री अनन्त राम	प्लास्टिक का सामान ..	१०,०००	प्लास्टिक का सामान

अनंत प्रकाश विधायी संस्था

१९६२–६३					
१४—श्री लियाकत हुसैन ..	फल संरक्षण	..	..	१०,०००	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
१५—सर्वश्री इन्डस्ट्रियल वीवर्स को० सो०	पावरलूम	..	..	१५,०००	पावरलूम
१६—श्री वीवर्स ऐन्ड सेल को० सो०	,,	..	..	१५,०००	,, ,,
१७—श्री इन्डस्ट्रियल को० स्टोर ..	,,	..	..	१५,०००	,, ,,
१९६३–६४					
१८—श्री ओमकार नाथ ..	कृषि यन्त्र	..	..	१५,०००	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
१९—श्री एस० बी० सभा लि० ..	पावर लूम	..	..	१५,०००	,, ,,
		योग	..	२,५६,०००	
उदार ऋण योजना					
२०—सर्वश्री पंजाब बटाला इंजीनियरिंग	मशीनरी व एलाइड पार्ट्स	..		७,५००	१९५८–५९ मशीनरी व एलाइड पार्ट्स
		..		७,५००	१९५९–६०
२१—श्री यूनाइटेड इन्डस्ट्रीज ..	,,	..		३४,०००	१९६०–६१ ,,
		..		१,०००	१९६१–६२
		..		५०,०००	

प्रेस ब्यूरो विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३५ पर)

लखनऊ शहर में सन् १९६२ व १९६३ में निम्नलिखित तिथियों में दफा १४४ लगायी गई है ।

धारा १४४ लागू करने की तिथि	अवधि
१—२५-२-६२ ..	.. २ माह
२—२५-४-६२ ..	.. १ माह
३—२२-१२-६२ ..	.. २ माह
४—२२-२-६४ ..	.. २ माह
५—१-८-६३ ..	.. १ माह (८-८-६३ को हटा ली गई)
६—२-८-६३ ..	.. १ सप्ताह (६-८-६३ को हटा ली गई)
७—११-१०-६३ ..	.. १ माह
८—१०-११-६३ ..	.. १ माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३६ पर)

पटेल कमीशन की सिफारिश के अनुसार आजमगढ़, गाजीपुर, एवं देवरिया जिले में निम्नलिखित उद्योगों के निजी क्षेत्र में स्थापित होने की संभावनायें हैं ।

	आजमगढ़	गाजीपुर	देवरिया
कुटीर एवं लघु उद्योग ।	१—खंडसारी ..	१—फल संरक्षण	१—हड्डी की खाद एवं ग्लू बनाना ।
	२—हड्डी की खाद एवं ग्लू बनाना ।	२—जूते एवं चप्पल बनाना ।	२—फल संरक्षण
	३—कोल्ड स्टोरेज	३—प्लास्टिक के खिलौने ।	३—कृषि यन्त्र
	४—मटर कोनिंग (संरक्षण) ।	४—हैन्डलूम कपड़ा बनाना ।	४—लौह ढ़लाई
	५—टाट पट्टी और सुतली ।	५—हड्डी की खाद	५—अलमूनियम के बर्तन ।
	६—सींग के कन्घे	६—साबुन	६—गृह - निर्माण लौह (सामग्री)
	७—कृषि यन्त्र	७—लौह ढ़लाई	७—चीनी मिलों के पुर्जे आदि निर्माण हेतु सहायक उद्योग ।
	८—आइरनफाउन्ड्री	८—कोल्ड स्टोरेज (शीत भंडार) ।	८—हस्त निर्मित कपड़ा ।
	९—बर्फ बनाना	९—मधुमक्खी पालन	९—बेंत उद्योग
	१०—दरी एवं निवाड़	१०—एक्टीवेटेड कारबन ।	१०—जूट की रस्सी
	११—रेशम की रंगाई, छपाई	११—कृषि यन्त्र	११—कुश बनाना
	१२—चाक बनाना	१२—खांडसारी	१२—पंपिंग सेट्स
	१३—कुम्हारगीरी	१३—अलमूनियम के बर्तन ।	१३—चर्म शोधन
	१४—साबुन	१४—साइकिल के पुर्जे	१४—जूते
	१५—साइकिल के पुर्जे		
	१६—ट्यूब वेल के पुर्जे ।		
	१७—मोटर के पुर्जे		
	१८—सोडा ऐश		
	१९—इलेक्ट्रिक एवं डीजल मोटर यन्त्र ।		
	२०—जूते		

	आजमगढ़	गाजीपुर	देवरिया
बृहत उद्योग	१—चीनी मिल ..	१—चीनी मिल ..	१—चीनी मिल
	२—कपड़ा (स्पिनिंग)	१—कपड़ा मिल ..	२—पेपर मिल
			३—चिप बोर्ड
			४—कास्टिक सोडा एवं क्लोरिन।

ऐसी आशा है कि उपरोक्त उद्योगों में से अधिकांश तृतीय योजना काल तक खुल जायेंगे।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

ललितपुर सब-डिवीजन में दिनांक १ जनवरी, १९६४ से १५ अप्रैल, १९६४ तक हुई कत्ल, डकैती, राहजनी व अपहरण सम्बन्धी घटनाओं का विवरण ।

अपराध	घटनाओं की संख्या	चालान किए गए मालों की संख्या	पकड़े गये अपराधी	न्यायालय में कामयाब मुकदमें
कत्ल ..	७	४	१४	यह सारे मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।
डकैती ..	५	२	९	
राहजनी	१२	२	५	
अपहरण ..	४	३	१	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

१—चमोली जिले में औद्योगिक विकास के लिये कार्यान्वित की गई योजनाओं की सूची ।

१—गढ़वाल नजीबाबाद ऊन योजना ।

२—पर्वतीय ऊन प्रसार योजना ।

३—पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना ।

४—ऊन योजना—

(अ) ऊन की धुनाई, ऊनी वस्त्रों की धुलाई व उन्हें अच्छा रूप देने की मशीन, (Carding and finishing plants)

(ब) १४ चल चर्खा केन्द्र,

(स) २ ऊन उपयोग बढ़ाने के केन्द्र,

(द) ७ सचल रंगाई केन्द्र,

(य) बिक्री केन्द्र ।

५—नारियों को सिलाई तथा मोजे आदि बनाने की शिक्षा देने का एक केन्द्र ।

६—एक लकड़ी के सामान बनाने का उत्पादन केन्द्र ।

७—एक रिंगाल उपयोग केन्द्र ।

८—स्त्रियों को कढ़ाई, बुनाई, शाल बुनाई व गलीचा बनाने की शिक्षा देने के पांच केन्द्र ।

९—कृषि यन्त्र तथा धातु के उद्योग का केन्द्र ।

१०—घरेलू उद्योग धंधों के लिये जनता को उचित ऋण व अनुदान देने की योजना ।

११—औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचित छात्रवृत्ति देने की योजना ।

१२—जड़ी बूटी के उत्पादन फार्म ।

१३—उत्तराखण्ड मण्डल का मिनरल डेवलपमेन्ट ।

२—चमोली जिले में भविष्य में औद्योगिक विकास के लिये कार्यान्वित की जाने वाली सम्भावित योजनाओं की सूची ।

१—औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।

२—कमेठ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये केन्द्र की स्थापना ।

३—वनस्पति रेशों से संबंधित योजना ।

४—कागज उत्पादन करने के लिये कारखाना ।

५—दियासलाई बनाने का कारखाना ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३९ पर)

जौनपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६४ से ३१ मई, १९६४ तक डाका, आतिशजनी, चोरी, कत्ल तथा तेजाब डालने की घटनाओं का विवरण

स्थानों के नाम जहां अपराध हुए					
थाना	डकैती	आतिशजनी	चोरी	कत्ल	तेजाब की घटनाएं
१	२	३	४	५	६
कोतवाली	..	शेखपुर	फूलपुर	मैनीपुर	
			मियापुर		
			मुफ्ती		
			हुसेनाबाद		
			खानगोटीला		
			अस्पताल जौनपुर		
			कचहरी		
			बलुआघाट		
			हुसेनाबाद		
			काजियाना		
			आलदगंज		
			उर्दशाहगंज		
			आलदगंज		
			ईसापुर		
			हुसेनाबाद		
			मुक्ति		
			गुड़वा		
			रिजवी		
			हुसेनाबाद		
			पुरानी बाजार		
			हनुमानघाट		
			राजाबाजार		
			पुरानी बाजार		
			तारापुर		
			कचहरी		
			हनुमान घाट		
			आलदगंज		
			हुसेनाबाद		
			आलमगंज		
			शेखपुरा		
			हनुमानदरवाजा		
			नसीबगंज		

उत्तर प्रदेश संस्थान

स्थानों के नाम जहां अपराध हुए					
थाना	डकैती	आतिशजनी	चोरी	कत्ल	तेजाब की घटनाएं
१	२	३	४	५	६
कोतवाली	..	शेखपुर	चहारस हुसेनाबाद रोडवेज मछारेटोला रिजवी खां शाहीपुर नखास करमही सरवीपुर भीखमपुर हनुमानघाट		
रामपुर	बिजयगिर परमालपुर	औरा	फेसुपुर, गधाना चकमडरी, कोटगांव	..	गोपालापुर
मीरगंज	भिदन	बारीबनकट	तरावां, करकौजी	देवकीपुर	
मड़ियाहू	मीरपुर	गहलाई मठेपार	खैरुद्दीनपुर		
मछलीशहर	परसवाँ		बरहता कोटवा शाहगंज हसनपुर	परसना	
बादशाहपुर	बैरभाव, नरसिंहपुर	नीमापुर	नवा डांडी शाहबगंज गुलरा		
सुजानगंज		अमारी गद्दीपुर	अलइया कलछुला		
शाहगंज			ताखा लखमापुर छपवा शिवपुर सुरीश गहरीदीनपुर		
सराय ख्वाजा	जालीवपुर	भदेठ	मीरापुर मडैला फरीदाबाद		

स्थानों के नाम जहां अपराध हुए					
थाना	डकैती	आतिशजनी	चोरी	कत्ल	तेजाब की घटनाएं
१	२	३	४	५	६
सरांयख्वाजा	जालीबपुर	भधेठ	हरीशालपुर		
			मोकलपुर		
			बैजापुर		
			आदमपुर		
			बुधिया		
			बस्तीबदगंज		
			शिट्टीकपुर		
			भटेवरा		
			नदियापार		
बदलापुर		बलईपुर			
सरपतहा			पट्टी नरेन्द्रपुर		
			मसौली		
			संसार पट्टी		
			ऊभनपुर		
			समोधपुर		
			रामनगर		
			खुटहन		
			फिरोजपुर		
बवसा	फतेहपुर	कोहड़ सुल्तान-पुर बरतिहा	मेवाबा कला		
			बसरा		
			बरजूपुर		
केराकत		कनवानी	सकरा		महीपुर
		डेहरी	पुरैया		
			कन्डवानी		
			गोपालापुर		
			सरायबीस		
			तेजूपुर		
			मलवार		
			पटखौली		
			सरैया		
चंदवक	बलुआ		बनौरा		
			देवलास		
			हवरुही		
जलालपुर	धनेजुपुर	धरांव	पुरेव कादीपुर		जलालपुर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९० एल० ए०—१९६४—८६० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा